लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol.XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 25, शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1968/22 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 25 Friday, December 13, 1968/ Agrahayana 22, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
721. शिवाजी का खड्ग	Sword of Shivaji	1-2
722. नेफा से आदिम जाति के लोगों का निकल भागना	Escape of Tribesmen from NEFA	2-6
723. कच्छ की सीमा की सुरक्षा	Security of Kutch Borders	6-10
724. जम्मू और काश्मीर राज्य में घुसपैठिये	Infiltrators in Jammu and Kashmir State	10-13
725. कलकत्ता पत्तन की वित्तीय स्थिति की जाँच करने के लिये समिति	Committee to enquire into the Finances of Calcutta Port	13-16
726. अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	16-17
अल्प-सूचना प्रश्न Short Notice Question		
12. मध्य प्रदेश में एक हरिजन नेता की हत्या	Murder of a Harijan Leader in Madhya Pradesh	17-22

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

727. राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेश का लागू करना	Implementation of Directions of Central Government by State Governments	22

*किसी नाम पर अंकित + यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
728.	मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गए आरोपों की जाँच	Equiries into charges against Ministers	22-23
729.	शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Educational Institutions	23
730.	भारत के मानचित्र का प्रकाशन	Publication of India's Maps	23-24
731.	दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुविधायें	C. G. H. S. Facilities to Teachers and Employees of Delhi University	24
732.	छोटी सदड़ी, राजस्थान, स्वर्ण काँड	Chhoti Sadri, Rajashtan Gold Scandal Case	24
733.	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi	25-26
734.	विमान-यात्रा के किरायों में कटौती के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of Foreign Exchange due to undercutting in Air Fares	26-27
735.	केन्द्रीय शिक्षा संस्था	Central Institute of Education	27
736.	उड़ीसा में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास	Development of Inland Water Transport in Orsisa	28
737.	ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जाना	Conversion by Christian Missionaries	28-29
738.	सीधी भर्ती के फलस्वरूप असंतोष	Resentment due to Direct Recruitment	29
739.	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से लिया गया परीक्षा शुल्क	Examination Fee charged from Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates by Uttar Pradesh Public Service Commission	29-30
740.	लद्दाख क्षेत्र में बनाई गई सड़कें	Roads constructed in Ladakh Area	30
741.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे	International Airports	30-31
742.	कलकत्ता में डकैती	Robbery in Calcutta	31

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
743. भाषायी राज्यों का समाप्त किया जाना तथा एकात्मक प्रणाली की सरकार की स्थापना	Scrapping of Linguistic States and formation of Unitary System of Government	31-32
744. डा० हरगोबिन्द खुराना को नोबल पुरस्कार	Nobel Prize to Dr. Hargobind Khurana	32
745. बिहार में जिला शिक्षा योजना समितियों का गठन	Constitution of District Education Planning Committees in Bihar	32-33
746. डा० राजेन्द्र प्रसाद संस्कृत विद्यापीठ	Dr. Rajendra Prasad Sanskrit Vidyapith	33-34
747. उत्तर प्रदेश पुलिस में पब्लिक प्रोसिक्यूटरों के पदों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण	Reservation for Scheduled Castes as Public Prosecutors in Uttar Pradesh Police	34
748. दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विषय	Subjects Taught in Secondary Schools of Delhi.	34-35
749. बिहार के सहरसा जिले में सड़कें	Roads in Saharasa District, Bihar	35
750. शिकार की व्यवस्था करने वाली कम्पनियाँ	Companies Dealing in Game Hunting	35-36

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4334. दिल्ली में जे० वी० अध्यापक	J. V. Teachers in Delhi	36
4335. पश्चिम बंगाल में सार्वदेशिक, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा	Universal, Free and Compulsory Primary Education in West Bengal	36
4336. हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक विश्वविद्यालय	Separate University for Himachal Pradesh	36
4337. नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर अध्ययन कर रहे विद्यार्थी	Students studying at various levels in Urban and Rural Areas	37

अतां० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय		SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4338.	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	37-38
4339.	ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा धर्म परिवर्त्तन कराया जाना	Conversion by Christian Missionaries	38-39
4340.	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Madhya Pradesh	39
4341.	मध्य प्रदेश में सेंट्रल रिजर्व पुलिस	Central Reserve Police in Madhya Pradesh	40
4342.	लाइबीरिया के जहाज का जमीन में धंस जाना	Grounding of Liberian-Ship	40
4343.	भारत और पोलैण्ड के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	Cultural Exhange Programme between India and Poland	40-41
4344.	पख्तून लोगों का स्वतंत्रता आन्दोलन	Freedom Struggle of Pakhtoon People	41
4345.	उत्तरी बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्रता से शिक्षा की व्यवस्था करना	Speedy Rehabilitation of Education in the Flood Affected Areas of North Bengal	41-42
4346.	एस० एन० राय समिति का प्रतिवेदन	Report of S. N. Ray Committee	42-43
4347.	खम्भात की खाड़ी में नौ-परिवहन	Navigation in the Gulf of Cambay	43
4348.	जनसंख्या के नियंत्रण के बारे में पाठ	Lessons on Control of Population	43
4349.	महाराष्ट्र में प्राप्त हुए चाँदी के सिक्के	Silver Coins Found in Maharashtra	44
4350.	त्रिपुरा के लिये राज्य-स्तर	State hood for Tripura	44
4351.	बागबानी कार्यकारी इंजीनियर, चण्डीगढ़ के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Executive Engineer Horticulture, Chandigarh.	44
4352.	चंडीगढ़ में नलकूपों के लिये बिजली के कनेक्शन	Electric Connections for Tube-wells in Chandigarh	44-45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4353. उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमे	Cases Pending before High Courts	45
4354. उत्तर प्रदेश रोडवेज, गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारियों की जमानतें	Scurities of Employees of Gorakhpur Area of Uttar Pradesh Roadways	45-46
4355. साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में आयोग का प्रतिवेदन	Commission's Report on Communal Riots.	46
4356. विमानों का निश्चित कार्यक्रम के अनुसार न उतरने के बारे में जाँच	Inquiry into Unscheduled Landings of Planes	46
4357. दिल्ली और गाजियाबाद के बीच सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents between Delhi and Ghaziabad.	46-47
4358. गढ़मुक्तेश्वर के घाट तक पक्की सड़क	*Pucca* Roads near *Ghats* at Garhmukteshwar	47
4359. भारत के स्वतंत्रता-संग्राम के क्रान्तिकारियों का इतिहास	Contribution of Revolutionaries in Freedom Struggle of India	48
4360. राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थापना	Setting up of Universities in States	48-49
4361. इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों पर हिन्दी में नाम का लिखा जाना	Writing of Names on I. A. C. Aircraft in Hindi	49
4362. इम्पीरियल होटल, नई दिल्ली	Imperial Hotel, New Delhi.	49
4363. अशोक होटल के उप-भवन और रिवाल्विग टावर का निर्माण	Construction of Ashoka Hotel Annexe and Revolving Tower	49-50
4364. दिल्ली में हुई पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा	Matricultion Examination of Punjab University held in New Delhi	50
4365. मुरादाबाद में गड़गड़ाहट की आवाज	Booming Sound in Moradabad	50-51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4366.	मजलिसे इतहादुल मुसलमीन	Majlis-e-Itehadul Musalmeen	51
4367.	अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	51
4368.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन	Indian Airlines Corporation	52
4369.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन	Indian Airlines Corporation	52-53
4370	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	Shipping Corporation of India Ltd.	53-54
4371.	पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and Order in Punjab	54
4372.	पंजाब में सलाहकारों की नियुक्ति	Appointment of Advisers in Punjab	54-55
4373.	अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	Ashoka Hotels Ltd., New Delhi	55
4374.	नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय जेल में सहायक अधीक्षक	Assistant Superintendents in Central Jail, New Delhi	55
4375.	नई दिल्ली को सेंट्रल जेल का सहायक अधीक्षक	Assistant Superintendents in Central Jail, New Delhi	55-56
4376.	दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में मकान	Houses in Jamia Masjid Area, Delhi	56
4377.	आई० सी० एस०/भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षित कोटा	Reservation of Quota for Scheduled Castes and Schduled Tribes in I.C.S./I.A.S./ I.P.S. Posts.	56-57
4378.	साम्प्रदायिक दंगों के बारे में जांच	Enquiry into Communal Riots	57
4379.	साबरमती आश्रम में 'सोनेट ल्यूमियर'	*Sonet lumiere* at Sabarmati Ashram	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4380.	पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारियां	Arrests of Pak. Naionals	57-58
4381.	राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police firings ordered in States under President's Rule and Union Territories	58
4382.	साहित्य अकादमी की उर्दू अनुभाग समिति	Urdu Section Committee of Sahitya Akadami.	58-59
4383.	पत्रकार को शिमोगा (मैसूर) के 'टाउन क्लब' में प्रवेश की अनुमति का न दिया जाना	Journalist denied entry into 'Town Club' of Shimoga (Mysore)	59
4384.	'नेशनल लेक्चररशिप' की योजना	Scheme of National Lecturership	60
4385.	नए हवाई-अड्डों का विकास	Development of New Airports	60
4386.	उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गए आरोपों के बारे में जाँच	Enquiry into charges against Orissa Ministers	60-61
4387.	दिल्ली में कानून और व्यवस्था	Law and Order in Delhi	61
4388.	भारतीय भाषाओं के विकास के बारे में सम्मेलन	Conference regarding Development of Indian Languages	61-62
4389	नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार	Police misbehavour with Pressmen at New Delhi.	62
4390.	चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में शिक्षा पर व्यय	Expenditure on Education during Fourth Five Year Plan	62-63 63
4391.	नई विमान सेवाएं	New Air Services	63
4392.	दिल्ली परिवहन उपक्रम की सेवायें	D. T. U. Services.	
4393.	'आदर्श विभूतियाँ" में गलत प्रकाशन	Misrepresentation in " *Adarsh Vibhutia* "	63-64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4394.	प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बर्बादी — Wastage at Primary School State	64
4395.	अगरपाड़ा में बम विस्फोट — Bomb Burst at Agarpara	64-65
4396.	हिन्दी के संवर्धन के लिये उड़ीसा में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता — Assistance to Voluntary Organisations in Orissa for promotion of Hindi	65
4397.	उड़ीसा में पर्यटकों की रुचि के स्थान — Places of Tourist Interest in Orissa	65-66
4398.	भुवनेश्वर में प्राचीन स्मारक — Ancient Monuments in Bhuvaneshwar	66
4399.	वाइकाऊंट विमानों के स्थान पर नए विमान चलाना — Replacement of Viscounts	66
4400.	गिरनार में रज्जू मार्ग — Rope-way on Girnar	67
4401.	'लॉस्ट सरस्वती' पर अनुसंधान करने के लिये अनुदान — Research Work on '*Lost Saraswati*'	67
4402.	मैरीन टैक्नालोजिकल डिप्लोमा कोर्स — Marine Technological Diploma Course	67-68
4403.	अध्यापकों तथा छात्रों के लिये पृथक-पृथक होस्टल — Separate Hostels for Teachers and Students	68
4404.	नई दिल्ली नगरपालिका समिति के सदस्यों की कार्यावधि — Term of office of Members of New Delhi Municipal Committee	68
4405.	साम्प्रदायिक वर्गीकरण की समाप्ति — Abolition of Communal Classification	68-69
4406.	छात्रों में देशभक्ति तथा अनुशासन की भावना उत्पन्न करना — Inculcation of Sense of Patriotism and Discipline in Students	69
4407.	मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक कलाकृतियाँ — Historical Artpieces in Madhya Pradesh	69-70
4408.	अनिर्णीत मामलों को निबटाने के लिए कार्यवाही — Measures for Clearance of Pending Cases	70
4409.	मध्य प्रदेश में डाकुओं के पास पकिस्तानी गोला-बारूद — Pak. Arms with Dacoits in Madhya Pradesh	70

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	S CT	पृष्ठ/PAGE
4410.	विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाना	Conversion by Foreign Christian Missionaries	71
4411.	उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के वेतन-मानों में असमानता	Disparity in Pay-Scales of Teachers in U. P.	71
4412.	गोरखपुर जिले में राम दुलारे ओझा को गोली मारना	Shooting down of Ram Dularey Ojha in Gorakhpur District	71-72
4413.	एक संसद्-सदस्य द्वारा गोरखपुर जेल का दौरा करने की अनुमति माँगी जाना	Permission sought by a Member of Parliament to visit Gorakhpur Jail	72
4414.	भारत में साक्षरता	Literacy in India	72
4415.	मध्यम वर्ग के लोगों के लिये पर्यटक-गृह तथा मोटल	Tourist Lodges and Motels for Middle Class People	72-73
4416.	राजघाट में गाँधी जयन्ती शताब्दी समारोह	Celebration of Gandhi Jayanti Centenary at Rajghat	73
4417.	भारतीय खिलाड़ियों के खेलने के स्तर में गिरावट	Decline in Standard of Indian Sports	73-74
4418.	भूतों के बारे में अनुसंधान	Research on Ghosts	74
4419.	एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का विलय	Amalgamation of Air India and I.A.C.	74-75
4420.	गुलमर्ग में शीतकालीन खेल-कूद	Winter Sports at Gulmarg	75
4421.	नेता जी का स्मारक	Memorial for Netaji	75
4422.	विद्यार्थियों को ऋग्वेद संगठन सूत्र से मंत्र का पढ़ाया जाना	Teaching of Mantras from *Sangathan Sutra of Rigveda* to Students	75-76
4423.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मेरठ द्वारा बस-परमिट जारी किये जाना	Bus Permit issued by Regional Transport Authority, Meerut	76-77

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पष्ठ/PAGES
4424.	घूस तथा आपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यापारियों और उद्योगपतियों की सूची	List of businesmen and Industrialists involved in bribery or criminal cases	77
4425.	एस० एम० जे० इ० सी० कालेज, खुर्जा के प्रिंसिपल के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Principal of S. M. J. E. C. College, Khurja	78
4426.	मुद्रक परिषद्, बिहार द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Printers Council, Bihar	78
4427.	बाँदा जिला में तारकोल की सड़कें	Construction of metalled roads in District Banda, U. P.	78
4428.	अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन	*Akhil Bhartiya Sanskrit Sahitya Sammela*	78-79
4429.	बिहार में भागलपुर जिले में सड़क संख्या-12 का निर्माण	Construction of Road No. 12 in District Bhgalpur, Bihar	79-80
4430.	मेरठ के पास औरंग शाहपुर डिग्गी में प्राइमरी स्कूल की इमारत	Primary School building in Aurang Shahpur Diggi, Meerut	80
4431.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई विज्ञान की पुस्तकों में प्रयुक्त हिन्दी शब्द	Use of Hindi words in Science books prepared by National Council of Educational Research and Training	80-81
4432.	लेह में बौद्ध दर्शन स्कूल	School of Budhist Philosophy, Leh	81
4433.	लद्दाख मे चीन-समर्थक साहित्य	Pro-Chinese material in Ladakh	81
4434.	दिल्ली के न्यायालयों में बेलिफ	Baliffs in Delhi Courts	81-82
4435.	बिहार के सहरसा जिले में सड़क का निर्माण	Construction of Road in Saharsa District Bihar	82
4436.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा व्योम-बालाओं का चयन	Selection of Air Hostesses by I. A. C.	82-83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4437.	शर्मा इंटर कालेज, बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) का प्रिंसिपल — Principal of Sharma Intermediate College, Bulandshahar (U.P.)	83
4438.	शर्मा इन्टर कालेज, बुलन्दशहर — Sharma Inter College, Bulandshahar (U.P.)	83-84
4439.	पटना में सड़क-पुल — Road Bridge at Patna	84
4440.	राष्ट्रीय जीव-विज्ञान प्रयोगशाला — National Biological Laboratory	84
4441.	राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् — National Council of Educational Research and Training	85
4442.	सरकारी कर्मचारियों द्वारा द्विविवाह — Bigamous Marriages by Government Employees	85-86
4443.	कलकत्ता पत्तन — Calcutta Port	86
4444.	भारत में दंगे — Riots in India	86-87
4445.	बिहार में नजरबन्द आदिवासी नेता — *Adi vasi* Leaders under Detention in Bihar	87
4446.	केन्द्रीय जाँच विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें — Complaints against C. B. I. Officials	87
4447.	बिहार में गया जिले में मुसाधी गाँव में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना — Police Firing in Musadhi, Gaya District, Bihar	88
4448.	केरल के एक मार्क्सवादी साम्यवादी को चीन द्वारा कथित सहायता — Alleged Chinese help to Kerala Marxist	89
4449.	नक्सलबाड़ी में सशस्त्र विद्रोह की योजना — Plan for Armed Rebellion in Nexalbari	89
4450.	मैक्सिको खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिये विदेशी मुद्रा — Foreign Exchange to Indian Participants in Mexico Olympic	89-90
4451.	गोहाटी जाने वाले विमान का डमडम हवाई अड्डे पर उतरना — Landing of Guhati Bound Plane at Dum Dum Airport	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4452.	देहरादून में कथित जासूसों की गिरफ्तारी	Alleged Spies Arrested in Dehra Dun	90
4453	"मैक्सिम" के रायपुर कार्यालय पर छापा	Raid on "Maxim" Office, Raipur	91
4456.	श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक	National Integration Council Meeting in Srinagar	91
4457.	एन० के० हाई स्कूल, बेहरामपुर (पटना) के मुख्याध्यापक	Headmaster of N. K. High School Behrampur (Patna)	91-92
4458.	एन० के० हाई स्कूल बेहरामपुर के भूतपूर्व मुख्यअध्यापक के लिए रोजगार	Employment for Ex-Headmaster of N.K. High School, Behrampur	92-93
4459.	इम्फाल में हुई "तौती मायेक" मैतिक लिपि के सम्बन्ध में गोष्ठी	Siminar on "Meitie Mayek" Meitie Script held at Imphal	93
4460.	केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड को अनुदान	Grant to Central Sanskrit Board	93
4461.	संस्कृत के प्रचार तथा अनुसंधान के लिये और धन	Funds for Propagation and Research in Sanskrit.	93-94
4462.	कौशल्यापुरी का गबन मामला	Kaushilyapuri Embezzlement Case	94
4463.	पाली अध्ययन संस्था, नालन्दा (बिहार)	Insitute of Pali Studies, Nalanda (Bihar)	94
4464.	पत्तनों में जहाजों के ठहरने तथा माल लादने-उतारने की सुविधायें	Berthing and Handling Facilities for Vessels at Ports	94-96
4465.	पश्चिमी बंगाल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Employees of West Bengal Electricity Board	96
4466.	भारत-रूस नौवहन वार्ता	Indo-Soviet Shipping Talks	96-97
4467.	उड़ानों के दौरान भोजन देना	Serving of Meals During Flights	97-98
4468.	अखिल भारतीय परिवहन संचालक सम्मेलन	All-India Convention of Transport Operators	98-100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4469.	मनीपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की माँग — Demand for Statehood to Manipur	100
4471.	भारत की जनसंख्या — Population of India	100-101
4472.	विद्रोही मिजो लोगों को राजक्षमा — Amnesty to Mizo Rebels	101
4473.	मनीपुर के पशु-चिकित्सा विभाग के लेखों की लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण — Audit and Inspection of Accounts of Veterinary Department of Manipur	101-102
4474.	मनीपुर के सरकारी कर्मचारियों को स्थायी बनाना — Confirmation of Government Servants of Manipur	102-103
4475.	अनुसूचित जातियों की पदोन्नति और भर्ती के लिये क्रम-सूची (रोस्टर) — Roster for Promotion and Recruitment of Scheduled Castes	103
4476.	पश्चिमी जर्मनी द्वारा तकनीकी छात्रों को सहायता — Assistance by West Germany to Technical Students	103.104
4477.	शेख अब्दुल्ला की पाकिस्तान यात्रा — Sheikh Abdullah's visit to Pakistan	104
4478.	मद्रास में मुद्रा-नोटों का वितरण — Distribution of Currency Notes in Madras	104
4479.	पश्चिमी घाट सड़क पर बालीपाटम में पुल — Bridge at Baliapatam on West Coast Road	105
4480.	पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी संस्था से ज्ञापन — Memorandum from Punjab University Employees' Association	105
4481.	कृत्रिम वर्षा का तरीका — Artificial Method of rains	105-106
4482.	इंजीनियरों की भर्त्ती — Recruitment of Engineers	106-107
4483.	परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के सड़क विभाग में पदाधिकारियों की वरिष्ठता सूची — Seniority list of Officials in Roads Wing of Ministry of Transport and Shipping	107
4484.	राज्यों में उग्रवादी तत्वों की वृद्धि पर राज्यपालों की चिन्ता — Governor's concern over growth of Extremist elements in States	107-108

अता० प्र० संख्या U. S. Q. NOS.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4485.	मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना Commutation of death sentences	108
4486.	चीन जाने वाले मिजो Mizoes going to China	108
4487.	सियालदह रेलवे स्टेशन पर झगड़ा Clash at Sealdah Railway Station	108-109
4488.	अमृतसर जिले में छात्रों पर अश्रुगैस का प्रयोग Use of tear gas on students in Amritsar District	109
4489.	दिल्ली परिवहन की बसों पर छात्रों द्वारा हमला Students attack on D. T.U. buses in Delhi	109-110
4490.	सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र कृषकों का बसाया जाना Settlement Armed Farmers in Border Areas	110
4491.	काँडला पत्तन के लिये ड्रेजर का किराये पर लिया जाना Hiring of Dredger for Kandla Port	110-111
4492.	मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के लिये प्रतिकर भत्ता Compensatory Allowance for Manipur Government Employees	111-112
4493.	भारतीय राष्ट्रिकों का भारत से बाहर विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण तथा उन्हें रोजगार देना Training of Indian Nantionals Abroad in foreign languages and their absorption	112
4494.	शिक्षा मंत्रालय में विशेष वेतन पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारी Non-Gazetted Incumbents in Education Ministry getting Special Pay	112-113
4495.	अन्तः सत्रावधि में पार्लियामेंटरी असिस्टेंटों की नियुक्ति Posting of Parliament Assistants during Non-session periods	113
4496.	मंत्रालयों में संसदीय सहायक Parliament Assistants in Ministries	113-114
4497.	शिक्षा मंत्रालयों में पार्लियामेंटरी असिस्टेंट का तबादला Transfer of Parliament Assistant in Ministry of Education	114
4498.	भव्य होटल Luxury Hotels	114-115
4499.	राज्य सरकारों के बीच सीमा विवाद Boundary disputes between State Governments	115

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4500. केरल में नक्सलवादियों की गतिविधियां	Activities of Naxalites in Kerala	115
4501. दक्षिण भारत में नया साम्यवादी दल	New Communist Party in South India	116
4502. दिल्ली परिवहन बसों की दुर्घटनायें	D. T. U. Bus Accidents	116-117
4503. अध्यापकों को वेतन क्रमों की मंजूरी	Grants of grades to Teachers	117
4504. सतर्कता आयुक्तों का सम्मेलन	Conference of Vigilance Commissioners	117
4505. अय्यर आयोग	Ayyar Commission	117-118
4506. चौकी (सोराथ) में राष्ट्रीय रक्षा दल के लिये बंगलों का किराये पर लिया जाना	Hiring of Bungalows for N.F.C. at Choki (Sorath)	118
4507. पोरबन्दर हवाई अड्डे का बन्द किया जाना	Closure of Porbandar Aerodrome	118-119
4508. केशोड और पोरबन्दर हवाई पट्टियों की मरम्मत	Repair of Keshod and Porbandar Airstrips	119-120
4509. उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में दिनेशपुर के प्राथमिक स्कूलों में बंगला भाषा सीखने की सुविधा	Facility for learning Bengali Language in Primary Schools at Dineshpur, District Naini Tal (U.P.)	120
4510. रत्नगिरि (उड़ीसा) में खुदाई का कार्य	Excavation work at Ratangiri (Orissa)	120-121
4511. कोणार्क के मन्दिर से मूर्त्तियों आदि का हटाया जाना	Removal of Sculputural Pieces from Konarak Temple	121
4512. हिन्दी परीक्षाओं को उचित मान्यता देना	Due Recognition to Hindi Examinations	121-122
4513. चण्डीगढ़ में नियुक्त अधिकारियों का संवर्ग	Cadre of Officers posted in Chandigarh	122
4514. पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की राजस्थान में घुसपैठ	Pak. Nationals Infiltarted into Rajasthan	122-123

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4515.	कलकत्ता में हुए मैकनमारा-विरोधी प्रदर्शनों के बारे में जांच	Enquiry into anti-McNamara demonstration in Calcutta	123
4516.	वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ और अमृतसर में विद्यार्थियों द्वारा दंगे	Students' disturbances at Varanasi, Allahabad Lucknow and Amristsar	123
4517.	अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग	Inter-State Transport Commission	123-124
4518.	भारत में हुए साम्प्रदायिक दंगों में विदेशों का हाथ	Foreign Hand behind Communal Riots in India	124
4519.	हिन्दी भाषी लोग	Hindi-speaking People	124-125
4520,	हैदराबाद में चालू गुप्त ट्रांसमीटर	Secret Transmitters functioning in Hyderabad	125
4521.	प्रमुख साहित्यकारों को वित्तीय सहायता	Financial Benefit to Prominent Literateurs	125
4522.	गोहाटी में विमान यात्रियों के लिए सुविधायें	Facilities for Air Passengers at Gauhati	126
4523.	लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूहों में नौवहन की सुविधायें	Navigational Facilities in Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands	126-127
4524.	तूफान के कारण उड़ीसा में राजपथों को हुई क्षति	Damage caused to High ways in Orrisa by Cyclone	127
4525.	लखनऊ में पुलिस तथा विद्यार्थियों के बीच मुठभेड़	Clash between Police and Students in Lucknow	127-128
4526.	दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों का जाल	Pak. Spy Ring in Delhi	128
4527.	राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये हीरे के नैकलेस का क्रय	Purchases of Diamond Necklace for National Museum	128-129
4528.	केरल में केन्द्रीय स्कूलों में हिन्दी माध्यम	Hindi Medium in Central Schools in Kerala	129
4529.	चंडीगढ़ सचिवालय में काम कर रहे प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारण के लिये नियम	Rules Re. Determination of Seniority of Deputationists Employed in Chandigarh Secretariat	129

अता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4530.	पंजाब सचिवालय प्रशासन के अधिकारियों के लिये नियम	Rules for Officers of Punjab Secretariat Administration	130
4531.	उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में डकैती तथा हत्या की वारदातें	Dacoities and Murders in Allahabad District (U.P.)	130
4532.	दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विज्ञान के छात्रों के लिए वनस्पति-विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक	Text Book of Botany for Delhi Higher Secondary Science Students	130
4533.	जहाजों के निर्माण के लिए सहायता	Assistance for Construction of Ships	130-131
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	131-132
	अनुदानों की अनुपूरक माँगें (बिहार) 1968–69	Demands for Supplementary Grants (Bihar) 1968-69	132
	सुस्ता वनक्षेत्र के बारे में नेपाल के राजदूत के कथित वक्तव्य के विषय में वक्तव्य	Statement Re. reported statement of Nepalese Ambassador on Susta Forest area	132-133
	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	134-137
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	
	सत्ताइसवाँ प्रतिवेदन	Twenty-seventh Report	137-138
	नियम 377 के अन्तर्गत विषय	Matter Under Rule 377	
	विदेशी पूंजी विनियोजन तथा सहयोग के बारे में सरकार की घोषणा	Government announcement re. foreign capital investment and collaboration	
	अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखने के बारे में संविधिक सकल्प, तथा आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का विधेयक	Statutory Resolution re. Essential Services Maintenance Ordinance ; and Essential Services Maintenance Bill	138-142
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
	श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	
	श्री उमानाथ	Shri Umanath	
	श्री शंकरानन्द	Shri B. Shankaranand	
	पुरःस्थापित किए गए विधेयक	Bill Introduced—	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 80 और 171 का संशोधन) श्री चं० चु० देसाई का	1. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 80 and 171) by Shri C. C. Desai	142-143
(2) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 1968 (नई धारा 24-क का रखा जाना) श्री ओम प्रकाश त्यागी	2. Hindi Succession (Amendment) Bill (Introduction of New Section 24 A by Shri Om Prakash Tyagi	143
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968 (अनुच्छेद 37 आदि का संशोधन) श्री भोगेन्द्र झा क	3. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 37 etc.) by Shri Bhogendra Jha	143
(4) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 1968 (धारा 10, 15 आदि का संशोधन) चौधरी रणधीर सिंह का	4. Hindu Succession (Amendment) Bill (Amendment) of section 10,15 etc.) by Shri Randhir Singh.	143
(5) न्यायालय अवमान (संशोधन), विधेयक, 1968 (धारा 4 का संशोधन) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम का	5. Contempt of Courts (Amendment) Bill (Amendmentof Section 4) by Shri Tenneti Vishwanatham	144
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 368 का संशोधन) श्री नाथपाई का	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 368) by Shri Nath Pai	144-159
विचार करने का प्रस्ताव संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as repored by Joint Committee	
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	159-163
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	
केन्द्रीय गो-संवर्धन परिषद् द्वारा संचालित गोसदन	Gosadans run by Central Gosamvardhan Council	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री रामगोपाल शालवाले	Shri Ram Gopal Shalwale	
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	
श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1968/22 अग्रहायण, 1890 (शक)

Friday, December 13, 1968/ Agrahayana 22, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Sword of Shivaji

*721. +**Shri Atal Bihari Vajpayee** : **Shri Jagannath Rao Joshi** :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 731 on the 28th August, 1968 and state the steps taken by Government to bring the sword of Chhatrapati Shivaji from Britain and honour it properly ?

The Minister of State in the Ministry of Education (**Shri Sher Singh**): Government have no official information about the whereabouts of the Sword of Shivaji.It has, however, been ascertained from the British Museum in London that the Sword is not with them.

Shri Atal Bihari Vajpayee. It means that the Sword of Chhatrapati Shivaji has been lost. Will the Government try to find out the whereabouts of the Sword ?

The Minister of State in the Ministry of Education (**Shri Sher Singh**) : We wrote a letter to the London Museum on 20th June. We received the reply on 29th August and I will read it out :

"Thank you for your letter dated .....regarding the Sword of Shivaji. The enquiries are fairly regularly made. Shivaji's sword does not form part of the Collections of the British Museum".

Shri Atal Bihari Vajpayee: Have Government tried to find out from historians and the persons conversant or the history of that period the whereabouts of the Sword of Chhatrapati Shivaji. Will Government try to find out or sit idle just after the receipt of reply from Britain ?

Shri Sher Singh : The people of Maharasthra say that it is in London museum. So we asked them and will try to find out more from them.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा: मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या महान शिवाजी के पास केवल एक खड्ग था अथवा बहुत से खड्ग थे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : उनके पास केवल एक प्रसिद्ध भवानी खड़ग था।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा: परन्तु मंत्री महोदय के उत्तर में प्रसिद्ध खड़ग् का कोई हवाला नहीं है।

Shri Atal Bihari Vijapayee: It is a question of Bhavani's Sword and not of any ordinary Sword.

श्री अनन्त राव पाटिल: क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार अथवा मंत्री महोदय को मालूम है कि यह प्रसिद्ध तलवार देवी भवानी ने शिवाजी को दी थी ?

Shri Sher Singh : Nothing can be said about this. Some believe it and some do not.

श्री रा० ढो० भण्डारे: क्योंकि महान शिवाजी राष्ट्रीय नेता हैं और भवानी खड्ग के साथ भावनात्मक लगाव है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार ने इस खड्ग को वापिस लेने के लिए अब तक क्या प्रयत्न किए हैं अथवा कर रही है ?

श्री शेर सिंह: महाराष्ट्र सरकार इसके लिए काफी प्रयत्न कर रही है और हम भी इसको प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रा० ढो० भण्डारे: परमात्मा के लिए इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को किसी विशेष राज्य पर मत छोड़िये। चूंकि यह खड़्ग राष्ट्रीय नेता से सम्बन्धित है अतएव केन्द्रीय सरकार को आगे आना चाहिए और इसको प्राप्त करने के लिए हर सम्भव उपाय करने चाहिए।

श्री शेर सिंह: हम ऐसा करने का विचार रखते हैं। वास्तव में हम ऐसा पहले से ही कर रहे हैं।

नेफा से आदिम जातियों के लोगों का निकल भागना

*722. †श्री श्रीचन्द गोयल : श्रीमती ज्योत्सना गोयल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आदिम जाति के कुछ लोग सैनिक प्रशिक्षण के लिए नेफा से चोरी-छिपे चीन चले गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदिम जाति के लोग चोरी-छिपे सीमा पार न जायं, सीमा पर निरन्तर सतर्कता बरती जाती है और व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है।

Shri Shri Chand Goyal : I want to know the steps being taken by the Indian Government to instil the national feeling among such tribesmen of Nefa who courageously fought against the Chinese and other intruders in 1910 and 1911? What steps the Government are taking to instil national feelings among such people through institutions like Rama Krishna Mission and Dayanand Mission etc. who did not disply their usual courage and a feeling of patriotism for the defence of the country at the time of Chinese attack in 1965 ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस क्षेत्र के निवासियों को शेष भारत के साथ भावनात्मक रूप से दिलाने के लिए विभिन्न उपाय काम में लाए गए हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, कुछ संस्थाएँ जैसे रामकृष्ण मिशन और सर्वोदय समूह वहाँ कार्य कर रहे हैं। दूसरा, हम विभिन्न महत्त्वपूर्ण संस्थाओं जैसे रामकृष्ण मिशन, अहमदाबाद में श्री चारु और राजस्थान के वनस्थली के कुछ विद्यार्थियों को ले रहे हैं। हम कुछ ऐसी संस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं। बहुत से विकास कार्य आरम्भ किए गए हैं और कुछ ऐसी योजनाओं पर कार्य हो रहा है जिससे इस सीमावर्ती प्रदेश के लोगों को शेष भारत के साथ मिलाया जा सके।

Shri Shri Chand Goyal : It is said about the people of Nefa that every one of them can become an able soldier of the country but Government have taken away their traditional weapons last time with which they used to practice. Are Government considering to give them back their traditional weapons so that they may be helpful in the defence of the country?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचर में माननीय सदस्य को गलत सूचना मिली है। किसी ने भी परम्परागत् शस्त्रों को वापिस लेने का प्रयत्न नहीं किया है। ऐसा नहीं किया गया। उन्हें गलत सूचना मिली है। हाँ,कभी-कभी आन्तरिक कलह ऐसा रूप धारण कर लेती हैं कि हमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। परन्तु हमने कभी भी उनके पम्परागत् शस्त्रों को वापिस नहीं लिया है।

श्री रा० बरुआ : इस समय चीनियों और नागालैण्ड के उग्रवादी विद्रोहियों की साँठगाँठ और वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति का लाभ उठाते हुए करीमगंज क्षेत्र में माओ की बढ़ती हुई गतिविधियों को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार को मालूम है कि अगर वहाँ छापामार युद्ध आरम्भ होता है और वे वहाँ सेना के चार डिवीज़न खड़े कर सकते हैं ? इस बारे में सरकार की क्या सूचना है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछा है। जैसा मैंने कहा है कि इस मामले में सही रास्ता यह हो सकता है कि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना भरी जाये क्योंकि सुरक्षा और घुसपैठ रोकने के लिये यही वास्तविक गारन्टी है। निश्चय ही चीनी उनमें किसी प्रकार की भावना भरने में व्यस्त हैं। वे उनसे जाति आदि का सम्बन्ध बनाने की बात करते हैं और भारत विरोधी प्रचार द्वारा उनका मत बदल रहे हैं। इसका निवारण करने के लिए, जो मैंने पहले उपाय बताये हैं, वे काम में लाये जा रहे हैं।

श्री स्वैल : नेफा एक ऐसा दुर्गम भू-भाग है जो कि विशाल, दूर-दूर फैला हुआ और बिखरी हुई आबादी वाला है। नागालैण्ड में सुदृढ़ सुरक्षात्मक उपाय करने के बावजूद भी हम नागाओं और मिजो लोगों को बर्मा और चीन जाने से और बाहर के नागाओं को चोरी-छिपे नेफा में आने से रोक नहीं सके हैं। ऐसा समाचार है कि 'जनरल' मोउ अंगामी इस समय नागालैण्ड में

हैं। इन सब बातों को और नेफा के दुर्गम भू-भाग को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट कहने की स्थिति में हैं कि नेफा के आदिम जातीय लोगों ने सीमा पार करके चीन और तिब्बत में प्रवेश नहीं किया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यह मुख्य उत्तर में बता दिया है, मैंने 'नहीं' कहा है।

श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यथासम्भव स्थानों में सीमा-सुरक्षा बल के शिविरों के नजदीक भारत माता का मन्दिर निर्माण करने के लिए क्या किया जा रहा है ताकि उनके लिए यह सम्भव हो सके कि वे अधिक से अधिक आदिम जाति लोगों को वार्षिक समारोहों अथवा समय-समय पर मंदिरों में तथा बसंत ऋतु के फसल काटने के त्यौहारों के समय ला सकें और श्रव्य-दृश्य उपकरण के द्वारा उनसे व्याख्यान तथा बातें कर सकें ताकि उन्हें इस देश के प्रति अभिमान की भावना उत्पन्न हो और वे यह सोचें कि वे उस छोटे से क्षेत्र के नहीं अपितु इस समूचे देश के नागरिक हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक बहुत ही दिलचस्प और लाभदायक सुझाव है। इस पर आगे जाँच की जायेगी।

श्री हेम बरुआ : जब कि नेफा और शेष भारत की सीमा बन्द है और नेफा तथा चीन की सीमा खुली है, अतएव नेफा के लड़के और लड़कियाँ सीमा पार करते हैं तथा चीनियों ने वहाँ परिवहन सुविधाए दी हुई हैं ताकि उन्हें वे छापामार युद्ध में प्रशिक्षण देने तथा विचार परिवर्तन के लिए चीन में ले जाया जा सके। इसलिए वहाँ निरन्तर सावधानी की आवश्यकता है, इसको देखते हुए मैं जान सकता हूँ कि (क) सीमा पर निरन्तर सावधानी बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; (ख) क्या सरकार ने भूमि में मैकमोहन रेखा के अनुसार सीमांकन करने के लिए कुछ किया है जो कि अब तक केवल नक्शे में ही विद्यमान है, (ग) सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाये हैं जिससे शेष भारत के लोग नेफा जा सकें और नेफा के लोगों को शेष भारत में बिना किसी प्रतिबन्ध अथवा रुकावट के आने दिया जाये क्योंकि नेफा के लोग हमारे ही भाई हैं। मेरा तात्पर्य किसी भीतरी प्रतिबन्ध से है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ तक नेफा के लोगों का शेष देश में आने का सम्बन्ध है, इसमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु निश्चय ही अन्य लोगों के उस भाग में जाने पर प्रतिबन्ध है। माननीय सदस्य को मुझसे इसके बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

श्री हेम बरुआ : नेफा भारत का भाग है और जैसा मैंने कहा है कि नेफा के लोग हमारे भाई हैं, आप अन्य लोगों को वहाँ क्यों नहीं जाने देते ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सैद्धान्तिक रूप से यह सही स्थिति है। परन्तु न केवल नेफा में अपितु संवेदन क्षेत्रों में प्रवेश पर भी हमने प्रतिबन्ध लगाया है। अन्य मामलों, जैसे निरन्तर सावधानी रखने आदि के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य सभा में उपस्थित थे। मैं किए गए अन्य उपाय बता चुका हूँ परतु सजगता आदि के बारे में हमने सबसे महत्त्वपूर्ण कदम यह उठाया है कि सीमा के आखिरी गाँव तक को हम प्रशासन के अन्तर्गत ले आये हैं, मैं नहीं चाहता कि वे मुझसे इसके बारे में विस्तार से प्रश्न पूंछे।

श्री हेम बरुआ : लगातार चौकसी रखने से मेरा यह अभिप्राय नहीं था। मेरे कहने का अभिप्राय था कि अग्रिम सीमाओं पर हमारे सैनिक चौकसी रखें ताकि नेफा से लोग चीन न जा सकें।

श्री कार्तिक उराँव : देश-विरोधी कार्यवाहियाँ तथा विघटन की मनोवृत्तियाँ छूत की बीमारी के समान होती हैं। नेफा के इस विशिष्ट क्षेत्र के बारे में हमने कभी यह नहीं सुना कि वहाँ आदिवासी सीमा पार कर गए। परन्तु अब सुन रहे हैं। इसे रोकने का केवल यही उपाय है कि उनका भारतीयकरण कर दिया जाये। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि उन लोगों का भारतीयकरण करने तथा उनमें भारत के प्रति लगाव की भावना उत्पन्न करने के बारे में क्या विशिष्ट और प्रभावपूर्ण उपाय किए गए हैं ताकि वे अनुभव करें कि वे लोग भारत के ही एक अंग हैं और वे भारत के लिये ही कार्य करने का प्रयत्न करें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को समझता हूँ तथा उनसे सहमत हूँ। जो कार्यवाही की गई है उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : चीन ने उन लोगों को वास्तव में क्या प्रलोभन दिया है जिसके कारण वे हमारे देश में रहने की बजाय उधर भाग रहे हैं तथा उन प्रलोभनों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ? गृह-कार्य मंत्रालय के पास इस बारे में अवश्य ही कोई जानकारी होगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें इस क्षेत्र की स्थिति को समझना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं शताब्दियों से ये क्षेत्र सीमा के दूसरी ओर के क्षेत्रों के लोगों के बीच आरक्षित प्रदेश तथा सम्बन्ध जोड़ने वाले दोनों ही प्रकार के हैं। स्वभावतः दूसरी ओर के लोगों के साथ भी उनके सम्बन्ध हैं। चीनी लोग इन लोगों के व्यक्तिगत सम्बन्धों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में यही प्रमुख बात है। यह स्वाभाविक ही है कि चीनी लोग अपने राजनैतिक विचार भी इन लोगों में भर रहे हैं। इस प्रकार वे ऐसे मनोवैज्ञानिक साधन अपना रहे हैं तथा हमें इसका सामना करना है। मैंने किए जाने वाले तीन या चार उपायों के बारे में पहले ही बता दिया है। प्रथम तो हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि हम उनका आर्थिक विकास करने के इच्छुक हैं। हमें अपने प्रशासन के माध्यम से इन लोगों के साथ सम्पर्क रखना है। इसके पश्चात् सांस्कृतिक क्षेत्र में हमें उनके निकट आना है। इस उद्देश्य से राम कृष्ण मिशन तथा सर्वोदय आदि संस्थायें वहाँ कार्य कर रहीं हैं। इनसे बड़े उत्साहवद्धक परिणाम निकल रहे हैं। वहाँ के युवकों को वहाँ की प्रसिद्ध संस्थाओं में लाया जा रहा है। मैंने अहमदाबाद की सरेमास तथा राजस्थान की वनस्थली का उल्लेख किया है। इन संस्थाओं में उनको प्रशिक्षण के लिये लाया जा रहा है। इन्हीं उपायों के द्वारा हम उनमें भावात्मक एकता ला सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : उनमें से कुछ को किन्हीं विश्वविद्यालय में भी लाया गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हाँ, असम विश्वविद्यालय में भी।

श्री बसुमतारी : क्योंकि ये लोग दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिन्हें कि हम भीतरी पंक्ति कहते हैं, उन्हें मैदानों में रहने वाले लोगों के पास आने और उनसे मिलने-जुलने का अवसर नहीं मिलता, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें चीनियों और भारतीयों में कोई अन्तर अनुभव नहीं

होता। बल्कि एक जातीयता के अनुसार वे चीनियों को ही भारतीयों की अपेक्षा अपने अधिक निकट समझते हैं। इस विचार से क्या मैं सरकार से जान सकता हूँ कि इन लोगों का मन जीतने के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं जो कि भीतरी पंक्ति कहलाये जाने वाले इन दूरस्थ क्षेत्रों में कुछ अलग से पड़े हैं। क्या सरकार इस भीतरी पंक्ति को समाप्त करने जा रही है?

श्री यशबन्तराव चव्हाण: मेरे विचार से माननीय सदस्य ने विभिन्न शब्दों में वही प्रश्न पूछा है। मेरा उत्तर वही है।

कच्छ की सीमा की सुरक्षा

*723. **श्री रा० की अमीन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने कच्छ न्यायाधिकरण के पंचाट के फलस्वरूप कच्छ की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो गुजरात की सीमाओं की सुरक्षा के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) कच्छ पंचाट की घोषणा से बहुत पहले कच्छ सीमा की सुरक्षा के लिये सीधी जिम्मेवारी भारत सरकार ने ले रखी थी।

(ख) गुजरात-पाक सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त कदम उठाये गए हैं।

श्री रा० की० अमीन: हमें भली प्रकार ज्ञात है कि इसी सदन में कच्छ पंचाट पर वाद-विवाद के समय प्रधान मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि नर्मदा का जल कच्छ के मरुस्थल में सिंचाई के लिये उपलब्ध किया जायेगा तथा वहाँ बलिष्ठ किसानों को बसाया जायेगा ताकि जो कुछ हानि हमारी सुरक्षा को हुई थी वह इस प्रकार पूरी हो जायेगी तथा इस तरह पाकिस्तानी आक्रमण से गुजरात की सुरक्षा हो सकेगी। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या कच्छ के मरुस्थल में नर्मदा का जल सिंचाई के लिये उपलब्ध कराने तथा वहाँ बलिष्ठ किसानों के बसाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: नर्मदा परियोजना के बारे में तो, मैं समझता हूँ, मुझे यहाँ कोई वक्तव्य नहीं देना है। मेरे विचार से यदि प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा है तो इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रा० की० अमीन: वाद-विवाद के समय यह बात आई थी कि पाकिस्तान इस क्षेत्र को हथियाना चाहता है क्योंकि वहाँ प्राकृतिक गैस तथा तेल के पाये जाने की सम्भावना है। मान लीजिये कि हम उस क्षेत्र को खो देते हैं, तथा साथ ही उनको वहाँ की प्राकृतिक गैस तथा तेल का लाभ भी नहीं उठाने देना चाहते, तो हमें ऐसी सम्भावना बहुत जल्दी ही समझ लेनी चाहिये जैसी कि उन्होंने गुजरात में की। क्या आपने इस बारे में कोई कदम उठाये हैं? इसके बाद, क्या आपने कच्छ के चारों ओर अच्छी सड़कों का निर्माण करने के लिए कोई योजना बनाई है जिससे कि आवश्यकता के समय वहाँ शीघ्रातिशीघ्र सेना पहुँचाई जा सके?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न का अन्तिम भाग ही उत्तर योग्य है। सुरक्षा-प्रबन्धों के लिए हमने सड़कों के विकास हेतु कार्यवाही की है। कुछ सड़कें तो पूरी हो चुकी हैं तथा कुछ परियोजनाएं विचाराधीन हैं? सीमा की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय किए गए हैं।

तेल प्राप्ति के बारे में यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इस बारे में सम्बन्धित मंत्रालय को कह दूं तो मैं यह भी कर दूँगा परन्तु मैं इसका कोई संतोषजनक ढंग से उत्तर नहीं दे सकता।

श्री रा० को० अमीन : क्या आप कह देंगे? हमें इस बारे में बड़ी चिन्ता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं अपनी और आपकी चिन्ता के बारे में उन्हें बता दूंगा।

श्री पी० एम० मेहता : कच्छ पंचाट से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए, क्या मैं सरकार से जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने भविष्य में कच्छ की सुरक्षा के बारे में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए गुजरात में सीमा सड़कों तथा तटीय राजपथों के निर्माण के बारे में विचार किया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सभी सड़कों के बारे में तो नहीं कह सकता परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझी जाने वाली कुछ सड़कों के बारे में गुजरात सरकार से मिल कर अवश्य विचार किया गया है तथा वह सरकार यह कार्य कर रही है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the hon. Minister is aware of the facts that at the time of merger of Kutch State with India and its reorganisation as a Union Territory under class "C" it was stated that since Kutch territory would not be able to ensure its own security and development, this territory should, therefore, be taken over by the Union Government, if so, I would like to know from the hon. Minister what work has since been done in this regard and at the same time whether he is aware that a people's council was established which, with the help of some teachers, approved certain recommendations, and whether the recommendations have been received by Government, and also whether Government are considering them ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ तक प्रश्न के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है, मैंने इस सम्मेलन के बारे में पढ़ा है परन्तु मुझे इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है? सम्भव है उन्होंने भेजा हो और अभी मार्ग में ही हो। मैं उन पर अवश्य ही विचार करूँगा। प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में मुझे किसी विशिष्ट समझौते की जानकारी नहीं है। मुझे इसके लिये सूचना मिलनी चाहिए परन्तु यह एक धारणा थी। पहले पहल जब यह रियासत भारत में विलीन हुई तब यह एक पृथक राज्य थी। इसके बाद, वर्ष 1956 में इसका बम्बई राज्य के साथ विलय हुआ। मैं अपने ही अनुभव से बता सकता हूँ क्योंकि मैं उस राज्य का मुख्य मंत्री था, कि उस समय हमने इस रियासत की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए थे। यदि माननीय सदस्य को याद हो तो उस समय छाड़-बेट में एक घटना हुई थी तो सेना और पुलिस ने कुछ कार्यवाही की थी। मुझे याद है कि मैं वहाँ मुख्य मंत्री के नाते गया था तथा वहाँ के प्रबन्ध मैंने देखे थे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : आपत-काल के समय मैं कच्छ में था। खावदा तथा अन्य क्षेत्रों के समीप सुरक्षा सेनायें थीं। क्या मैं गृह-कार्य मंत्री से जान सकता हूँ कि खावदा के इलावा, राज्य रिज़र्व पुलिस भी कंजरकोट तथा छाड़बेट के क्षेत्रों की निगरानी कर रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मुझे इसके लिये सूचना चाहिए।

श्री बलराज मधोक: इस तथ्य को देखते हुए कि कच्छ के रन का दूसरा भाग जो कि एक चपटा क्षेत्र है पाकिस्तान को दे दिया गया है तथा जहाँ से पाकिस्तान सैनिक कार्यवाही कर सकता है, और क्योंकि कच्छ के रन में लोग नहीं बसाये जा सकते क्योंकि वर्ष के लगभग 6–7 महीने तक वहाँ कोई गतिविधि नहीं होती जब कि वहाँ कुछ ऐसे ऊँचे स्थान हैं जहाँ कुछ न कुछ कार्य किया जा सकता है; और इस दृष्टि से भी कि कच्छ पंचाट द्वारा कच्छ के रन का दूसरा भाग पाकिस्तान को इस आधार पर दे दिया गया है कि वहाँ पाकिस्तान द्वारा कुछ गतिविधियाँ की जाती रही हैं—जैसे कि उनके पशु वहाँ चरते रहे हैं; और इस विचार से भी कि वहाँ के कुछ लोग पगारो के पीर के प्रभाव में हैं जिसने कि पाकिस्तान से हुए पिछले संघर्ष के दौरान फतवा दिया था; इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने इस बारे में कुछ ध्यान दिया है कि कच्छ के रन के विगोकोट, छाड़बेट व अन्य उजड़े क्षेत्रों में कुछ कार्य किया जाये ताकि पाकिस्तान उन क्षेत्रों का अतिक्रमण न करे तथा फिर ऐसी ही परिस्थितियाँ उत्पन्न न करे जिनसे कि यह कच्छ पंचाट अस्तित्व में आया; और उस क्षेत्र में लोगों की जाँच करके वहाँ भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जाये ताकि बिना आबादी के उस विशाल बंजर क्षेत्र की पूरी तरह रक्षा की जा सके?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: जहाँ तक इस ओर के क्षेत्र का सम्बन्ध है हमने उस क्षेत्र की पूरी चौकसी करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। मेरे पास उन स्थानों की सूची नहीं है अन्यथा वह मैं पेश कर देता। हमने निश्चय ही इस बात का ध्यान रखा है।

श्री बलराज मधोक: वहाँ दो या तीन स्थान ऐसे हैं जहाँ अधिकार किया जा सकता है। वहाँ विगोकोट एक स्थान है। वर्ष 1963–64 के दौरान हमने वहाँ कुछ सेना भेजी थी परन्तु बाद में वापस बुला ली थी। अब वहाँ कोई सेना नहीं है। मैंने स्वयं उस क्षेत्र को देखा है। कच्छ के रन के ऊंचे क्षेत्रों में सेना की टुकड़ियाँ भेजी जानी चाहिये ताकि ऐसी स्थिति फिर कभी उत्पन्न न हो।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यही बात मैंने कही है।

Shri George Fernandes : The hon. Minister of Home Affairs has just stated that at the time when he was the Chief Minister of Bombay he took care to protect all the areas of Kutch. But no action was taken to construct road upto Khora in Kutch and all that construction work was done after the conflict of 1965. Is it not a fact that the protection of Kutch is almost impossible unless the development work is undertaken in that area of Kutch because more than double the population of Kutch reside out of Kutch at present ? Is there any scheme to develop those areas and to call back those people residing out of Kutch ? The protection should not only be given to Rann of Kutch but also to the entire border along the river bank which is about 350 miles. Not a single day passes when a boat or motor launch or ship etc. do not enter Kutch waters and take some persons from there. It is one of the notorious places for smuggling in the world. Taking all this into consideration, is there any scheme to protect the Kutch area ?

श्री यशवल्तराव चव्हाण: माननीय मंत्री ने सामान्य प्रश्न पूछा है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज: यह एक विशिष्ट प्रश्न है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: माननीय मंत्री ने जो मुख्य प्रश्न उठाया था वह कच्छ के विकास के सम्बन्ध में था। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि जब तक वहाँ आर्थिक विकास नहीं किया जायेगा तब तक देश की सीमाओं की रक्षा करना असम्भव होगा। यह रक्षा का सर्वप्रथम सिद्धान्त है।

मैं माननीय मंत्री के इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि कच्छ का विकास इसलिये किया जाना चाहिये कि कच्छ के बाहर निवास करने वाले लोगों को वहाँ बसाया जा सके...

Shri Madhu Limaye: He did not mean that they should be taken out from other areas. We have also done something for Kutch.

Shri George Fernandes: The Kutch is spread over a 17,000 square miles area. Kutch is its biggest district. More than double the population of the people actually residing in that District moves out for employment because there are no means of livelihood. There are no factories. There is no farming. Therefore, some develpment should be done there so that the people may return.

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ। यह सच है कि वहाँ कृषि का विकास नहीं हुआ है। वहाँ आर्थिक विकास नहीं हुआ है लेकिन जनशक्ति बहुत उपयोगी है। कच्छ के बाहर के लोग बहुत सुखी हैं। जब कच्छ के लोग देश के किसी भाग में जाते हैं तो वे उसके लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। (अन्तर्बाधायें)

Shri George Fernandes : You did nothing in that area while you were Chief Minister there.

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैंने अभी तक अपने भाषण में कोई गलत वक्तव्य नहीं दिया है। (अन्तर्बाधायें) अधिक परिश्रम का फल मिलता है। एक व्यक्ति कितने ही प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। दूसरा प्रश्न नदी के किनारे पर सतर्क रहने के बारे में उठाया गया था। यह सच है कि कुछ समय पूर्व बहुत बड़ी संख्या में वहाँ छोटी नावों ने पहुँचने की कोशिश की। सौराष्ट्र में भी तट के किनारे कुछ नावें आ रही थीं। शायद वे तस्कर व्यापार के उद्देश्य से आई थीं; इस बीच हम तट पर अधिक सतर्क रहे हैं। तटों पर कुछ निगरानी भी रखी गई है और इस समय कुछ क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा दल को उन क्षेत्रों, विशेषकर तटवर्ती क्षेत्रों के सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया है। मुझे विश्वास है कि कुछ समय पश्चात् हम इसे पूर्णतया रोकने में समर्थ हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है वह बहुत उपयोगी है और हम उसका अनुसरण करेंगे।

Sri Atal Bihari Vajpayee: In reply to a question from Shri Madhu Limaye, the Home Minister stated that our army went for the defence of Chadbet in 1956 and later on the present Home Minister who was then Chief Minister, also visited that area. Is the present Home Minister aware that in connection with the appeal made in Delhi High Court and Supreme Court against the decision of the Kutch Tribunal it was stated by Government of India that our army entered there in 1956 forcibly and this territory did not belong to us ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: इससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मेरे पास विस्तृत जानकारी

नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देना किसी के भी हित में नहीं होगा। ऐसा करना मेरे तथा सभा के हित में नहीं होगा।

Infiltrators in Jammu and Kashmir State

*724. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Dr. Sushila Nayar :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that infilterators have againt started comirg into the Jammu and Kashmir State ;

(b) whether some infiltrators had also been arrested some time back ; and

(b) if so, whether Government have come to know of certain secrets from them ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। अभी हाल में नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Prakash Vir Shastri : Has the Home Minister received any information if ar pro-Pak elements such as Plebescite Front etc., who give protection to them are not there in the State ?

Some incidents like that have occurred recently in the State. Two persons, who have been sentenced to death, have also escaped from the Jail. They could not escape without the co-operation of Jail authority. Taking all these things into consideration I want to know whether such a situation has been arising slowly in which the Pro-Pakistani elements are giving shelter to these infiltrators. If so, what action is being proposed to be taken against them ?

Secondly, you have stated that any talk by any party or a person for segregation of any territory of the country from the rest of the country will be regarded as treason. Why an organisation like Plebiscite Front has been permitted to carry on its activities in the State ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने जो दो कैदियों के भाग जाने के बारे में उल्लेख किया वह सच है। लेकिन इस मामले की बहुत कड़ी जाँच की जा रही है। इस बात का पता लगाया जायेगा कि क्या इस मामले से कोई जेल अधिकारी या अन्य कर्मचारी सम्बन्धित थे। हम इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। जम्मू और काश्मीर सरकार भी स्वयं इस मामले में कार्यवाही कर रही है और भारत सरकार भी इस मामले में राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए है। यह सोचना युक्तिसंगत है कि वहाँ पर जासूसी करने वाले तत्त्वों को समय-समय पर सामप्त किया जा रहा है फिर वहाँ कुछ ऐसे तत्त्व काम कर रहे हैं, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता । चूंकि इन तत्त्वों का पता लगता जा रहा है । काश्मीर सरकार भी इस मामले में सतर्क है और उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है।

Shri Prakash Vir Shastri : One of my question was that since an Act has been passed in Parliament under which any activity for separation of a State from the country by any person or party will be regarded as an act of treason, why no action has been taken against the Plebiscite Font ? Why its activities have not been banned ?

My second question was whether after taking proper precautions after 1965 some infiltrators have entered Kashmir and they have the hand behind sabotage in Kashmir and the names of those places and the number of the infiltrators ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास कुछ आँकड़े हैं और माननीय सदस्य जब मुझे मिलेंगे तो मैं वे आँकड़े उन्हें दे दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं यह आँकड़े देना नहीं चाहता। 1965 के बाद राज्य में घटी घटनाओं के आँकड़े मैं अवश्य माननीय सदस्य को दूंगा।

उन्होंने पहला प्रश्न यह उठाया है कि उन घुसपैठियों के सम्बन्ध में हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं जो इन वर्षों में आते रहे हैं। शायद उनका तात्पर्य यह है कि हम विधि विरुद्ध गतिविधियाँ अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही कर रहे हैं? इस विधेयक पर चर्चा के दौरान हमने सभा में स्पष्ट कर दिया था कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने से पूर्व हमें बहुत ही व्यावहारिक राजनीतिक मूल्यांकन करना होगा। हम जानते हैं कि कुछ लोग जनमत की बात करते हैं परन्तु हम इस स्थिति का व्यावहारिक मूल्यांकन करेंगे। हमें इस बारे में विचार करना होगा कि हम उन-पर अभी कानूनी कार्यवाही करें अथवा उनके साथ राजनीतिक ढंग से निपटने का प्रयत्न करें। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में अभी से कार्यवाही करना ठीक नहीं होगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: समय-समय पर जम्मू तथा काश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान से गुप्तचर, जिनमें महिला गुप्तचर भी सम्मिलित हैं, आने के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। पाकिस्तान के बहुत से तोड़-फोड़ करने वाले व्यक्ति और घुसपैठिये गिरफ्तार भी किए गए हैं। इन बन्दियों से सरकार को क्या सुराग मिले हैं? क्या इनसे यह पता चलता है कि आगामी महीनों में जम्मू तथा काश्मीर में अधिक तोड़-फोड़ और घुसपैठ की जायेगी?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: वर्ष 1965 के बाद घुसपैठियों की वह हलचल तो नहीं थी परन्तु जासूसी की कुछ घटनायें होती रही हैं। तब से हमें जिस प्रकार की गतिविधियों का पता चला है उनके सम्बन्ध में हमने दो प्रकार के दृष्टिकोण अपनाये हैं, जो लोग तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में लगे हुए हैं, वे शायद विद्यार्थियों से लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे विद्यार्थी वर्ग में घुसपैठ करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हाल ही में इस प्रकार की गतिविधियों से सम्बद्ध विद्यार्थियों के एक गिरोह का पता चला था। अब शायद वे सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वालों में सक्रिय होने का प्रयत्न करेंगे। हमें इस बात का पता है और हम इस पर निगरानी रखेंगे।

श्री प० गोपालन: निस्संदेह काश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ सख्ती से निपटना चाहिये। परन्तु घुसपैठियों और देश की सुरक्षा के नाम पर राज्य सरकार ने वहाँ पर आतंक फैला रखा है। बहुत से राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं और सरकारी कर्मचारियों को झूठे आरोप लगा कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्ष 1965 में उस राज्य में जो सर्वोदय शिष्टमंडल गया था उसने भी अपने प्रतिवेदन में इस समस्या पर विस्तृत प्रकाश डाला था और जम्मू तथा काश्मीर में निरपराध व्यक्तियों पर पुलिस अत्याचार कर रही है। जनता को सभी लोकतंत्रीय अधिकार दिला कर और वहाँ की जनता की जान और माल की सुरक्षा प्रदान कर उनका विश्वास प्राप्त करने के लिये सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: यह एक दूसरी बात है। पहले यह पूछा जा रहा था कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध हम कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री उमानाथ: क्या यह सच नहीं है कि बहुत से सरकारी कर्मचारी 'कलम-छोड़ो' हड़ताल में भाग लेने के कारण कई महीनों से जेल में बन्द पड़े हैं और उन्हें उनके परिवारों से 250 मील दूर जेल में भेज दिया गया है?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: मेरे विचार में किसी निरपराध व्यक्ति को काश्मीर में तंग नहीं किया जा रहा है। श्री सादिक बहुत उदार राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। मेरे विचार में वह निरपराध व्यक्ति पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्रीमती सुशीला रोहतगी: क्या सरकार उन लोगों को कुछ वित्तीय सहायता देती है जो घुसपैठियों का अता-पता बताते हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: हम इस प्रकार धन का अपव्यय नहीं कर सकते। धन का उपयोग ठीक ढंग से किया जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : No doubt, a number of Paskistani spies are carrying on their activities in Kashmir but there are many people in Kashmir itself who get financial help from Pakistan. Is it a fact that Sheikh Abdullah and Plebiscite Front have contacts with Pakistan and they get financial assistance from thems ; if so what action is being taken by the Government against these people ? Is it a fact that in an incident in Islamia College certain students and Pakistanies tried to snatch N. C. C. rifles ; if so what action has been taken against such elements ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: मैंने यह पहले बता दिया है कि विद्यार्थियों के एक ऐसे गिरोह का पता चला था और उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। इससे हमें इस बात का पता चल गया है कि वे शायद काश्मीर के अन्य भागों में भी इस प्रकार के कार्य करें। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कुछ लोगों के सम्बन्ध पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ हैं और कुछ लोगों को वित्तीय सहायता भी मिलती है। शेख अब्दुल्ला के बारे में उपयुक्त जानकारी प्राप्त किए बिना मैं कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। मेरे पास इस समय कोई प्रमाण नहीं है।

श्री बलराज मधोक: श्री सादिक के पास इस बात का साक्ष्य है।

Shri Kunwar Lal Gupta. Shri Shukla had admitted in the House as well as in Rajya Sabha that Sheikh Abdullah was getting money from abroad but now its being said that there is no evidence with them. I want to know as to from whom he is getting money and what action has been taken against them ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूँ। मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि श्री सादिक ने क्या कहा है। जिस बात का प्रमाण मेरे पास हो, मैं वही कह सकता हूँ। श्री विद्याचरण शुक्ल की बात मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि वह इस बात से न तो इन्कार करते हैं और न ही इसकी पुष्टि करते हैं और उन्होंने यही कहा था। मैंने उनसे पूछ भी लिया है।

श्री कंवर लाल गुप्त: उन्हें शेख अब्दुल्ला को बिल्कुल मुक्त नहीं करना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सम्बन्ध में सभा की कार्यवाही देखी जानी चाहिये। परन्तु मैं उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से ही कोई वक्तव्य दे सकता हूँ। मैं शेख अब्दुल्ला के स्तर के व्यक्ति के बारे में निराधार आरोप नहीं लगा सकता। माननीय सदस्य को भी ऐसा नहीं करना चाहिये। यह बहुत नाजुक स्थिति है और हम बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों और मामलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अतः हमें काफी सतर्क रहना चाहिये।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य: मैं एक महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूँ तो मुझे अन्य माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने के अवसर से वंचित करना पड़ता है। अतः यह सम्भव नहीं है।

कलकत्ता पत्तन की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिये समिति

*725. †**श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री भारत सिंह चव्हान :
श्री गणेश घोष
डा० रानेन सेन :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री टी० पी० शाह :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री 26 जुलाई 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1080 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच कलकत्ता पत्तन आयुक्तों की वित्तीय स्थिति की जाँच करने के लिये नियुक्त समिति के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त जाँच-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) क्या उपरोक्त प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

श्री पी० सी० भट्टाचार्य को कलकत्ता पत्तन आयुक्तों की वित्तीय स्थिति की जाँच करने को कहा गया है और व्यय में मितव्ययता करने तथा कमाई को बढ़ाने के लिए सिफारिश करने को कहा गया है और वित्तीय सहायता, यदि ऐसी सहायता केन्द्रीय सरकार ने देनी है और यदि हाँ तो किस रूप में देनी है, इस पर भी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

कमाई को बढ़ाने और मितव्ययता के प्रश्न पर श्री भट्टाचार्य की सिफारिश निम्न प्रकार थी :—

(1) पत्तन आयुक्तों की समस्या की सीमा को निश्चित करने के लिए और अधिशेष

व्यक्तियों के सम्बन्ध में नीति अपनाए जाने के लिए पत्तन सिब्बन्दी में अधिशेष व्यक्तियों की समस्या पर विस्तृत जाँच करनी चाहिए।

(2) आयुक्तों को मितव्ययता के लिए सभी संभव उपाय के अनुसरण जारी रखने चाहिए।

(3) परिचालन के अच्छे तकनीक को अपनाने, जीर्ण-शीर्ण उपकरणों व मशीनों व अधिशेष पथ को रद्द करके पत्तन रेलवे के परिचालन पर नुकसान को कम करने के उपायों पर विचार करे और इस समस्या को रेलवे-विशेषज्ञों से जाँच करवा लेनी चाहिए थी।

(4) आयुक्तों को अपने भूमि व इमारतों से कमाई बढ़ाने का क्षेत्र का भी तत्काल अन्वेषण किया जाना चाहिए।

पत्तन आयुक्तों को इन सिफारिशों को कार्यन्वित करने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं।

पत्तन प्रभार के बारे में श्री भट्टाचार्य का यह विचार है कि इसमें वृद्धि की इस समय कोई गुंजाइश नहीं है और पत्तन आयुक्तों की वित्तीय स्थिति आने वाले कुछ वर्षों तक कठिन रहेगी।

परिणामी घाटे को पूरा करने की दृष्टि से श्री भट्टाचार्य ने दो सिफारिशें की हैं:—

(क) हल्दीया परियोजना के लिए ऋण की शर्तें इस प्रकार निश्चित की जानी चाहिए कि व्याज प्रभार का कोई भी भाग राजस्व खाते में 1974–75 तक भी डाला जाय और उस वर्ष तक का देय व्याज पंजीकृत किया जाय।

(ख) स्थायी तीर नदी निकर्षण और ऋण प्रभार के सहित नदी रख-रखाव के कुल लागत का 80 प्रतिशत सरकार को अनुदान देना मानना चाहिए।

इन विषय-वस्तुओं पर जाँच की जा रही है। इसके अलावा, श्री भट्टाचार्य ने सिफारिश की है कि पत्तन आयुक्तों का क्षेत्र भारतीय पत्तन अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण के रूप में फराका फीडर नहर के गिराव तक बढ़ाया जाना चाहिए और भागीरथी के सुधार के लिए आवश्यक पूंजी कार्यों की लागत पत्तन आयुक्तों को अनुदान के रूप में देना चाहिए। यह सिफारिश भी विचाराधीन है। यह आशा की जाती है कि बाकी सिफारिशों पर सराकार का निर्णय जितनी जल्दी हो सके लिया जायगा।

(ग) जुलाई 1968 में रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्तन आयुक्तों को टिप्पणी देने को कहा गया। उन्होंने प्रस्ताव पर बैठक में विचार-विमर्श किया और उनकी सरकारी सिफारिशें 19 नवम्बर, 1968 को मिलीं।

(घ) रिपोर्ट की प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

Shri Hardayal Devgun : The major problem has not been dealt with in the Statement placed on the Table. There was a loss of Rs.3.12 lakhs in 1966-67 to the Calcutta Port. I want to know how this loss is going to be compensated. Moroever a concern is being expressed about the deteriorating condition of the Port, its level is rising and cargo is reducing resulting in fall in its income. The importance of Calcutta Port is declining. I want to know the steps being taken to improve the condition of this Port ? (अन्तर्बाधा)

डा० वी० के० आर० वी० राव: माननीय सदस्य ने पूछा है कि 1966–67 में हुई लगभग 3 करोड़ रुपए की यह हानि किस प्रकार पूरी की जायेगी। 1967–68 में पत्तन शुल्क बढ़ाने से यह हानि कम हो कर 1.11 करोड़ रुपए हो गए हैं। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, वास्तविक समस्या यह है कि कलकत्ता पत्तन की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है जिसका एक कारण तो यह है कि तलकर्षण और गाद आदि जमा हो जाने के कारण पत्तन अपने सभी वचन ठीक तरह से पूरा नहीं कर सकता। इसका एक और कारण यह भी है कि पत्तन को तलकर्षण पर 7 से $7\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए तक व्यय करना पड़ता है। यही कारण है कि भारत सरकार ने श्री पी० सी० भट्टाचार्य की अध्यक्षता में पत्तन की स्थिति की जाँच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है। उसकी सिफारिशें अब सरकार के विचाराधीन हैं और इससे पत्तन की वित्तीय स्थिति के बारे में पर्याप्त राहत मिलेगी।

Shri Hardayal Devgun: My second question is this that since Bhattacharya Committee has not given any specific report regarding modernisation and drainage, I would like to know whether Government will look to the question of dredging and modernisation of that port and and dredging of Bhagirathi river after construction of Farakha dam ?

डा० वी० के० आर० वी० राव: हल्दिया पत्तन पर निर्माण-कार्य हो रहा है और उससे कलकत्ता बाँध की पूर्ति के साथ कलकत्ता पत्तन की समस्यायें स्थायी रूप से हल हो जायेंगी।

भट्टाचार्य समिति ने भागीरथी नदी को नियंत्रित करने के लिये सिफारिश की है क्योंकि फरक्का बाँध से जल छोड़े जाने के कारण यह कार्य शुरू करना होगा और इस कारण पत्तन आयुक्तों का क्षेत्राधिकार फरक्का बाँध से निकलने वाली नहर तक बढ़ा दिया जाना चाहिये। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा इस सम्बन्ध में जो कार्य शुरू किए जाने हैं, उसकी वित्त-व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जानी चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी: इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस देश में उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार में कलकत्ता पत्तन न्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्भाग्य की बात है कि भारत के इस महत्वपूर्ण पत्तन के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। क्या माननीय मंत्री को पश्चिम बंगाल राज्य के लोगों की इस भावना की जानकारी है कि भारत सरकार ने कलकत्ता पत्तन के आधुनिकीकरण के लिये पत्तन आयुक्तों को पर्याप्त धन नहीं दिया है? क्या उस राज्य के इन विचारों को दूर करने के लिये क्या कोई सक्रिय सहायता दी जायेगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव: सरकार केवल कलकत्ता पत्तन के बारे में पश्चिमी बंगाल के लोगों की भावनाओं के बारे में ही नहीं जानती बल्कि वह स्वयं भी इस बारे में जागरूक है। यही कारण है कि पत्तन के वित्तीय संसाधनों की जाँच करने के लिये तथा सिफारिशें करने के लिए श्री भट्टाचार्य की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की है। उनके प्रतिवेदन की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रखी गयी है और उसकी सिफारिशों पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है।

श्री स० चं० सामन्त: श्री भट्टाचार्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पत्तन शुल्क में अग्रेतर वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने सिफारिश की है कि नदी तलकर्षण की कुल वार्षिक लागत का 80 प्रतिशत देने के लिये सरकार को सहमत हो जाना चाहिये। यदि सरकार यह सिफारिश स्वीकार कर ले तो कितने प्रतिशत कमी पूरी हो जायेगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे लिये यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने प्रतिशत कमी पूरी हो जायेगी क्योंकि कमी का हिसाब वर्ष-वार नहीं लगाया जाता बल्कि हल्दिया पत्तन के चालू होने तक 1974–75 तक का इकट्ठा हिसाब लगाया जाता है। 80 प्रतिशत व्यय के बारे में भट्टाचार्य समिति की यह सफारिश एक महत्वपूर्ण सिफारिश है। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि 1974–75 तक हल्दिया पत्तन के खाते में कोई ब्याज न डाला जाये अथवा राशि न लौटाई जाये। यदि यह दोनों सिफारिशें स्वीकार कर ली जायें तो कमी बिल्कुल नहीं रह जायेगी।

श्री लोबो प्रभु : मंत्री महोदय कलकत्ता पत्तन में हानि के लिए प्रकृति पर दोष डालते हैं। परन्तु श्री भट्टाचार्य ने इसके चार कारण बताये हैं। क्या माननीय मंत्री ने मंत्रालय तथा पत्तन में हानि के लिये जिम्मेवार व्यक्तियों का पता लगाने का प्रयत्न किया है और क्या उन्होंने पता लगाया है कि कर्मचारियों की संख्या अधिक होने, मितव्ययता न करने तथा उपलब्ध भूमि आदि का प्रयोग न करने के कारण हानि के लिये जिम्मेवार व्यक्ति कौन हैं?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे संदेह है कि माननीय सदस्य इस तथ्य को नहीं मानते कि कलकत्ता पत्तन की बिगड़ रही स्थिति का मुख्य कारण नदी में गाद जमा होना है। कई वर्षों से भागीरथी नदी में गंगा से जल ठीक प्रकार से नहीं आ रहा है। यही कारण है कि हम फरक्का बाँध को इतना अधिक महत्व दे रहे हैं। बाँध बन जाने के बाद ही नदी में उचित तलकर्षण सम्भव हो सकेगा। कलकत्ता पत्तन में व्यय में वृद्धि का मुख्य कारण नदी के तलकर्षण शुल्क में वृद्धि है। यह वृद्धि दस गुणा है। व्यय 70 लाख से बढ़ कर 7 करोड़ हो गया है... **(अन्तर्बाधायें)**

अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली

*726. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनियमितताओं, 'चोरी' स्टाक की कमी तथा आग लगने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के स्थापित होने से अब तक कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या इन मामलों की जाँच की गई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह) : (क) से (ग) यदि कोई अनियमितताएं इत्यादि होती हैं तो वे लेखा परीक्षा के दौरान नोट की जाती हैं तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनका उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबद्ध वार्षिक लेखे के साथ प्रतिवर्ष सभा-पटल पर रखी जाती है।

Shri Prem Chand Verma : May I know whether it is a fact that the purchases were made at Asoka Hotels without calling for tenders and rooms were not allotted to customers even when they were not occupied **(Interruptions)**

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : I have no such information.

श्री सु० कु० तापड़िया : उत्तर प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, वह आधे घंटे की चर्चा की माँग कर सकते हैं।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Murder of a Harijan Leader in Madhya Pradesh

*12. †**Shrimati Minimata Agam Dass Guru : Shri Madhu Limaye:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that a renowned Harijan leader Bhagbali has been murdered during November last in Mangeli area of Madhya Pradesh where 5 Harijans were killed during January last ;

(b) whether it is a fact that this incident has created a feeling of terror among the Harijans of this area and they are fleeing from there leaving behind their land and property ; and

(c) the action taken by Government to control the situation and to punish the guilty ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government have reported that it is not a fact that the incident has created a feeling of terror amongst Harijans of that area and that they are fleeing from there, leaving behind their land and property.

(c) All the 5 assilants have been arrested and the case is under investigation.

Shrimati Minimata Agam Dass Guru : Is the hon. Minister aware that election are going to be held there and Shri Bhagbali was a candidate. He has been murdered with a political motive ?

Shri Vidya Charan Shukla : According to the information supplied by the State Government it apears that municipal elections are going to be held there and Shri Bhagbali was one of the candidates. Because of his murder the elections for that ward have been postponed. It is difficult to say whehter any political motive was behind this murder or not.

Shrimati Minimata Agam Dass Guru : Whether it is a fact that the police there are arresting the families of Harijans and are beating them in order to terrorise them ?

Shri Vidya Charan Shukla : According to the information supplied by the State Government this is not so. However the police are making investigations.

Shri Madhu Limaye : When I gave notice of this question another incident took place in the Arcot district of Madras State in regard to which I have received a telegram, I gave notice of that also. I was told that my name had been clubbed with Shrimati Minimata whose question had been admitted. While clubbing my name, the incident of Madras should have been added to this question. I shall seek information about that also.

I do not want to bring party politics into this matter. But in this murder of the Satnami leader Bhagbali, the caste Hindus are putting undue pressure on the police officers and it is being made a family affair. His grandson has been arrested and his widow has been put under house arrest. Is this information correct ?

If the hon. Minister is posted with the information about the Arcot incident, he should give that information also.

The atrocities being committed on the Harijans in the various States should be enquired into by the parliamentary committee set up for the purpose.

Shri Vidya Charan Shukla : We have received complaints that undue pressure is being put on the police there. Whether these complaints are true or not I cannot say categorically. But the State Government has repudiated it that any undue pressure is being put.

So far as the question of arrest of his grandson is concerned, the State Government has not sent us up-to-date information. We shall enquire about it from them.

I do not know whether the parliamentary Committee was appointed, or whether it has bene appointed or not. If it has been appointed we shall certainly do whatever is possible under the terms of reference of the said committee.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have also received a telegram about the incident in the Madhya Pradesh alleging that the police is trying to involve the relatives of the deceased. The witnesses are being beaten mercilessly to extort wrong statements from them and an effort is being made to save the actual culprits. It is not a question of which party is ruling there. Government should get this matter investigated though their own C. I. D. It need not be against the State Governments. Both these can be parallel so that the facts may come to light.

There is a news from Kashi that in the Kashi Vidyapeeth Harijan students were beaten. 39 of them have been beaten so far. I want to know what action Government are taking in this matters. Do they want to absolve themselves of this responsibility. Are they ready to institute an equiry through their own agency ?

Shri Vidya Charan Shukla: We do try to get informaton through our agencies in all such cases. But it is proper to proceed on the basis of information supplied by the State Government. We shall certainly enquire from the State Government about the complaints. The State Goernment will be asked to set them right.

श्री शंकरानन्द : मुझे भारी खेद है कि सराकारी तथा निजी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये तो पुलिस है परन्तु लोगों की रक्षा करने के लिए कोई पुलिस नहीं है। जब से मैं संसद् सदस्य बना हूँ मैंने देखा है कि सभा में तो हरिजनों पर की गई ज्यादतियों पर गहरी चिन्ता व्यक्त की जाती है परन्तु बाहर कुछ और ही देखने को मिलता है। इसमें दलीय राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है। प्रत्येक राज्य में चाहे वहाँ पर काँग्रेस की सरकार हो या गैर-काँग्रेसी सरकार हो इस तरह की चीजें हो रही हैं। क्या हरिजनों की रक्षा करने के लिए सरकार एक हरिजन पुलिस दल बनाने जा रही है? इस पुलिस में मुख्य रूप से हरिजन ही रखे जाने चाहिये क्योंकि स्वर्ण हिन्दू पुलिस अधिकारी हरिजनों के हितों की ओर ध्यान नहीं देते। सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है?

श्री विद्याचरण शुक्ल: पुलिस राज्यों का विषय है इसलिये केन्द्रीय पुलिस का प्रश्न ही नहीं है। मई 1968 में हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक में गृह-मंत्री ने मुख्य मंत्रियों से कहा था कि उन्हें समाज के दुर्बल वर्गों के हितों को बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा करने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिये। हम उन्हें यही कहते रहते हैं और मुख्य मंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे ऐसा करने की कोशिश करेंगे।

Shri Ram Sewak Yadav: The news of atrocities on the Harijans have been appearing in the newspapers daily. I think the Home Minister has particularly got this matter enquired into to find out the basic factors responsible for these atrocities on them. Is it a fact that the police officials instead of protecting them are commiting excesses on them ?

What have the Government done to stop harassment of the Harijan students of Kash-Vidyapeeth ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is correct that we sould try to find out the root cause of this trouble and also how we can stop it. I think the parliamentary committee will certainly go into this matter.

So far as complaints about the police are concerned, we receive such complaints from time to time. Everywhere it ss not so. Somewhere they do indulge in such things. Such cases are investigated and action is taken against the guilty officers.

I have no information about the Kashi Vidyapeeth now.

Shri G. S. Mishra : The grandson of Bhagbali was beaten by the police on the 12th instant. The hon. lady member was harassed in her village. Police came to her house on the 12th but she was not there. There is danger to her life. She should be given protection.

Shri Vidya Charan Shukla : We shall convey the concern expressed by the hon. member to the State Government and ask them to take proper action.

Shri Hukam Chand Kachwai : Harijans are beaten and their houses set on fire. Do Government propose to make any arrangements for providing them immediate relief in consultation with the State Governments ?

So far as excesses by the police on Harijans are concerned do government propose to give more representation to these classes in the police force?

Shri Vidya Charan Shukla : So far as the question of payment of copensation is concerned it is the responsiblity of the State Governments. In exceptional cases, for instance, in the Mungeli case some money was given from the Prime Minister's Fund also.

So far as the question of recuritment of Harijans in the police force is concerned the attention of the State Governments and others concerned is drawn to the requirement of giving them adequate representation in such services.

Shrimati Agam Dass Guru Minimata : I want to know from the Minister the reasons for not distributing the aid given by the Prime Minister in respect of Mungheli incident so far inspte of the fact that there is no provision for food and farming for those people.

Shri Vidya Charan Shukla : I have no full information. But as far as I know an amount of Rs.twenty thousand rupees was given from the Prime Minister's Fund. The State Government have informed us that four or five thousand rupees were distributed and regarding the balance the State Government had asked how to spend it.

Shrimati Agam Dass Guru Minimata.—Mr. Deputy Speaker, the State Government have sent this report that there is complete peace but the Harijans of the whole village are fleeing to other places. And at the ritual of tenth day after the death of Shri Bhagbali, there were ten or twenty thousand people there and they were forcing me to march and ask the Central Government where they will be settled and what arrangement will be made for their protection because there is no arrangement for their security. But I stopped them.

Shri Vidya Charan Shukla: Mr, Deputy Speaker, such kind of informations generally pour in but we have to depend on the information given by the State Government which is official. But what the Hon. Member has brought to our notice, we will bring the same to the notice of State Government and ask them to make suitable arrangement.

श्री सोमचन्द सोलंकी : मैं गृह-कार्य मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या संविधान में

ऐसे मौलिक अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की व्यवस्था है जिससे कि स्वर्ण हिन्दू हरिजनों को बिना किसी आपराधिक कार्यवाही के पीटें।

श्री विद्याचरण शुक्ल: माननीय सदस्य अपने ही तरीके से सभा का ध्यान इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर दिला रहे हैं। हमने कई बार इस पर चर्चा की है। यह एक ऐसी समस्या है जो विद्यमान है और हमें इसे सुलझाना है।

श्री क० लकप्पा: भारत में प्रधान मंत्री से ले कर साधारण आदमी तक अपने दिल को टटोले और बताये कि क्या यह सच नहीं है कि बहुत से राज्यों में हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया और स्वर्ण हिन्दुओं ने उनकी हत्या की तथा हरिजन महिलाओं पर बलात्कार किया गया। यह ऐसी गम्भीर स्थिति है जो स्वतंत्रता के बीस वर्ष पश्चात् भी विद्यमान है। मैं जान सकता हूँ कि क्या भारत सरकार इस समस्या पर विचार करेगी तथा अपनी नीति पुर्ननिर्धारित करेगी और यह देखेगी स्थिति का सामना करने के लिये कोई विशेष उपबन्धों की आवश्यकता तो नहीं है? क्या भारत सरकार ऐसा तरीका ढूंढ़ेगी जिससे शोषित हरिजनों का उत्थान किया जा सके और वे कानून में समानता पा सकें?

श्री विद्याचरण शुक्ल: कुछ महीनों से विभिन्न घटनाओं को देखते हुए यह संसदीय समिति इस समस्त समस्या पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई है।

श्री क० लकप्पा: इस संसदीय समिति के अलावा क्या अन्य कोई उपाय निकाला गया है?

श्री विद्याचरण शुक्ल: माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल ठीक है। चूंकि सब ने ऐसा ही कहा है अतएव यह समिति नियुक्त की गई है।

श्री रंगा: क्या यह सच है कि हरिजनों को भगाया जा रहा है?

श्री विद्याचरण शुक्ल: मैंने यही कहा है कि जो कुछ वह कह रहे हैं, वह सच है।

उपाध्यक्ष महोदय: कानून के आगे समानता—यह मुख्य विषय है।

श्री विद्याचरण शुक्ल: मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उनकी दी हुई सूचना ठीक है। जो उन्होंने कहा है, कि विभिन्न राज्यों से हरिजनों पर अत्याचार के समाचार आ रहे हैं; वह ठीक है इसलिए इस समस्या के मूल कारणों का अध्ययन करने के लिए संसदीय समिति नियुक्त की गई है। हम यह भी विचार करेंगे कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जाये? ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इस समस्या के प्रति अनभिज्ञ है और जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सावधान नहीं है।

श्री रा०ढो० भण्डारे: चूंकि देश के सब भागों से बहुत सी हृदयविदारक कहानियाँ आ रही हैं अतएव यह स्वाभाविक है कि संसद सदस्य इससे उत्तेजित हो जायें। मंत्री महोदय ने बताया है कि ऐसे दो माध्यम हैं जहाँ से उन्हें सूचना मिलती हैं, पहला माध्यम तो राज्य है जहाँ ऐसी घटनायें घटतीं हैं और दूसरा माध्यम तो वे स्वयं हैं। मैं पहले यह जानना चाहता हूँ कि अपने माध्यम से प्राप्त हुई सूचना का सरकार क्या करती है? क्या वे सूचना को संकलित करके रखते हैं और क्या अपने माध्यम से प्राप्त हुई सूचना पर कार्यवाही करते हैं? और दूसरा इन कहा-

नियों को देखते हुए क्या सरकार राज्यपाल को यह विशेष उत्तरदायित्व सौंपना चाहती है कि वह हरिजनों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को संरक्षण दे अथवा गृह मंत्रालय किसी तरीके से,अगर आवश्यक हो, तो संविधान में संशोधन करके, अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों को संरक्षण देने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो सूचनाएं हमें अपने माध्यम से मिलती हैं, वे हमारी अपने दृष्टिकोण और नीतियों को निर्धारित करने और सामने आने वाले प्रश्नों पर विचार करने के लिए अत्यन्त लाभदायक हैं। इसलिए ऐसा कहना, कि जो सूचनाएँ हमें मिलती हैं उन पर विचार ही नहीं होता, ठीक नहीं है। वे बहुमूल्य सूचना होती हैं और उसे हम अपने उद्देश्यों के लिए काम में लाते हैं।

श्री रा० सो० भण्डारे : आप सूचना मिलने पर क्या कार्यवाही करते हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल: मैंने कहा है कि जब भी हम किसी विशेष मामले पर निर्णय करते हैं अथवा किसी विशेष प्रश्न के प्रति दृष्टिकोण बनाते हैं तो यह इसी सूचना की पृष्ठ भूमि में होता है और इससे हमें उन प्रश्नों पर जिन पर हमें निर्णय करना होता है, सही निष्कर्ष पर पहुँचने में सहायता मिलती है।

जहाँ तक संरक्षण की व्यावहारिक व्यवस्था का प्रश्न है, यह सभा जानती है कि अनुसूचित जातियों के लोग देश भर में विभिन्न गाँवों में फैले हुए हैं और केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत विशेष कर इस कार्य के लिए पुलिस की तरह की समानान्तर व्यवस्था करना अव्यावहारिक है। हम सब चाहते हैं कि यह व्यावहारिक तथा प्रभावपूर्ण ढंग से सुलझाया जाये। मेरा यह भी विश्वास है कि राज्य प्रशासन इसको करने के लिए प्रयत्न करेगा। इसमें कठिनाइयाँ और कमियाँ रही हैं, यह स्पष्ट है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि माननीय गृह मंत्री ने राज्य सरकारों पर यह दबाव डाला है कि प्रशासन का समस्त भार इस हमारे समाज के कमजोर भाग को संरक्षण देने में लगाना चाहिए और उन्हें इनके हितों को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हम ऐसा समय-समय पर करते रहते हैं।

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, a number of questions have been asked here. I raised the case of Thimma Redy in this House. It is a very serious question and fortunately our Prime Minister, Deputy Prime Miniser and Home Minister are present here. We ourselves are the sufferers. The police are present at my home. The theft has taken place at my house and myself has to please the police. I wrote to the Chief Secretary and to others also but no one bothers and neither the Police can find out the criminal. I want to say that if the Government cannot make arrangement for our protection then we should be sent to Andaman or to some other island or the Government may take responsibility for our protection. It is a matter of great regret that we cannot raise our voice. The couplet of Tulsidas is being publicized in streets and Railway and our ministers and leaders are being abused. These things are happening in this country. It is the duty of the Government to look into these things. We are only intimating the real facts. If action is not taken on this then the Prime Minister and Deputy Prime Minister may see it. It is a very serious problem. I have regret to say that political game is going on in this matter . The Harijan students, who go to Banaras Hindu University for study, are not respected and it is said that sanctity of the University is being spoiled by the entrance of the students of cobblers and sweepers. If such conditition exists then our University may be separated.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये, आपने एक विशिष्ट मामले के सन्दर्भ में सुझाव दिया है, मैं इस पर विचार करूँगा, समा-पटल पर पत्र रखे गए हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Implementation of Directions of Central Government by State Governments

*727. **Shri J. B. Singh** : **Shri Bansh Narain Singh**: **Shri Sharda Nand** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain State Governments did not fully implement the orders and directions of the Central Government during the last four months :

(b) if so, the names of those State Governments as also the matters in which they violate the orders of the Central Government ;

(c) the action taken by the Central Government in this regard ; and

(d) whether the Central Government had consulted the State Governments in regard to these directions ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) State Governments other than Kerala have reported that there has been no instance during the last four months in which any directions of the Central Government were not carried out. As regards Kerala, on September 18, 1968, the State Government had in a communication to the Central Government regretted their inability to issue instructios to District authorities to take suitable action including arrest of and institution of cases against persons instigating employees to go on strike and/or inciting violence and intimedation of employees who were willing to work on September 19. The attention of Kerala Government was thereupon invited on September 19 to the provisions of article 256 of the Constitution under which an obligation has been cast upon the State Governments that their executive power shall be so exercised as to ensure compliance with laws made by Parliament. It was further pointed out that the provisions of the Essential Services Maintenance Ordinance, 1968 relating to instigation or incitement of employees to go on strike were part of such a law. The State Government thereupon informed the Central Government that all action necessary and found suitable was being taken, keeping in view the provisions of article 256 of the Constitution.

(d) The Central Government had not consulted the State Governments before suggesting action in accordance with the provisions of Essential Services Maintenance Ordinance, 1968.

Enquiries into charges Against Ministers

*728. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of present and ex-Ministers at the Centre against whom enquries were held during the past two years or are being held ;

(b) the brief particulars of the charges against them ;

(c) the names of Ministers against whom enquiries have been completed and the findings thereof ; and

(d) the action taken by Government on the report of the enquiry ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Nil.

(d) Do not arise.

Strike by Employees of Educational Institutions

*729. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of those employees of educational institutions of the Central Government who joined the one-day token strike on the 19th September, 1968 which was called by the Central Government Employees' Federation ;

(b) the number of employees in his Ministry and Departments who were suspended and of those who were arrested and the number of those whose services were terminated in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Education(Shri Sher Singh): (a) There are no educational institutions under the administrative control of this Ministry.

(b) (i) Number of employees suspended 6

(ii) Number of employees removed from service..... Nil

(c) (i) Number of employees arrested 6

(ii) Number of employees whose services were terminated....Nil.

भारत के मानचित्र का प्रकाशन

*730. **श्री जार्ज करनेन्डीज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के मानचित्र के प्रकाशन के लिए भारत के सर्वेयर जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त है;

(ख) यदि हाँ, तो वे शर्तें क्या हैं जिनके अन्तर्गत भारत में तथा विदेशों में अन्य अभिकरण भारत के मानचित्र को मुद्रित तथा प्रकाशित कर सकते हैं;

(ग) क्या सर्वेयर जनरल को अन्य देशों के मानचित्र मुद्रित करने तथा प्रकाशित करने का अनन्य प्रतिलिप्याधिकार है; और

(घ) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा किन शर्तों के अन्तर्गत ये अधिकार प्राप्त किए गए हैं?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी नहीं। किन्तु भारत का सर्वेक्षण, भारत में सभी भूपृष्टीय तथा स्थलरूपरेखीय सर्वेक्षण करने तथा भारत के मान-चित्र तैयार करने के लिए, मुख्य सरकारी एजेन्सी है। प्राइवेट प्रकाशक भी भारत के मानचित्र प्रकाशित कर सकते हैं, किन्तु उनको यह सलाह दी गई है कि उनके द्वारा तैयार किए गए मान-चित्रों में भारत की बाहर की सीमाओं की जाँच, मानचित्र प्रकाशित करने से पहले, भारत के सर्वेक्षण द्वारा करा ली जाएं।

भारत के सर्वेक्षण के मानचित्रों का कापीराइट, भारत सरकार के पास है और महासर्वेक्षक इन मानचित्रों को पुनः प्रकाशित अथवा मानचित्रकारी संबंधी सूचना प्रकाशित करने की अनुमति रायल्टी ले कर दे सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

C. G. H. S. Facilities to Teachers and Employees of Delhi University

*731. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the University Grants Commission is considering any scheme to make available the C. G. H. S. facilities to the teachers and employees of the Delhi University ; and

(b) if so, the time by which that scheme would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) The University Grants Commission has decided to implement a scheme of health service for students and teachers in universities and colleges as recommended by the Committee appointed by the Commission in this regard, in the Central Universities, to begin with, as a pilot project. The working details of the scheme for implementation in the Delhi University are being finalised in consultation with the Delhi University.

छोटी सदड़ी, राजस्थान, स्वर्ण कांड

*732. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस न्यायालय में तथा किस कानून के अन्तर्गत छोटी सदड़ी राजस्थान स्वर्ण कांड का मामला परीक्षणाधीन है जिसके कारण केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को इसकी जाँच पूरी करने में बहुत कठिनाई हो रही है तथा परीक्षणाधीन मामला किस प्रकार का है;

(ख) क्या स्वर्ण काँड से सम्बन्धित कोई ऐसा मामला किसी न्यायालय में परीक्षाधीन है जिसमें राजस्थान के मुख्य मंत्री तथा उनके सहयोगी अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उस मामले का ब्यौरा क्या है तथा न्यायालय का नाम क्या है; और

(घ) यदि मुख्य मंत्री तथा उनके सहयोगियों के विरुद्ध कोई ऐसा मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है तो इस काँड की जाँच करने में यह बहाना ले कर क्यों टालमटोल की जा रही है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशदन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 414 तथा 411 के अन्तर्गत श्री गणपतलाल तथा अन्य द्वारा सोने के कथित दुर्विनियोग से संबंधित एक मामला जिला चित्तौड़गढ़ में छोटी सादड़ी के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परीक्षणाधीन है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने कानून के उपबन्धों तथा परीक्षणाधीन आपराधिक मामले पर उचित ध्यान देते हुए अपनी जाँच जारी रखी है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

733. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री रा० बरुआ :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अगस्त के पूर्वार्द्ध में हुई 340 सड़क दुर्घटनाओं की तुलना में अगस्त के उत्तरार्द्ध में लगभग 346 सड़क दुर्घटनायें हुई थीं;

(ख) क्या राजधानी में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

(क) अगस्त 1968 के दूसरे पखवाड़े में दिल्ली में 345 दुर्घटनायें हुई जब कि पिछले पखवाड़े में 340 हुई।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली में दुर्घटनाओं को रोकने के लिये दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं या उठा रही है।

(1) दिसम्बर, 1962 से सड़क सुरक्षा के लिये एक सब इंस्पेक्टर के निरीक्षण में पृथक कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं।

(2) बच्चों में तथा मार्ग प्रभोक्ताओं में सड़क सुरक्षा पर पुस्तिकाएं और चित्र बाँटे गए हैं।

(3) शहर के लगभग 25 सिनेमाओं में और भिन्न स्कूलों में सड़क सुरक्षा की फिल्में दिखाई जाती हैं।

(4) ड्राइवरों की अधिक तेज रफ्तार पर चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए विशेष रफ्तार निरोधक जाँच की जाती है।

(5) यातायात के नियमों के उल्लंघन के मामलों का पता लगाने के लिए और यातायात के जमघट को हटाने के लिये मुख्य सड़कों पर व्यस्ततम घंटों के समय चलते-फिरते यातायात वाले सिपाहियों को मोटर साइकलों में भेजा जाता है।

(6) बढ़ती हुई आबादी, शहर में जमघट और दूसरे कारणों से भविष्य में यातायात का संकट न हो के आशय से दिल्ली शहर और इसके बाहरी उपनगरों का विकास करने के लिये एक क्रमिक तथा गठित योजना मास्टर प्लान में शामिल कर दी गई है।

(7) शैक्षणिक संस्थानों में सड़क-सुरक्षा पर व्याख्यान और यातायात के नियमों पर अनुदेश नियमित रूप से दिए जाते हैं। विद्यार्थियों के फायदे के लिये व्यवहारिक प्रदर्शन भी किए जाते हैं। सड़क-सुरक्षा सप्ताह मना कर सड़क सुरक्षा का प्रचार किया जाता है।

(8) मेसर्स बर्मा शेल आइल स्टोरेज व डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी की मदद से इरविन रोड, नई दिल्ली पर एक यातायात शिक्षण पार्क बनाया गया है। यह 1964 से कार्य कर रहा है। किसी नियत कार्यक्रम के अनुसार ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूल के बच्चों को शिक्षण दिया जाता है सायं को निर्दिष्ट आयु के सभी बच्चों के लिये पार्क खुला होता है।

(9) बड़ी सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और जहाँ आवश्यक है स्वचालित सिगनल लगा दिए गए हैं। सड़कों पर साइकिलों के अलग रास्ते बना दिए गए हैं। भीड़ वाले जगहों से, बस-स्टापों, दुकानों, फेरी वालों, टैक्सी अड्डों को हटाया जा रहा है।

(10) स्कूल के पास उपयुक्त जगहों पर सड़क पर पैदल पारपथ अंकित कर दिए गए हैं। मुख्य स्थानों पर तथा व्यस्त सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिये पारपथ के पटल लगा दिए गए हैं। पैदल चलने वालों को पारपथ पर पार करने के लिये और ऐसे स्थानों पर पैदल चलने वालों को रास्ते का अधिकार देने के लिए मोटर वालों को सिखाने के लिये विशेष अभियान चलाये गए थे।

(11) कुछ-कुछ मुख्य व्यस्त सड़कों पर से भारी परिवहन गाड़ियों का परिचालन बिल्कुल निलंबित कर दिया गया है जब कि दूसरी सड़कों पर केवल व्यस्ततम घंटों के समय निलम्बित कर दिए जाते हैं। नयी दिल्ली के 36 व्यस्त सड़कें तथा पुरानी दिल्ली क्षेत्र की 16 सड़कें धीरे-धीरे चलने वाले वाहनों के लिए व्यस्त घंटों में बन्द कर दिए गए हैं जब कि नयी दिल्ली के 10 मुख्य व्यस्त क्षेत्र में बैलगाड़ियों के लिये प्रायः 7 बजे से 10 बजे तक बन्द रखी जाती है। कई व्यस्त सड़कों में एकतर्फा यातायात के लिये घोषित कर दिया गया है और विभिन्न सड़कों के व्यस्त क्षेत्र में पार्किंग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(12) जनवरी, 1963 के प्रारम्भ से चयनात्मक प्रवर्तन शुरू किए गए। चुने हुए स्थानों पर पब्लिक सेवा के वाहनों के ड्राइवरों द्वारा अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यातायात के कानून का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माने के साथ सजा दी गई ताकि वे यातायात के अपराधों के आदी बनने से निरुत्साह हो जायें।

विमान यात्रा के किरायों में कटौती के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

*734. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री सीताराम केसरी : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ विमान कम्पनियों द्वारा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर विमान यात्रा के अधिकारिक किराये में कटौती कर दिये जाने के फलस्वरूप भारत के रिज़र्व बैंक तथा एयर इंडिया को प्रति वर्ष लगभग 7 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा विश्वास करने के कारण हैं कि कई हवाई कम्पनियाँ कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर, विशेषतया भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच उत्प्रवासी (इमाइग्रेंट) यातायात के सम्बन्ध में निर्धारित हवाई किरायों की अपेक्षा कम किराये लेती हैं। इसके परिणामस्वरूप यातायात विदुर कर इन हवाई कम्पनियों को चला जाता है और एयर इंडिया को नुकसान होता है तथा फलतः विदेशी मुद्रा की हानि होती है। लेकिन इस प्रकार के कुत्सित आधार की सही-सही मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती, जब तक कि

विशिष्ट मामलों को साबित न कर दिया जाय। इसलिये इस कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का मूल्यांकन संभव नहीं है।

(ख) इस कारण से होने वाली विदेशी मुद्रा को हानि को रोकने के लिए कई कदम उठाये गए हैं तथा उठाये जा रहे । वे ये हैं:—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था को अन्य सदस्य देशों की भाँति एक 'एन-फोर्समेंट एजेंसी' (प्रवर्तक अभिकरण) भारत में भी है जो इस प्रकार के अनाचारों पर निगरानी रखती है, तथा जहाँ सबूत मिलता है वहाँ संस्था के नियमों के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करती है।

(ii) जहाँ इस प्रकार के अनाचार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विरुद्ध अपराध के दोषी होते हैं वहाँ प्रवर्तन निदेशालय निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही करता है। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी हवाई कम्पनियों में से एक के विरुद्ध एक मामले की जाँच कर रहा है।

(iii) क्योंकि यह अनाचार अधिकतया उत्प्रवासी यातायात के संबंध में चल रहा है, भारत और यूनाइटड किंगडम के बीच उत्प्रवासियों के लिये एक रियायती किराये की व्यवस्था की गयी है। केवल इन दो देशों के राष्ट्रीय वाहकों, अर्थात् एयर इंडिया और ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन, को ही इन घटाये हुए किरायों को लेने का अधिकार है। इसका प्रभाव यह होता है कि उत्प्रवासी यातायात इन दो हवाई कम्पनियों को ओर आकर्षित होता है तथा विदेशी मुद्रा में हानि का निरोध होता है।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था

*735. **श्री बं० कृ० दास चौधरी:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार केन्द्रीय शिक्षा संस्था को जो इस समय केन्द्रीय सरकार के अधीन है, राज्य सरकारों को हस्तान्तरित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस हस्तान्तरण से संस्था को किस हद तक लाभ होगा; और

(घ) हस्तान्तरण कब तक हो जाने की सम्भावना है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) फिलहाल संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के नियंत्रण में है और इसे दिल्ली विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करने का विचार है।

(ख) और (ग) संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध केवल एक शिक्षक प्रशिक्षण कालेज है। विश्वविद्यालय को संस्थान के प्रस्तावित हस्तान्तरण से, इस क्षेत्र में अनुसंधान और उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के एक विश्वविद्यालय स्कूल के रूप में संस्थान के विकास में सहायता मिलेगी।

(घ) शिक्षा सत्र 1969-70 के प्रारम्भ से।

उड़ीसा में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास

*736. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1966–67, 1967–68 और 1968–69 में उड़ीसा में अन्तर्देशीय जल-परिवहन सुविधाओं के विकास के लिये कितनी धनराशि दी गई है?

परिवहन तथा नौवहनमंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख) लोकसभा द्वारा कानून के अन्तर्गत जब तक किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया जाता तब तक अर्न्तजल मार्गों और उन पर नौवहन विकास के कार्यों की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। अब तक किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया गया है। इसलिए नदी की सफाई और जलमार्गों में सुधार करने का सम्बन्ध राज्य सरकारों का है।

उड़ीसा में अर्न्तजल-परिवहन मुख्यत: महानदी और तालदन्दा और केन्द्रपारा डेल्टा की नहरों तक सीमित है। तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में राज्य सरकार द्वारा नहरों का विस्तार और लाइनिंग करने, जलपाशों का पुनर्निर्माण जल-निकर्षण की खरीद की योजनायें केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित करने के लिए शुरू की गई। चतुर्थ योजना (1969–74) में केन्द्र द्वारा संचालित योजना के रूप में शामिल करने के लिये राज्य सरकार से महानदी में अर्न्तजल परिवहन का विस्तार करने, तालदन्दा नहर का विस्तार करने और सुधारने, उड़ीसा तटीय नहर की पुनस्थापना करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार हो रहा है।

(ग) तृतीय-योजना काल में स्वीकृत कामों को पूरा करने के लिये सन् 1966–67 के अन्तर्गत राज्य सरकार को 15.56 लाख रुपये दिए गए।

सन् 1967–68 और सन् 1968–69 में नए कामों के लिये यह व्यवस्था की गई, क्योंकि राष्ट्रीय विकास संघ की समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार अर्न्तजल परिवहन को राज्य खंड में तबदील करना मंजूर किया गया।

Conversion by Christian Missionaries

*737. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the press report published in the "Veer Arjun" dated the 29th September, 1968 to the effect that the foreign Christian Missions convert daily about 250 Indians (Hindus) to Christianity in the country ; and

(b) if so, the steps taken by Government to check the aforesaid anti-national activity ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Government have seen the news-item.Except the Madhya Pradesh Dharam Swatantrya Adhiniyam, 1968, which came into force as recently as 20th October,1968, there is no law for intimation

or registration of conversions from one religion to another. Government have, however, no reason to believe that the position stated in the news-item is correct.

(b) Under the provisions of article 25(1) of the Constitution, all persons are subject to public order, morality and health, equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion. Conversion by itself cannot, therefore, be regarded as antinational activity.

Resentment due to Direct Recuritment

*738. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is great resentment in the Secretariat due to direct recuritment of Assistants and Section Officers ;

(b) whether it is also a fact that the Officers are adopting this method with a view to appoint their relatives and friends against these posts though the backdoor ;

(c) whether it is also a fact that several most efficient persons do not get any opportunity to rise on account of this policy ;

(d) if so, whether Government propose to stop all direct recruitments ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs(Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) Direct recruitment in the grades of Section Officer and Assistant is regulated by the C.S.S. Rules, 1962. These rules provide specific quotas for direct recruitment as well as for promotion in those grades. Under the rules, the direct recuritment quota has to be filled on the results of the competitive examinations held by the U. P. S. C. from time to time. Hence, only those persons will get appointed directly in the grades of Section Officer and Assistant who qualify at the examination and are recommended for appointment by the U. P. S. C. There is, thus, no backdoor recruitment in these grades. There is, however, a demand from Service Associations that direct recruitment in these grades should be stopped.

(d) No, Sir.

(e) For the purpose of maintaining proper standards of efficiency in the Secretariat, it is necessary to infuse some fresh blood in the Services at various levels by making direct recruitment against a prescribed percentage of posts.

Examination Fee charged from Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates by Uttar Pradesh Public Service Commission

*739. **Shri Molahu Prasad** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Union Public Service Commission charges one-fourth examination fee from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates i.e. Rs.20 as against Rs.80 for candidates belonging to other castes, for appearing in the competitive examination for recruitment to the Indian Administrative Service ; and

(b) the reasons as to why the U.P. Public Service Commission gives them nominal concession in the recruitment to the State Administrative Service and other services who the Public Service Commission of other States such as Bihar and Madhya Pradesh charge, respectively, one-fourth examination fee, and no examination fee at all ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Uttar Pradesh have decided that in the examinations/selections held by the Uttar Pradesh Lok Sewa Ayog from February, 1968, the rate of fees to be charged from Scheduled Castes candidates should be 1/3rd of the fees realised,at any time, from the general candidates.The question of granting similar concessions to Scheduled Tribes candidates is under consideration of the State Government.

Roads Constructed in Ladakh Area

*740 **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the details regarding the roads constructed by the Defence Department, Central Public Works Department and Border Road Development Organisation in the Ladakh area of Jammu and Kashmir State ;

(b) whether the effect of those roads on the life and economic condition of the local people has been assessed ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) The progress made in this respect upto October 31, 1968 is as follows :

Formation cutting (width varying from 8′ to 20′)	622 miles
Improvement	31 miles
Soling	237 miles
Metalling	237 miles
Blacktopping	236 miles

(b) and (c) While a formal assessment has not been made, all improvements in communications are bound to have good effect on the life and economic condititon of the local people.

अंन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

*741. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्तन न्यासों के आधार पर भारत में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रशासन के लिये एक स्वतन्त्र निकाय के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) वर्तमान व्यवस्था की तुलना में नए प्रस्ताव पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(घ) क्या चारों हवाई अड्डों के वर्तमान प्रशासनिक ढाँचे को पुनर्गठन के सम्बन्ध में टाटा समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ङ) भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1967 में श्री० जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्र समिति को, अन्य बातों के साथ-साथ, अति विशाल क्षमता वाले विमानों को चालू करने के संदर्भ में दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में स्थित चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडों पर यात्रियों व माल के संभालने, विमानों को खड़ा करने, तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में हवाई यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक संगठन के प्रश्न की जाँच करने का कार्य सौंपा गया था। समिति के अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को जल्दी ही प्रस्तुत कर देने की आशा है। एक स्वायत्त विमान-क्षेत्र प्राधिकरण के गठन, इस प्रकार के प्राधिकरण के उद्देश्य, तथा तद्विषयक वित्तीय अपेक्षाओं के प्रश्न पर सरकार समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर उन सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए विचार करेगी।

(च) इस पहलू की समिति की अंतिम रिपोर्ट मिल जाने पर जाँच की जायेगी।

कलकत्ता में डकैती

*742. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पार्क स्ट्रीट पोस्ट आफिस, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता के सामने 1 जुलाई, 1968 को डाक ले जाने वाली मोटर गाड़ी में हुई डकैती की जाँच के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब तक कितने अपराधियों का पता लगा लिया गया है और कितने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल पुलिस के खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार डाकू नेपाल भाग गए होंगे;

(घ) यदि हाँ, तो डाकू किन परिस्थितियों में नेपाल भाग गए; और

(ङ) उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) इस सम्बन्ध में कलकत्ता पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले की जाँच प्रगति पर है।

(ख) अब तक सात व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि यह सूचना निराधार है। अभी तक ऐसे किसी भागने की घटना का कोई साक्ष्य ध्यान में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भाषायी राज्यों का समाप्त किया जाना तथा एकात्मक प्रणाली की सरकार की स्थापना

*743 **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संस्थाओं तथा व्यक्तियों से इस आधार पर भाषायी राज्यों को समाप्त करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि भाषायी आधार पर राज्यों की स्थापना से देश में विघटन की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) क्या सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया है और यदि हाँ, तो उन पर क्या निर्णय किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक प्रमुख नेताओं और समाचार-पत्रों ने सुझाव दिए हैं कि देश में एकात्मक प्रणाली की सरकार की स्थापना की जाये; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार कर लिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) इस संबंध में कुछ व्यक्तियों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ग) विषय पर कुछ प्रेस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) और (घ) सरकार समझती है कि भाषाई आधार पर राज्यों के बनाने का निर्णय सही था और संकीर्णता के विरुद्ध सशक्त जनमत, न कि इस नीति का उत्क्रमण, ऐसी प्रवृत्तियों का बचाव है।

डॉ० हरगोविन्द खुराना को नोबल पुरस्कार

*744. **श्री मणि भाई जे० पटेल**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के नोबल पुरस्कार विजेता डा० हरगोविन्द खुराना भारतीय राष्ट्र-जन हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन्होंने जो मूलतः भारतवासी हैं किन परिस्थितियों में विदेशी नागरिकता अपनाई है;

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रयत्न किए जा रहे हैं कि शोधकर्ता विद्वान तथा मेधावी तकनीकी तथा गैर-तकनीकी व्यक्ति भारत छोड़ कर न जायें; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि डा० हरगोविन्द खुराना ने 1966 अथवा उसके लगभग अमरीकी नागरिकता प्राप्त की थी।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) मेधावी व्यक्तियों के बाहर जाने को पूरी तरह रोकने में कोई देश समर्थ नहीं है। किन्तु सरकार ने मेधावी व्यक्तियों के देश से बाहर जाने को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 2 अगस्त, 1968 को लोक-सभा में उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 278 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लेख कर दिया गया है।

Constitution of District Education Planning Committees in Bihar

*745. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the first S. V. D. Government of Bihar had constitued the Dis-

trict Education Planning Committees for the re-instatement of teachers in all the Districts and also for other educational activities ;

(b) whether it is also a fact that the Congress-backed Shoshit Dal Government had dissolved those Committees ;

(c) whether it is also a fact that since then there are no such Committees in Districts :

(d) whether it is a also a fact that various difficulties are being experienced in the extension of educational activities in Districts in the absence of such Committees ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto and the steps proposed to be taken in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Education (**Shri Bhagwat Jha Azad**): (a) The District Education Planning Committees were constituted by the First United Front Government in Bihar for preparing the plan for the expansion of the elementary education and preparation of a pannel of suitable candidates for appointment as teachers.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) Does not arise.

डा० राजेन्द्र प्रसाद संस्कृत विद्यापीठ

*746. **श्री वेणी शंकर शर्मा**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डा० राजेन्द्र प्रसाद संस्कृत विद्यापीठ का प्रबन्ध संस्कृत साहित्य सम्मेलन से अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो कब और किन शर्तों पर;

(ग) इस पर व्यय के लिये वार्षिक बजट क्या है;

(घ) क्या इस संस्था के अध्यक्ष के पद के लिए विज्ञापन दिया गया था तथा सुयोग्य व्यक्ति का चयन कर लिया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसा करने का सरकार का विचार है ताकि एक ऐसी संस्था जिसकी स्थापना संस्कृत तथा भारतीय सांस्कृति के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में की गई है, के अध्यक्ष पद पर देश में उपलब्ध सर्वाधिक प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति नियुक्त किया जा सके ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) और (ख) शिक्षा मंत्रालय को डा० राजेन्द्र प्रसाद संस्कृत विद्यापीठ की मौजूदगी के बारे में जानकारी नहीं है। किन्तु, भूतपूर्व अखिल भारतीय संस्कृत विद्यापीठ के प्रबन्ध को, शिक्षा मंत्रालय से सहायता-प्राप्त एक पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन ने अपने हाथ में ले लिया है और 1 अप्रैल, 1967 से संस्था का नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ रख दिया गया है। अनुमानतः प्रश्न श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से संबंधित है।

(ग) खर्च	1967–68	4,15,000 रुपये
बजट प्राक्कलन	1968–69	7,23,000 रुपये

(घ) जी नहीं। जाँच समिति की सिफारिशों पर, भूतपूर्व विद्यापीठ के निदेशक को, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के निदेशक के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी गई है।

(ङ) इस मामले पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ सभा की है।

उत्तर प्रदेश पुलिस में पब्लिक प्रोसिक्यूटरों के पदों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण

*747. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में विशेष रूप से पब्लिक प्रोसिक्यूटरों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को उनके सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने तथा अर्हता प्राप्त करने पर भी नहीं चुना जाता है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पब्लिक प्रोसिक्यूटरों के रूप में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और 1947 से 1967 तक वर्षवार कितने व्यक्ति चुने गए; और

(च) भविष्य में अनुसूचित जातियों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री के० एन० रामास्वामी): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश पुलिस में पब्लिक प्रोसिक्यूटरों के पद सहायक पब्लिक प्रोसिक्यूटरों के पद-धारकों में से योग्यता के आधार पर, चयन द्वारा, इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा गठित एक चयन मण्डल द्वारा, भरे जाते हैं। इसलिए इन पदों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(च) सूचना मिली है कि कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Subjects Taught in Secondary Schools of Delhi

*748. **Shri Ram Avtar Sharma**: Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the total number of subjects being taught in each class in the Secondary Schools of Delhi including Physics, Chemistry, Botany and Zoology as recommended under the UNESCO Project ;

(b) whether it a fact that these new subjects are so difficult that the students and the teachers both have to face difficulty in learning and teaching of these subjects ;

(c) the percentage of students who were succeessful in these subjects in the first examination held in November in the Secondary Schools of Delhi ; and

(d) the number of schools where these subjects are being taught and the number out of them where laboratory facilities have been provided for carrying out experiments ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) 8 subjects including two optional subjects in Middle classes and 5 subjects in Higher Secondary Classes.

(b) No, Sir.

(c) The first common Middle Schools examination with these subjects in 10 secondary schools and with General Science in the rest was held in March, 1968. The result was 94.6% as against 84.6 per cent in General Science.

(d) These subjects have been introduced in 24 Government Higher Secondary and 7 other Schools where General Science was being taught before. Laboratory facilities have been provided in all the Government Schools and Delhi Administration is considering a proposal to provide similar facilities in other schools too.

Roads in Saharsa District, Bihar

*749. **Shri Gunanand Thakur**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of roads in the Saharsa District of Bihar which are not being used for traffic for many years past for want of bridges ;

(b) the time by which Government propose to construct the required bridges to ensure all-weather traffic on these roads ; and

(c) the reasons for delay in the construction of these bridges ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan):(a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT—2678/68]**

Companies dealing in Game-Hunting

*750. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government recognise certain Companies who conduct big-game hunting for foreigners ;

(c) the terms of their recognition ;

(d) whether it is also a fact that foreign exchange was misappropriated by a Bombay firm, M./S. Hunters Hunters, in September, 1968 ;

(e) if so, the extent thereof and the action taken by Government against this firm ; and

(f) the steps taken by Government to check such activities in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The Department of Tourism has a system of granting recognition to Shikar Outfitters.

(b) and (c) A statement is placed on the table of the House. **[Placed in Library. See No. LT—2679/68.]**

(d) and (e) : The matter is under investigation.

(f) A constant check is kept and if any lapse is brought to the notice of the Government, action is taken in accordance with the Law of the land.

दिल्ली में जे० बी० अध्यापक

4334. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में सरकारी तथा सरकारी सहायताप्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 1 अप्रेल, 1950 के बाद सेवा में आने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि जो अध्यापक 1 अप्रैल, 1950 से पूर्व सेवा में आये थे उनको भूतलक्षी प्रभाव से अगला उच्च ग्रेड दिया जा चुका है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1 अप्रैल, 1950 के बाद सेवा में आने वाले अध्यापकों को पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद भी अगला उच्च ग्रेड नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क), (ग) और (घ) संबधित संगठन से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) जी हाँ।

पश्चिम बंगाल में सार्वदेशिक, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा

4335. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले के कितने गाँवों में अब तक सार्वदेशिक निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा योजना लागू कर दी गई है;

(ख) पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक यह योजना कितने प्रतिशत सुपात्र व्यक्तियों पर लागू की गई है; और

(ग) समस्त ग्रामीण क्षेत्र में इसके कब तक लागू किए जाने की आशा है?

शिक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)

(क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक विश्वविद्यालय

4336. **श्री हेम राज**: क्या शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में 15 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 613 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में कितनी प्रगति हुई है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है। आयोग ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि शिमला में स्नातकोत्तर अध्ययन के केन्द्रों में कुछ प्रगति होने के बाद इस प्रस्ताव को हाथ में लिया जाएगा।

नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर अध्ययन कर रहे विद्यार्थी

4337. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक शिक्षा के विभिन्न स्तरों अर्थात् प्राथमिक, उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय पर कितने लड़के तथा लड़कियाँ अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) देश में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी शैक्षिक संस्थाएं हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) और (ख) 31 मार्च, 1965 तक के उपलब्ध नवीनतम् आँकड़ों के अनुसार, देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षत्रों की संस्थाओं तथा प्रत्येक प्रकार की संस्था द्वारा दाखिल विद्यार्थियों की संख्या क्रमश: अनुबन्ध I और II में दी गई है। [पुस्तकालय में रख दिये गये। देखिये संख्या एल० टी० 2680/68]

(ग) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की संस्थाओं पर 1964–65 (नवीनतम् वर्ष जब तक के आँकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान सरकारी धन में से हुआ कुल सीधा व्यय क्रमश: 154.4 करोड़ तथा 149.0 करोड़ था। पहले के वर्षों के बारे में यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रशासनिक सुधार आयोग

4338. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रशासनिक सुधार आयोग की कब स्थापना हुई थी और इसका कार्य लगभग किस तारीख तक पूरा हो जायगा;

(ख) विभिन्न प्रकार की मदों के व्यय के रूप में अब तक आयोग पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) आयोग द्वारा अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) आयोग के सभापति (वर्तमान और भूतपूर्व) और उसके सदस्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक सदस्य ने अब तक यात्रा-भत्ता और अन्य खर्चों के रूप में कितनी धनराशि ली है; और

(ङ) आयोग ने अब तक कितने नगरों का दौरा किया?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना एक सरकारी संकल्प दिनांक 5–1–1966 द्वारा हुई थी। आयोग ने यह नहीं बताया है कि किस तारीख तक उसका कार्य समाप्त हो जाएगा, तथापि वह शीघ्रातिशीघ्र ऐसा करने के लिए उत्सुक है।

(ख) 31 अक्तूबर, 1968 तक 50,80,754 रुपए।

(ग) आयोग द्वारा नियुक्त 20 अध्ययन दल, 13 कार्यकारी दल, 4 विशेषज्ञ दल तथा एक नियतकार्य दस्ते में से, 18 अध्ययन दलों, 9 कार्यकारी दलों, 4 विशेषज्ञ दलों और 1 नियतकार्य दस्ते ने आयोग को अपने अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं। आयोग ने अब तक निम्नलिखित आठ प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किए हैं —

(i) नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएं।

(ii) योजना के लिए व्यवस्था (अन्तरिम प्रतिवेदन)

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम :

(iv) वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा।

(v) योजना के लिए व्यवस्था (अन्तिम प्रतिवेदन)

(vi) आर्थिक प्रशासन

(vii) भारत सरकार का शासनतंत्र और उसकी कार्य-प्रणाली

(viii) जीवन बीमा, प्रशासन

(घ) आयोग के अध्यक्ष और उसके अन्य सदस्यों को केवल यात्रा और दैनिक-भत्ते दिए गए हैं। आयोग के बजट से आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा-भत्ते और दैनिक-भत्ते के रूप में व्यय के लिये निम्नलिखित रकमें दी गईं :—

1. श्री मोरारजी आर० देसाई	13–3—67 तक	5,877.85 रु०
2. श्री के० हनुमंथैया, संसद सदस्य	31–10–68 तक	19,556.35 रु०
3. श्री एच० व्ही० कामथ	31–10–68 तक	41,283.80 रु०
4. श्री डा० मुकर्जी	31–10–68 तक	27,736.05 रु०
5. श्री टी० एन० सिंह०. संसद सदस्य	31–10–68 तक	कुछ नहीं।

श्री व्हीं शंकर ने आयोग से कोई यात्रा-भत्ता या दैनिक-भत्ता नहीं लिया क्योंकि उनका यात्रा-भत्ता और दैनिक-भत्ता संचार विभाग और रक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया गया जहाँ वे सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे।

(ङ) आयोग ने अब तक अगरतला, अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास, इम्फाल, नैनीताल, पाण्डीचेरी, शिलाँग, शिमला, श्रीनगर और त्रिवेन्द्रम का दौरा किया है।

ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जाना

4339. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया;

(ख) 31 मार्च, 1968 को भारत में कितने विदेशी धर्म प्रचारक थे और वे कहाँ-कहाँ पर ठहरे हुए हैं;

(ग) 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में ईसाई धर्म प्रचारकों को विदेशों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई उन देशों के तथा अंशदान देने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने एक कानून बना कर धर्म परिवर्तन किए जाने को अपराध घोषित कर दिया है और यदि हाँ, तो इन दोनों अधिनियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार उक्त आधारों पर ऐसा अधिनियम नहीं बनाती जिससे कि व्यक्ति स्वतंत्रता से अपने धर्म और अन्तर्आत्मा का पालन कर सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968, जो अभी 20 अक्तूबर, 1968 से लागू हुआ, के अलावा एक धर्म से दूसरे में परिवर्तन के पंजीकरण या सूचना के लिए कोई कानून नहीं है। अतः पूछी गई सुनिश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 जनवरी, 1968 को भारत में पंजीकृत विदेशी तथा राष्ट्र मण्डलीय धर्म प्रचारकों की कुल संख्या क्रमशः 3,796 और 2,624 थी। उन स्थानों को बताने वाला एक विवरण, जहाँ वे काम कर रहे हैं, सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में जिसकी सूचना उपलब्ध है, विदेशों से 6630 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। इसमें उपहार, असंबद्ध निजी रकम, प्रवासियों के तबादले, परिवार भरण-पोषण, धार्मिक मिशनों के रख-रखाव इत्यादि जैसे मद सम्मिलित हैं। इसमें पी० एल० 480 शीर्षक II और III के अधीन अनुदान भी सम्मिलित है। केवल विदेशी धर्मप्रचारकों द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के बारे में सूचना अलग से नहीं रखी जाती है और इसलिए उपलब्ध नहीं है।

देशों के नाम बताने वाला एक विवरण जिनसे धन प्राप्त हुआ था सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2681/68] अंशदान देने वाले व्यक्तियों के नामों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) उड़ीसा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1967 तथा मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 की एक-एक प्रतिलिपि सदन के सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2681/68]

(ङ) विषय मुख्यतया 'सार्वजनिक व्यवस्था' से सम्बन्धित है जो राज्य-क्षेत्राधिकार में है।

National Highways in Madhya Pradesh

4240. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether is a fact that the Madhya Pradesh Government has submitted to Central Government a scheme for the development of national highways during 1968-69 ;

(b) if so, the details thereof and the expenditure proposed by the Madhya Pradesh Government for the year 1968-69 ;

(c) whether Government have sanctioned the said scheme; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Not so far, Sir.

(b) to (d) : Do not arise.

Central Reserve Police in Madhya Pradesh

4341. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the present number of the personnel of the Central Reserve Police in Madhya Pradesh;

(b) whether their number is proposed to be increased ; and

(c) whether this battalion comprises of persons drawn from all the States ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) At present, a total of 2837 personnel of the Central Reserve Police are stationed in the CRP Centres located in Madhya Pradesh area.

(b) This strength is variable depending upon the development of units from these centres in other parts of the country.

(c) All Central Reserve Police units are composed of persons drawn from all over the country.

लाइबीरिया के जहाज का जमीन में धंस जाना

4342. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री लाइबीरिया के जहाज के जमीन में धंस जाने के बारे में 11 जून, 1968 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 6813 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर के मर्केन्टाइल मैरिन डिपार्टमेंट के सर्वेयर इंचार्ज द्वारा की गई जाँच का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन-मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) जी हाँ। जाँच से मालूम होता है कि पोत माउण्ट ओ थ्रीस, जब टिरान जलडमरूमध्य में अक्वेवा से काँडला जा रहा था, तो उसे बिना नौचाल चार्टों और उपस्कर के लापरवाही से चलाया गया। चूंकि वह एक विदेशी जहाज था और मास्टर तथा अन्य अधिकारी विदेशी हैं जिनके पास विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण-पत्र थे अतः जहाज को चलाने में की गयी अनियमितताओं के बारे में यथोचित कार्यवाही के लिए संबद्ध सरकारों को सूचित किया जा रहा है।

भारत और पोलैण्ड के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

4343. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पोलैण्ड के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के बारे में नई दिल्ली में हाल ही में हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी हाँ।

(ख) यह कार्यक्रम शिक्षा, विज्ञान व टक्नोलोजी, कला व संस्कृति, स्वास्थ्य व खेलकूद, रेडिओ, चलचित्र तथा टेलीविजन आदि के क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग प्रदान करता है। इस कार्यक्रम की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

पख्तून लोगों का स्वतंत्रता आन्दोलन

4344. **श्री समर गुह**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में आरम्भ किए गए पख्तून लोगों के स्वतन्त्रता आन्दोलन को हमारे देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समझा जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार द्वारा गठित स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने वाली समिति ने खान अब्दुल गफ्फार खां से स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित प्रामाणिक सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से काबुल का दौरा किया था;

(ग) क्या उक्त समिति ने विभाजन के तुरन्त पूर्व और बाद में भारतीय राजनीति के बारे में खान अब्दुल गफ्फार खां के विचार जानने और भारत का विभाजन करने के निर्णय से फ्रन्टियर प्राविंस और बिलोचिस्तान के पठानों पर प्रभाव के विचार जानने का प्रयास किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने के लिए सरकार ने कोई समिति नहीं बनाई है। डा० ताराचन्द इतिहास का संकलन कर रहे हैं और पाँच इतिहासकारों की एक समिति है जिससे वह इतिहास के संकलन में परामर्श कर सकते हैं। न तो डा० ताराचन्द ने और न इतिहासकारों की समिति के किसी सदस्य ने खान अब्दुल गफ्फार खां से स्वतंत्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से काबुल का दौरा किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) डा० ताराचन्द के अधीन स्वतंत्रता आन्दोलन-इतिहास यूनिट द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खां के विचारों की सरकारी अभिलेखागार से उनकी जीवनी तथा उनकी सार्वजनिक भाषणों और लेखन से एकत्र किया जा रहा है।

उत्तरी बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्रता से शिक्षा की व्यवस्था करना

4345. **श्री समर गुह**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरी बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्रता से शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या विद्यार्थियों को शिक्षा-शुल्क से छूट दी गई है और उसमें पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया है;

(ग) क्या अध्यापकों को अनुदान तथा ऋण दिए गए हैं; और

(घ) क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुए शैक्षिक संस्थाओं की इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए कितना अनुदान दिया गया है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

एस० एन० राय समिति का प्रतिवेदन

5346. **श्री समर गुह**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एस० एन० राय समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जो कि अक्तूबर की बाढ़ के दौरान उत्तरी बंगाल में प्रशासन की त्रुटियों की जाँच करने के लिये गठित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राय समिति की मुख्य सिफारिशों तथा उनके संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही इस प्रकार है:—

(i) यह सिफारिश की गई थी कि बाढ़ चेतावनी नियमों में और आगे विस्तृत अनुदेश जोड़ दिए जाएं। तदनुसार पश्चिम बंगाल की सरकार ने बाढ़ चेतावनी प्रणाली से संबंधित विद्यमान अनुदेशों तथा पद्धतियों को नए सिरे से परीक्षा करने तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा, अकेले अथवा सामूहिक रूप में, बाढ़-चेतावनियों के प्रसारण के संबंध में की जाने वाली विशिष्ट कार्यवाही तथा निश्चित रीति को जिसके अनुसार ऐसी कार्यवाही की जाये, स्पष्ट रूप से बतलाने वाले संशोधित नियम तैयार करने के लिए एक उच्च शक्ति समिति नियुक्त की है।

(ii) यह सिफारिश की गई थी कि सेना द्वारा सहायता प्रदान करने में देरी के कारणों का पता लगाने के लिए सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त जाँच की जाए। केन्द्रीय सरकार ने इस सुझाव की परीक्षा की है तथा उनका निष्कर्ष 11-12-1968 को प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 4101 के उत्तर में दिया गया था।

(iii) यह सिफारिश की गई थी कि रेलवे तथा सड़कों के लिए बनाई गई मेड़ों के लिए पर्याप्त खुली जगह न रखने के कारण उत्पन्न समस्या की परीक्षा की जाए। उत्तर बंगाल में बाढ़ों से उत्पन्न समस्याओं की विस्तृत परीक्षा करने के लिए सिंचाई व बिजली मंत्रालय ने 19-11-1968 को एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति नियुक्त की है जिसमें केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग, रेलवे बोर्ड,

परिवहन मंत्रालय का सड़क-स्कन्ध, मौसम-विज्ञान महानिदेशक, भारत का भू-विज्ञान सर्वेक्षण और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि हैं। उनसे ऐसे क्षेत्रों में रेल और सड़क-पुलों के नमूने के निर्धारण पर सलाह देने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया गया है।

(iv) राय समिति ने विभिन्न विभागों से संबंधित कर्मचारियों के संबंध में कुछ टीका-टिप्पणी की थी। प्रतिवेदन में दी गई इन टीका-टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने उपायुक्त, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, सिंचाई तथा अधिशासी अभियंता (सिंचाई) का पहले ही तबादला कर दिया है। सभी सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगे गए हैं।

खम्भात की खाड़ी में नौपरिवहन

4347. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा:** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है कि खम्भात की खाड़ी में पत्तनों के निकटवर्ती क्षेत्र में सारे वर्ष जहाज आ जा सकें;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में कोई जल संबंधी सर्वेक्षण कराया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डॉ० वी० के० आर० वी० राव):

(क) से (ग) बड़े पत्तनों के अलावा दूसरे पत्तनों का विकास का कार्यकारी उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों में निहित है। गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि कम्बे की खाड़ी में पत्तनों के पास के इलाके को वर्ष भर नौचालन के योग्य बनाने के लिये कोई योजना नहीं बनाई है। भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक ने हाल ही में कम्बे की खाड़ी का ताजा सर्वेक्षण किया है और खाड़ी के उत्तर में जो कुछ इलाके छूट गए हैं उनके सर्वेक्षण का कार्यक्रम 1968-69 में पूरा होने वाला है।

जनसंख्या के नियंत्रण के बारे में पाठ

4348. **श्री रा० रा० सिंह देव:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार जनसंख्या पर नियंत्रण के बारे में स्कूलों में पाठ लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन पाठों को यौन-शिक्षा के बिना ही लागू किया जायेगा?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) से (ग) सरकार का विचार है कि जनसंख्या सम्बन्धी और जनसंख्या की समस्या जो इस समय देश के सामने है और राष्ट्रीय विकास पर इसका विपरीत प्रभाव तथा जनता के रहन-सहन के स्तर को उठाने की कोशिश के सम्बन्ध में अनुकूल जानकारी स्कूल शिक्षा के उपयुक्त स्तरों पर प्रदान की जानी चाहिए। यौन-शिक्षा देने का कोई विचार नहीं है क्योंकि यह ऐसी ही जानकारी का भाग है।

Silver Coins found in Maharashtra

4349. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that silver coins were found while digging the foundation of a building in Mohali in Bhandra District of Maharashtra ;

(b) if so, the number thereof and whether Government officials have taken over the possession of these coins and have handed them over to the Central Archeaological Department ; and

(c) whether some of the said coins have been retained by workmen and Government officials for their personal use ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) to (c) Government have no information. Enquries are being made from the State Government.

Statehood for Tripura

4350. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the poeple of Tripura are demanding that Tripura should be given the status of a State ; and

(b) if so, the reaction of Goverment thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such demand has been received by Government.

(b) Does not arise.

बागबानी कार्यकारी इंजीनियर, चन्डीगढ़ के विरुद्ध शिकायत

4351. **श्री श्रीचन्द गोयल:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में बागबानी विभाग में कार्यकारी इंजीनियर के विरुद्ध दुगना यात्रा-भत्ता लेने की शिकायत है;

(ख) क्या इस मामले की कोई जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्.

(ख) जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) मामले की जाँच चण्डीगढ़ प्रशासन के सतर्कता विभाग तथा स्वयं मुख्य-आयुक्त द्वारा की गयी थी। ज्ञात हुआ है कि अधिकारी की ओर से कोई बदनीयती नहीं थी बल्कि गल्ती भूल से हुई थी। संबंधित अधिकारी को भविष्य में सावधान रहने की उचित रूप से चेतावनी दे दी गई।

चंडीगढ़ में नलकूपों के लिये बिजली के कनेक्शन

4352. **श्री श्रीचन्द गोयल:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़ के संघ राज्य-क्षेत्र में 1967–68 तथा 1968–69 में अब तक कितने लोगों ने अपने नलकूपों के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये आवेदन किया है; और

(ख) कितने लोगों को नलकूपों के लिये कनेक्शनों की स्वीकृति दी गयी है और कितने आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 28 (इसके अतिरिक्त 2-5-67 को जब पंजाब बिजली बोर्ड को तीन भागों में विभाजित किया गया था, 38 आवेदन लंबित पड़े थे)

(ख) क्रमश: 19 तथा 44। तीन आवेदनों को रद्द किया गया।

उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे

4353. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने मुकदमे विचाराधीन थे;

(ख) उनमें से कितने मामले पाँच वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं;

(ग) विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) उनको शीघ्र निबटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2682/68]

(ग) अधिक मुकदमे तथा अपर्याप्त जजों की संख्या विलम्ब के मुख्य कारण बताये जाते हैं।

(घ) सन् 1968 के दौरान अब तक आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दो पद स्थायी न्यायाधीश के, कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक पद स्थायी न्यायाधीश का तथा छः पद अतिरिक्त न्यायाधीश के, दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन पद स्थायी न्यायाधीश के तथा दो पद अतिरिक्त न्यायाधीश के, गुजरात न्यायालय में तीन पद अतिरिक्त न्यायाधीश के, केरल न्यायालय में एक पद अतिरिक्त न्यायाधीश का, मध्य प्रदेश में एक पद स्थायी न्यायाधीश का और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में दो पद अतिरिक्त न्यायाधीश के स्वीकृत किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश रोडवेज, गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारियों की जमानतें

4354. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री मोलहू प्रसाद**
श्री यशपाल सिंह :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री उत्तर प्रदेश, रोडवेज, गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारियों की जमानतों के बारे में 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6652 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा जाँच इस बीच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो मामले से संबंधित कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) और (ख) सीक्योरिटी खाते के पन्ने निकालने के बारे में पुलिस प्राधिकारियों ने अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अभी तक उन्हें यह नहीं मालूम हो सका कि ये पन्ने किसने

निकाले हैं। अतः अभी तक कोई गिरफ्तारियाँ नहीं की गई हैं और न तो किसी के खिलाफ कार्यवाही की गई है। तो भी जाँच प्रगति पर है। जनरल मैनेजर यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज, गोरखपुर के कार्यलय में सिक्योरिटी लेखा के कार्य करने वाले संबंधित कर्मचारी जो अभी फरार हैं, को गिरफ्तार करने के लिये प्रयत्न जारी हैं।

साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में आयोग का प्रतिवेदन

4355. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित मामलों की जाँच करने के लिए नयुक्त किए गए आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) आयोग ने राँची-हटिया के साम्प्रदायिक दंगों (अगस्त 22–29, 1967) पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसकी परीक्षा की जा रही है। आयोग की अन्य स्थानों के दंगों की जाँच प्रगति पर है।

विमानों का निश्चित कार्यक्रम के अनुसार न उतरने के बारे में जाँच

4356. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 9 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काश्मीर पर आक्रमण से बहुत पहले तथा कुछ मास पूर्व 15 जून, 1968 को भुवनेश्वर में और 21 जून, 1968 को बैरकपुर में तथा जुहू में विमानों के निश्चित कार्यक्रम से पूर्व उतरने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सुरक्षा तथा तस्करी की रोकथाम की दृष्टि से सम्बन्धित मामलों की जाँच के लिए एक उच्च शक्तियुक्त जाँच कराने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) अनुसूचित अवतरण के तीनों ही मामलों की जाँच की गयी, तथा जांच के परिणामस्वरूप वह संदेह नहीं हुआ कि अवतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किसी गुप्त अभिप्राय अथवा किसी तस्करी उद्देश्य से किए गए थे।

Road Accidents Between Delhi and Ghaziabad

4357. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether Government have collected figures regarding number of road accidents that take place in a month between Delhi and Ghaziabad ;

(b) if so, the number of accidents that took place during the last six months and the loss of life and property caused as result thereof ; and

(c) the steps proposed to be taken to check them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) 106 accidents took place between Delhi and Ghaiziabad during the period from 1st May to 31st October, 1968. Six persons were kiled in these accidents. Property worth Rs.6,140 was lost on the portion of the road falling in U.P. Statistics regarding loss of property on the portion of the road in Delhi are not available with the Delhi Police.

(c) The followig steps have been taken or are porposed to be taken to reduce road accidents :

(i) Special speed checks are carried out frequently to curb the tenedncy to drive motor vehicles at excessive speed.

(ii) Moible traffic patrols are sent to cover important busy roads during peak hours to detect cases of traffic violations and help remove traffic hold-ups.

(iii) Lecturers on road safety and instructions on traffic rules are give in eductional institutions. Practical demonstrations on roads have also been given for the benefit of students. Road safety measures are propagated through organising Road Safety Weeks.

(iv) Movement of heavy transport vehicles have been suspended on various busy roads, while on a few other roads, movements are suspended during peak hours. A number of congested roads have been declared "one-way" and parkig has been banned in congested areas on various roads.

(v) From the beginning of January, 1963, selective enforcement was started. Special attention was paid to offences committed by public service vehicle drivers at selected places. The persons challaned for breach of traffic law were punished with heavier fines to discourage them from becoming habitual traffic offenders.

(vi) Police out-post has been established at the U. P.—Delhi border by the Government of Uttar Pradesh.

(vii) the possibility of having a bye-pass and widening of the road between Delhi and Ghaziabad is also being examined.

Pucca Roads Near Ghats at Garhmukteshwar

4358. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pilgrims come for taking bath in the Ganges on each Purnima and Amavasya at the Bridge Ghat near Garhmukteshwar ;

(b) whether it is also a fact that the pilgrims face great difficulty in the absence of a pucca road to reach the lower ghats from the main road ; and

(c) whether Government porpose to provide a pucca road there and, if so, the time by which it would be constructed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The bridge ghat near Garhmukteshwar is being maintained by the State P. W. D. The Government of U.P., are therefore, primarily responsible for the construction of approach roads to that ghat. It is understood from them that they have no proposal at present to provide a pucca approach road to the lower ghats. We are, however, requesting the Goverment of Uttar Pradesh to look into the matter again.

Contribution of Revolutionaries in Freedom Struggle of India

4359. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether a proposal for preparing an authentic history regarding the contrlbution of revolutionaries in the freedom struggle of India has been considered ;

(b) whether Government have received some more suggestions in this regard ; and

(c) if so, the time by which a final decision is likely to be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) to (c) There is at present no proposal for preparing a separate history regarding the contribution of revolutionaries in the freedom struggle. The History of Freedom Movement compiled by Dr. Tara Chand will doubtless include the contribution of revolutiaries in freedom struggle. Government did receive some suggestions in this regard from the General Secretary, Conference of Indian Revolutionaries. These were considered but it was decided not to accept them. The General Secretary, Conference of Indian Revisolutionaries, has been informed of th:s position as also of the existence of an Oral History Department in the Nehru Memorial Museum and Library in New Delhi which records interviews with individuals who participated in the freedom struggle. The Conference has been asked to suggest suitable names to the Nehru Memorial Museum and Library so that the interviews could be arranged. Government also propose to compile and brochure giving life sketches and photographs wherever possible of all those persons who are known to have been killed, or hanged in the freedom struggle.

Setting up of Universities in States

4360. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of the States where more Universities are proposed to be set up by Government ;

(b) whether some more educational facilities would be provided therein as compared to the existing Universities ; and

(c) the date by which a final decision would be taken in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) The Universties in the States are set up by the respective State Governments. The University Grants Commission has, however, under consideration proposals from the Governments of Bihar and Gujarat for establishment of Mithila University (by reorganising K. S. Darbhanga Sanskrit University) and a residential University at Bhavnagar respectively. The details of the educational facilities to be provided in the Universities will be worked out by the State Governments after the proposals have been approved.

The Jawaharlal Nehru University is likely to start functioning in Delhi during 1969. According to the provisions of the Act, the University shall—

(i) foster the composite culture of India and establish such departments or institutions as may be required for the study and development of the languages, arts and culture of India :

(ii) take special measures to facilitate students and teachers from all over India to join the University and participate in its academic programmes ;

(iii) promote in the students and teachers an awareness and understanding of the social needs of the country and propare them for fulfilling such needs ;

(iv) make special provision for integrated courses in humanities, science and technology in the educational programmes of the University.

(v) take appropirate measures for promoting inter-disciplinary students in the University;

(vi) establish such departments or institutions as may be necessary for the study of languages, literature and life of foreign countries with a view to inculcating in the students a world perspective and international understanding ;

(vii) provide facilities for students and teachers from other countries to participate in the academic programmes and life of the University.

Wirting of names on Indian Airlines Aircraft in Hindi

4361. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1045 on the 26th July, 1968 and state :

(a) whether suitable design for writing names on the planes of the Indian Airlines Corporation has been prepared ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons for the delay in this regard ; and

(d) the time by which the said design is likely to be prepared ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d) A suitable design in Hindi for writing the Corporation's name on the planes of Indian Airlines has since been finalised. The Hindi version will be painted on one side and the English version on the other, as and when repainting of the aircraft falls due.

Imperial Hotel, New Delhi

4362. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Hardyal Devgun :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri T. P. Shah :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the repairs and improvements, which were under way in the Imperial Hotel, New Delhi, have been completed ;

(b) whether the management of the Hotel has recruited new staff ; and

(c) if so, the number of employees under the old management who have been reappointed ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The Hotel Imperial has started functioning with effect from Ist October, 1968 after repairs and renovations.

(b) and (c) The management of the Hotel has recruited 54 new employees and reappointed 141 old ones.

Construction of Ashoka Hotel Annexe and Revolving Tower

4363. **Shri Ram Singh Ayarwal:** **Shri Hardyal Devgun :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri T. P. Shah :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Jugal Mondal :

Will the Minster of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 121 on the 26th July, 1968 and state :

(a) whether Government have since received the report of the Enquiry Committee which was appointed to inquire into the irregularities committed in the construction of the Ashoka Hotel Annexe including the Revolving Tower ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay in this regard ?

The Minister of Tourism And Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) The report of the Enquiry Committee was received by Government about three weeks ago and the recommendations made therein are being examined.

दिल्ली में हुई पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा

4364. **श्री दी० चं० शर्मा: श्री वेणी शंकर शर्मा:**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 6 सितम्बर, 1968 को हुई पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा की सौ से अधिक कापियाँ एडवर्ड पार्क, दिल्ली में पड़ी पाई गई थीं;

(ख) क्या इस मामले में कोई जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) पूछताछ की गई थी तथा तहकीकात के लिए मामले की पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई थी। तथापि, संबंधित उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा ली गई है।

मुरादाबाद में गड़गड़ाहट की आवाज

4365. **श्री दी० चं० शर्मा : श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री ओमप्रकाश त्यागी:

क्या पर्यटन तथा अंतरिक्ष उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 7 सितम्बर, 1968 को मुरादाबाद में गड़गड़ाहट की आवाज से खिड़कियाँ और दरवाजे हिल गए और लोग भय के कारण घरों से बाहर आ गए;

(ख) क्या इस घटना की जाँच की गयी है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यटन तथा अंतरिक्ष उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) 7 सितम्बर, 1968 को मुरादाबाद में एक गड़गड़ाहट की आवाज के सुने जाने की सूचना मिली है। यह भी सूचना मिली है कि प्रारम्भ में कुछ आतंक हुआ, परन्तु यह शीघ्र ही समाप्त हो गया। जन साधारण की मनःस्थिति सामान्य बनी रही।

(ख) और (ग) दिल्ली, मेरठ तथा कालागढ़ के संवेदनशील भूकम्प-लेखियों ने कोई भूमि के प्रकंप का अभिलेख नहीं किया। यह संभव है कि आवाज एक बड़े हल्के से भूमि प्रकंपन

के कारण हुई जिसका उद्गम स्थानीय था, तथा जो इतना प्रबल नहीं था कि उसका उक्त स्थानों के भूकम्प-लेखियों द्वारा अभिलेख किया जा सकता। यह भी संभव है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ किसी जेट विमान के 'साउंड बैयरयर' को पार करने के कारण हुई।

Majlis-E-Itehadul Musalmeen

4366. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri J. B. Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 648 on the 23rd August, 1968 regarding Majlis-e-Ithadul Musalmeen and sate:

(a) whether the report of the Government of Andhra Pradesh has been received in regard to the activities of the Majlis ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The report is awaited.

(b) Does not arise.

अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली

4367. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अशोक होटल लिमिटेड खरीद, ठेके आदि देने वाले तथा बिक्री कर्मचारियों के (500 रुपए प्रतिमास से अधिक वेतन वाले पदों पर) भर्ती संबंधी उचित नियम बनाये हुए हैं और यदि हाँ, तो ये नियम क्या हैं और ये कब से लागू हैं; और

(ख) क्या किसी समय कम्पनी के कार्यकरण का सामान्य अनुमान लगाया गया था और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो क्या इसकी कमियों का पता लगाने और इसके कार्य में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने का है।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) नियुक्ति और पदोन्नतियों के लिए निश्चित क्रिया-विधियाँ हैं जिनके अनुसार 400–800 रुपए और अधिक के वेतन-मानों के पदों पर सभी नियुक्तियाँ होटल के निदेशक-मण्डल के पूर्व अनुमोदन से की जाती हैं। खरीद और ठेके नवम्बर, 1959 में लागू की गयी निश्चित क्रियाविधियों द्वारा विनयमित किए जाते हैं।

बिक्री, कमरों के किराये, इत्यादि के मामलों में निदेशक-मण्डल द्वारा मंजूर किए गए शुल्क-दर के अनुसार और भोजन तथा पेय पदार्थों के लिए प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित की गयी कीमतों के अनुसार की जाती है।

(ख) व्यापार सलाहकार, मेसर्स वीकन्स प्राइवेट लिमिटेड की एक फर्म को तीन मास की अवधि के लिये नियुक्त किया गया था। उनकी रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है तथा उसमें की गयी सिफारिशों की होटल द्वारा जाँच की जा रही है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

4368. **श्री प्रेम चन्द वर्मा:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की किस वर्ष स्थापना हुई थी; इसके निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन थे तथा यह बोर्ड कब तक कार्य करता रहा;

(ख) निदेशक बोर्ड के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं तथा कारपोरेशन के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के नाम क्या हैं; उन्हें कब नियुक्त किया गया था तथा उनकी पदावधि तथा नियुक्ति की शर्तें क्या हैं; और

(ग) कारपोरेशन को (1) अनियमितताओं (2) चोरी (3) स्टाक की कमी तथा (4) आग के कारण कितनी हानि हुई और क्या इन मामलों की जाँच की गई थी और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2683/68]

(ग) यदि कोई अनियमितायें इत्यादि होती हैं तो वे लेखा-परीक्षा के दौरान नोट की जाती हैं तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उनका उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट संबद्ध वार्षिक लेखे के साथ प्रतिवर्ष सभा-पटल पर रखी जाती है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

4369. **श्री प्रेम चन्द वर्मा:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खरीद, ठेके आदि देने तथा बिक्री कर्मचारियों की (500 रुपयों से अधिक वेतन पाने वाले पदों पर) भर्ती संबंधी उचित नियम इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने बनाये हुए हैं और वे कब से लागू हैं; और

(ख) क्या इस कारपोरेशन के कार्य का कभी कोई सामान्य मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसके दोषों का पता लगाने तथा इसकी कार्यप्रणाली को सुधारने के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):

(क) जी, हाँ। सभी वर्गों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए और खरीद के ठेकों तथा बिक्री के लिए उचित कार्य-विधियाँ निर्धारित की गयी हैं। ये 1953 में कारपोरेशन की स्थापना के समय से ही लागू रही हैं।

(ख) कारपोरेशन के सामान्य कार्य-चालन का, प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी 43वीं रिपोर्ट (1956–57) में, और बाद में 'सरकारी उद्यम समिति' द्वारा अपनी 23वीं रिपोर्ट (मार्च, 1965 तक) में पुनरालोकन किया गया। कारपोरेशन अपने कार्यों का स्वयं निरन्तर

पुनरालोकन करते हैं और जहाँ कहीं आवश्यक होता है स्वयं ही या बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से अपनी प्रणालियों तथा कार्य-विधियों को दोष रहित करने की ओर उचित ध्यान देते हैं।

शिपिंग कारपोरेन्शन आफ इंडिया लिमिटेड

4370. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की किस वर्ष स्थापना हुई थी, इसके निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन थे तथा यह बोर्ड कब तक कार्य करता रहा;

(ख) निदेशक बोर्ड के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं और कारपोरेशन के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के नाम क्या हैं, उन्हें कब नियुक्त किया गया था तथा उनकी पदावधि तथा नियुक्ति की शर्तें क्या हैं; और

(ग) कारपोरेशन को (1) अनियमितताओं (2) चोरी (3) स्टाक की कमी तथा (४) आग के कारण कितनी हानि हुई और क्या इन मामलों की जाँच की गई थी और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० श्री० के० आर० वी० राव) :

(क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड 2 अक्तूबर, 1961 को स्थापित हुई थी, 2 अक्तूबर, 1961 को कारपोरेशन के निदेशक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य थे :—

1—डा० नागेन्द्र सिंह	अध्यक्ष
2—श्री सी० पी० श्रीवास्तव	प्रबन्ध निदेशक
3—श्री वी० एन० अदारकर	निदेशक
4—श्री एस० एन० बिलग्रामी	,,
5—श्री डी० आर० खन्ना	,,
6—श्री एच० लाल	,,
7—श्री के० के० सहानी	,,
8—श्री एस० एस० शिरालकर	,,
9—श्री ए० डी० पाँडे	,,
10—श्री जगजीत सिंह	,,
11—श्री आर० वारदाचारी	,,

सरकारी कर्मचारी जो आंशिक काल के लिये नियुक्त किए जाते हैं, उनके त्यागपत्र तथा स्थानान्तरण से हुए खाली स्थानों के कारण बोर्ड की बनावट समय-समय पर बदलती रहती है।

(ख) निदेशक बोर्ड के वर्तमान सदस्यों, अध्यक्ष और प्रबन्धक निदेशकों के नाम तथा उनके नियुक्ति की तिथि प्रत्येक में नीचे दिए गए हैं।

सदस्यों के नाम	नियुक्ति की तिथि तथा पदनाम
1—श्री सी० पी० श्रीवास्तव	अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक 3–3–1966 से (2–10–61 को निदेशक के रूप में)

2—श्री पी० एन० जैन	निदेशक	23-8-1965 से
3—श्री वी० एस० डी० वालिगा	निदेशक	20-4-1967 से
4—श्री जे० ए० दावे	निदेशक	30-9-1965 से
5—श्री पी० सी० भट्टाचार्य	निदेशक	4-12-1967 से
6—श्री जगजीत सिंह	निदेशक	2-10-1961 से
7—श्री कमलजीत सिंह	निदेशक	20-4-1967 से
8—श्री ए० डी० पाँटे	निदेशक	2-10-1961 से
9—श्री गोविन्द एच० सेठ	निदेशक	15-9-1964 से
10—श्री होमी जे० एच० तलियार खां	निदेशक	14-11-1968 से
11—श्री बी० के० कपूर	निदेशक	14-11-1968 से
12—श्री एस० ए० एल० नारायण राव	निदेशक	14-11-1968 से

क्रमसंख्या 10, 11 और 12 पर दिखाये गए सदस्य दो वर्ष के लिए नियुक्त हुए हैं। क्रम संख्या 4 पर का सदस्य की शिपिंग कम्पनियों के निदेशकों के बोर्ड में सरकारी निदेशक होने के कारण नियुक्ति की गई है। दूसरे सदस्यों की नियुक्ति की अवधि जो कि सरकारी विभागों या पब्लिक अधिकरणों के प्रतिनिधि हैं, उनकी अवधि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि त्यागपत्र, स्थानान्तरण से परिवर्तन किए जाते हैं।

(ग) कारपोरेशन को अनियमितताओं, चोरी, स्टाक की कमी या आग के कारण या दूसरे कारणों से कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि पोतों और कारपोरेशन की दूसरी संपत्ति का आग के सहित सब खतरों के लिये बीमा किया होता है। फिर भी पोतों में आग के कारण क्षति के मामले हुए हैं जो बीमा कम्पनियों से बीमा के सामान्य शर्तों के अनुसार अदायगी कर दी जाती है।

पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति

4371. **श्री श्रीचन्द गोयल:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़ी तेजी से बिगड़ती जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में सलाहकारों की नियुक्ति

4372. **श्री श्रीचन्द गोयल:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में तीन सलाहकार नियुक्त किए गए थे और अब तक केवल दो ही काम पर आये हैं;

(ख) तीसरे सलाहकार द्वारा कार्य-भार संभालने के लिये आने में किन कारणों से विलम्ब हो रहा है; और

(ग) उसके कब तक काम पर आ जाने की सम्भावना है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Ashoka Hotels Ltd. New Delhi

4373. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether he has received any written complaints from the Chairman of the Action Committee of the Ashoka Hotels Employees Union about certain irregularities committed by the present Chairman of the said Hotel ;

(b) if so, the action taken thereon ; and

(c) whether Government would institute an enquiry in this connection ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir. No complaints have been received against the present Chairman.

(b) and (c) Do not arise.

Assistant Superintendents in Central Jail, New Delhi

4374. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Assistant Superintendents posted in the Central Jail, New Delhi at present ;

(b) the number of those out of them belonging to the Punjab Government Service and Haryana Government Service, respectively ;

(c) whether arrangements are porposed to be made to send them back to their respective State Service in case new pay scale of Assistant Superintendent is not given to them ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Minitry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Ten.

(b) Punjab	Three
Haryana	Five

(c) and (d) These officers will be replaced as and when suitable local officers are available.

Assistant Superintendents in Central Jail, New Delhi

4375. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has created posts of Assistant Superintendents in the Central Jail, New Delhi with new pay scale ;

(b) if so, the details of the old and new pay scales ;

(c) whether the new pay scale would be given to all the old Assistant Superintedents also ;

(d) if not, the reasons therefor ;

(e) whether it is a fact that newly recurited Assistant Superintendents would get more pay than what the old Superintendents get ; and

(f) the steps porposed to be taken by Government to remove this anomaly ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :

(a) Yes, Sir.

(b) Old scale of pay : Rs. 100—10—300.

New scale of pay : Rs.210—10—290—15—320—E.B.—15—425.

(c) No, Sir.

(d) Out of ten existing posts of Assistant Superintendents, 8 are being manned by the persons belonging to Punjab/Haryana Government cadres. These officials will not be given new scale of pay because they are on deputation.

(e) Not in all cases.

(f) It has been decided that the Assistant Superintendents belonging to other States will get deputation allowance in accordance with the instructions of the Government of India on the subject.

Houses in Jamia Masjid Area, Delhi

4376. **Shri Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a number of houses in the area of Jamia Masjid on Delhi stand in a precarious condition ;

(b) if so, the number thereof ; and

(c) the action being taken to demolish them at an early date ?

The Minister of State in the Ministry of Homes Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The Jama Masjid area comparising Matia Mahal, Churi Wallan, Dariba Kalan and Dharm Pura and its surrounding localities was last surveyed by the Delhi Municipal Corporation during the months of July and September, 1968, in order to detect the dangerous and repairable houses. 22 houses were found as dangerous and 35 repairable. The dangerous houses have already been demolished and in the case of repairable houses, notice under section 348 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 has been served upon the owners/occupants.

Reservation of Quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in I. C. S./I. A. S./I. P. S. Posts

4377. **Shri Ram Swarup Vidyarthi**: Will the Minister of **Home Affair** be pleased to state :

(a) the number of I. C. S., I.A.S. and I.P.S. Officers who belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(b) whether it a fact that the quota reserved for them has not been filled completely ; and

(c) if so, the action being taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

	ICS/IAS	IPS
(a) Scheduled Castes	148	82
Scheduled Tribes	61	26

(b) No, Sir. During the past few years quota reserved for candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes is being completely filled up.

(c) Does not arise.

Enquiry into Communal Riots

4378. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Abdul Ghani Dar : **Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports of the inquiries conducted separately into the communal riots that took place in different parts of the country during the last six months ;

(c) the main causes of those riots ; and

(d) the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):
(a) to (d) No inquiry was conducted separately into any communal riot that took place in the country during the last six months except in Maharashtra in respect of the Nagpur and Aurangabad riots of June ,1968, which were inquired into by Magistrates. According to the information furnished by the State Government, the inquiries show that the incidents in Nagpur started due to non-payment of hair cut dues by a Neo Budha to a Muslim. In Aurangabad a tense siutation was created when a Muslim boy injured a cow with a knife, while she was eating bread from the shop in which he was a servant.

'Son Et Lumiere at Sabramati Ashram'

4379. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri R. K. Amin :**
Shri Manubhai Patel :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have received representations to the effect that 'Son Et Lumiere ' scheme should aslo be introduced in the Sabarmati Ashram of Mahtma Gandhi ;

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ; and

(c) the expenditure involved in its implementation and the time likley to be taken to implement the scheme ?

The Minister of Tourism And Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) to (c) The proposal to mount a son-et-lumiere spectacle at Sabarmati Ashram is under active consideration.

Arrests of Pak. Nationals

4380. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani citizens arrested in the country since Ist January, 1965 up till now ;

(b) the number of persons out of the arrested persons against whom prosecutions were launched by Government, the number of those awarded punishment and the number of cases pending at present in the courts concerned ; and

(c) the number of Pakistani citizens deported from the country during the aforesaid period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it becomes available.

Police Firings Ordered in States under President's Rule and Union Territories

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of times firing was ordered in the States under the President's Rule and the Union Territories during the period from the Ist January, 1965 to date ;

(b) the number of persons killed and injrrned as a result thereof ; and

(c) the number of cases regarding which Magistrial and Judicial inquiries were held, separtely?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) A statement is laid on the table of the House. **[Placed in Library. See No. LT. 2684/68]**

साहित्य अकादमी की उर्दू अनुभाग समिति

4382. **श्री जार्ज फेरनेन्डीज**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साहित्य अकादमी की उर्दू अनुभाग समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) ये व्यक्ति इस समिति में कब से कार्य कर रहे हैं,

(ग) इस समिति के लिए व्यक्तियों का नाम निर्देशन, किस आधार पर किया जाता है; और

(घ) उर्दू में पुस्तकें लिखने के लिए साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) साहित्य अकादमी के उर्दू सलाहकार बोर्ड के मौजूदा सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:—

1. प्रो० एम० मुजीद
2. प्रो० एहतेशम हुसैन
3. प्रो० मसूद हुसैन खां
4. डा० के० ए० फरुकी
5. श्री सज्जाद जहीर
6. श्री आनन्द नारायण मुल्ला
7. डा० एस० ए० अहमद ओरैनवी

8. श्री मलिक राम
9. कुमारी कुर्रातुलैन हीदर
10. प्रो० ए० ए० सरूर

(ख) मौजूदा उर्दू सलाहकार बोर्ड मार्च, 1968 में गठित किया गया था।

(ग) सलाहकार बोर्ड के सदस्यों का चुनाव सम्बन्धित भाषा में लेखकों, विद्वानों अथवा आलोचकों की हैसियत से साहित्य के क्षेत्र में उनकी ख्याति के आधार पर साहित्य अकादमी कार्यकारी बार्ड द्वारा किया जाता है।

(घ)	1955	स्वर्गीय जफर हुसैन खां।
	1956	डा० आबिद हुसैन ।
	1957	डा० के० ए० फरुकी।
	1958	स्वर्गीय जिगर मुरादाबादी (अली सिकन्दर)
	1959	श्री सयैद मसूद हसन रिज़वी
	1960	'फिराक गोरखपुरी' (श्री रघुपति सहाय)
	1961	श्री इम्तिआज अली 'अर्शी'
	1962	श्री अखतर उल इमान
	1963	श्री के० जी० सैय्यदैन
	19.4	श्री आनन्द नारायण मुल्ला
	1965	श्री राजिन्दर सिंह बेदी
	1967	श्रीमती कुरीतुलैन हीदर।

पत्रकार कोशि ोगा (मैसूर) के 'टाउन क्लब' में प्रवेश की अनुमति का न दिया जाना

4383. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अप्रैल, 1968 के 'सन्डे स्टैन्डर्ड' (बंगलौर से प्रकाशित होने वाले) की एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि एक पत्रकार और एक हरिजन नेता, श्री एन० के० मारूती को शिमोगा "टाउन क्लब" (मैसूर) में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई ;

(ख) क्या सरकार की इस विषय पर किसी और स्रोत से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) क्या श्री मारूती को प्रवेश करने से रोकने वाले क्लब के सदस्यों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) श्री एन० के० मारूती ने शिमोगा पुलिस को 16 अप्रैल, 1968 को इस मामले में एक शिकायत दी थी।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जाँच से मालूम हुआ कि शिकायत सत्य नहीं थी अतएव विधि के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई।

Scheme of National Lecturership

4384. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission has submitted a proposal regarding the scheme of National Lecturership ; and

(b) if so, the purpose of the scheme?

The Ministry of State in the Ministry of Education : **(Shri Bhagwat Jha Azad)** : (a) and (b) The University Grants Commission has under consideration a scheme for instituting National Lecturerships/Fellowships. The scheme aims at providing facilities, opportunities and leisure to teachers, scientists and scholars of outstanding merit to engage on a full-time basis in research work and advanced study including writing of special books and monographs.

नये हवाई अड्डों का विकास

4385. **श्री मधु लिमये** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई अड्डों के मौजमा संबंधी दल ने कुछ नए हवाई अड्डो का विकास करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर हवाई अड्डे बनाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हाँ।

(ख) कालीकट, कोल्हापुर, हसन, हॉस्पेट, बीजापुर तथा शिलांग (वारापानी) में नए हवाई अड्डों के निर्माण की प्रायोजनाओं के चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) यदि ये प्रायोजनायें चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली जाती हैं तो इनके 1973–74 में समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है ?

उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में जांच

4386. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : **श्री बे० कु० दासचौधरी** :
श्री रवि राय : **श्री भोगेन्द्र झा** :

क्या गृह-कार्य मंत्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1029 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरोपों की प्रथम दृष्टया जाँच के लिए एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मुधोलकर ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) श्री मुधोलकर को एक जाँच आयोग के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। उन्होंने एक गोपनीय जाँच की थी और उन्होंने राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्धमें एक प्रेस नोट जारी किया। उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक लेख्य याचिका दायर की गई है और एक अन्तरिम आदेश पारित किया गया है कि गोपनीय प्रलेख लेख्य याचिका का निपटान हो जाने तक प्रकाशित नहीं किया जाय।

(ग) इसका सम्बन्ध मूलतः राज्य सरकार से है। उड़ीसा सरकार लेख्य याचिका पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेशों की प्रतीक्षा कर रही है।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था

4387. श्री नि० रं० लास्कर : श्री रा० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दिन प्रतिदिन हत्यायें और लूटने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं और जीवन सुरक्षित नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि दिल्ली पुलिस अपराधियों की सहायता करती है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1-1-1968 से 31-10-1968 तक की अवधि में दिल्ली में 104 लूट और हत्या के मामले सूचित किए गए जबकि गत् वर्ष समान अवधि में इन मामलों की संख्या 93 थी। यद्यपि इन दो प्रकार के अपराधों में थोड़ी वृद्धि हुई है, किन्तु अवधि के दौरान कुल मिला कर दिल्ली में अपराध-स्थिति नियंत्रण में है।

(ख) और (ग) जब कभी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं या शिकायतें की जाती हैं तो कानून और विभागीय विनियमों के अनुसार उनकी दिल्ली प्रशासन द्वारा जाँच की जाती है।

भारतीय भाषाओं के विकास के बारे में सम्मेलन

4388. श्री नि० रं० लास्कर : श्री रा० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भाषाओं के विकास प्रभारी राज्य सरकारों के अधिकारियों का सम्मेलन हाल ही में हुआ था, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय भाषाओं में सामान्य शब्दावलियाँ तैयार करने के कार्य को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करने का निर्णय किया गया था?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ। भारतीय भाषाओं के विकास के कार्यभारी राज्य अधिकारियों का एक सम्मेलन 9 सितम्बर, 1968 को नई दिल्ली में हुआ था।

(ख) जी हाँ। निम्नलिखित विषयों के बारे में एकमत राय थी:—

(i) सभी भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली को तेजी से अन्तिम रूप देने की तत्काल आवश्यकता है, अन्यथा पुस्तक निर्माण के कार्यक्रम को हानि पहुँचेगी;

(ii) अध्यापकों और विद्यार्थियों की गतिशीलता और सारे देश में उच्च अनुसंधान के हित में यह आवश्यक है कि जहाँ तक सम्भव हो, भारतीय भाषाओं में अपनाई जाने वाली शब्दावली, विशेष रूप से विज्ञान संबंधी शब्दावली एकरूप होनी चाहिए ; और

(iii) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गई शब्दावली इस प्रयोजन के लिये अपनाना अनुकूलन के लिए आधार रूप होगी।

नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार

4389. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री रा० कृ० सिन्हा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 को रैवन्यू बिल्डिंग्ज के निकट संवाददाताओं, पत्रकारों तथा फोटोग्राफरों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था और उन पर हमला किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) 19 सितम्बर, 1968 को रैवन्यू बिल्डिंग्ज के निकट किसी संवाददाता के साथ दुर्व्यवहार का कोई मामला नहीं हुआ। तथापि, दिल्ली के उपायुक्त ने, जिनसे 19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ भवन में तथा उसके आस-पास हुई घटनाओं की जाँच करने को कहा गया था, सूचना दी है कि तीन पत्रकार, जिनको 19 सितम्बर, 1968 को इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में चोटें आई थीं, उनके सम्मुख पेश हुए थे। इसके अतिरिक्त एक और पत्रकार भी घायल हुआ बताया जाता है।

संवाददाताओं को चोट पहुँचाने वाले विशिष्ट पुलिस कर्मचारियों को पहचानना सम्भव नहीं है। उपायुक्त का प्रतिवेदन परीक्षाधीन है।

'Expenditure on Education During Fourth Five Year Plan

4390. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure likely to be incurred on education during the Fourth Five Year Plan period and its percentage in the national income ; and

(b) the provision made in the budgets of the Central Government and the State Governments for education and its percentage in the total budget provision ?

The Minister of State in the Ministry of Education : (Shri Sher Singh) : (a) and (b) Tne proposals made by the State Governments, Union Territories and the Ministry

of Education for educational development in the Fourth Five Year Plan are still under consideration.

New Air Services

4391. **Shri Mahraj Singh Bharati** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the four new air services, which were to be started in 1968-69, have been started ; and

(b) if not, the time by which these are likely to be started ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (**Dr. Karan Singh**) : (a) and (b) The position in respect of the four new air services is as follows :—

(i) Delhi—Lucknow—Patna—Calcutta (ii) Calcutta—Bagdogra—Patna—Kathmandu (iii) Delhi—Agra—Khajurao—Banaras—Calcutta.	Started effective 11th November, 1968.

Started effective 11th November, 1968, but overflies Khajuraho at present as the full length of the runway there is not yet fit for heavier aircraft. However, a Dakota service between Delhi and Khajuraho is operating on four days a week to cater for Delhi—Khajuraho traffic.

(iv) Bombay—Baroda—Ahmadabad.

Not yet introduced as Baroda airfield is not fit for operation. The service through Baroda is expected to be introduced by February, 1969, when the airfield is expected to be fit for operation.

D. T. U. Services

4392. **Shri Mahraj Singh Bharati**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state the details of the scheme formulated to develop services of the Delhi Transport Undertaking during the Fourth Plan period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (**Shri Bhakt Darshan**): The Fourth Plan proposals relating to the D. T. U. are still under consideration.

"आदर्श विभूतियं" में गलत प्रकाशन

4393. **श्री यज्ञदत्त शर्मा**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली की एक फर्म द्वारा प्रकाशित पुस्तक "आदर्श विभूतियां" की ओर दिलाया गया है जिसमें राजस्थान और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तानी कब्जे में दिखाया गया है;

(ख) क्या इस पुस्तक में कुछ और भी गुमराह करने वाली तथा निराधार बातें लिखी गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क) से (ग) हमारा ध्यान पुस्तक के 83 और 85 पृष्ठों की ओर आकर्षित किया गया

है। यद्यपि कुछ बातें वास्तव में सच नहीं हैं तो भी ये बातें भारत की क्षेम या सुरक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं मालूम पड़तीं।

प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बर्बादी

4394. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बर्बादी की चौथी योजना में आधा करने के एक सक्रिय कार्यक्रम पर विचार करने के लिए 23 सितम्बर, 1968 को राज्यों के शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ तो किन-किन अन्य बातों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ग) क्या यह बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर प्रतिवर्ष 2.50 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपाय सुझाये गए हैं?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) और (ख) प्राथमिक स्तर पर बरबादी तथा निश्चलता सम्बन्धी राष्ट्रीय सेमिनार ने जिसमें राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे, इस स्तर पर बरबादी और निश्चलता को कम करने के लिए चौथी आयोजना में कार्यवाही सम्बन्धी कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए विचार-विमर्श किया था।

(ग) जी, नहीं। सेमिनार ने उस भारी बरबादी पर प्रकाश डाला था जो कमियों तथा निश्चेष्टता के कारण प्राथमिक स्तर पर होती हैं, परन्तु इसका आर्थिक दृष्टियों से परिमाण नहीं कूता था।

(घ) सेमिनार द्वारा सिफारिश किए गए एक कार्यवाही सम्बन्धी कायक्रम के बारे में चौथी आयोजना की जरूरी कार्यवाही के लिए राज्यों से पत्र-व्यवहार किया गया है। सेमिनार द्वारा सिफारिश किए गए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों की आयोजनाओं में व्यवस्था भी कर दी गई है।

अगरपुरा में बम विस्फोट

4395. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या गृह-कार्य मंत्री अगरपुरा में बम विस्फोट के बारे में 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6809 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में अगरपुरा में 21 जून, 1968 को हुए बम विस्फोट के मामले में की जा रही जाँच की रिपोर्ट इस बीच सरकार को प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस घटना में कुल कितने व्यक्ति मारे गए तथा कितने घायल हुए; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 21 जून, 1968 को प्रातः लगभग 8 बजकर 40 मिनट पर अगरपारा कुटीर शिल्प प्रतिष्ठान के अहाते के भीतर एक छोटे मैदान में एक बम का विस्फोट हुआ जब तीन लड़कों नें एक गेंद जैसे पदार्थ को तोड़ कर खोलने की चेष्टा की। दो लड़कों की घटनास्थल पर उसी समय मृत्यु हो गई और एक, उसकी चोटों के कारण, हस्पताल में मर गया। जाँच से यह पता नहीं चला है कि लड़कों ने कहाँ से और कैसे बम प्राप्त किया था? विस्फोटित बम के अवशेष विस्फोटकों के निरीक्षक को भेज दिए गए।

हिन्दी के संवर्धन के लिए उड़ीसा में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता

4396. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दी का विभिन्न तरीकों से संवर्धन करने के लिए उड़ीसा में स्वयंसेवी संगठनों को कितनी सहायता दी गयी है; और

(ख) इन स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा वे किस-किस स्थान पर हैं और वर्ष 1967–68 और 1968–69 में उन्हें कितनी-कितनी सहायता दी गयी?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) गत तीन वर्षों (1965–66 से 1967–68) के दौरान हिंदी की प्रगति के लिए उड़ीसा में स्वयंसेवी हिन्दी संस्थाओं को 86730 रुपए की वित्तीय सहायता दी गयी थी।

(ख) 1967–68 के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं को उनके आगे दिए गए ब्यौरों के अनुसार अनुदान दिए गए थे।

नाम व पता	किस प्रयोजन के लिए दिए गए	राशि
उत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा रोड, कटक–1	टाइप की कक्षाएं, हिन्दी शिक्षण केन्द्र, हिन्दी पुस्तकालयों का चलाना और पुनश्चर्या पाठयक्रम तथा हिन्दी शिक्षकों/प्रचारकों के लिए प्रशिक्षण शिविर संचालित करना।	16,290
हिन्दी राष्ट्रभाषा परिषद्, जगन्नाथ धाम, नीलिमा गृह पुरी।	अंशकालिक हिन्दी शिक्षण केन्द्रों का चालू करना।	11,250
1968–69	वर्ष में अनुदान वितरित नहीं किए गए हैं।	

उड़ीसा में पर्यटकों की रुचि के स्थान

4397. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष उड़ीसा में पर्यटकों की रुचि के स्थान देखने के लिए जाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या जानने के लिए कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) क्या पिछले दो वर्षों में उड़ीसा में जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी हुई है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) प्रत्येक राज्य के लिये अलग-अलग आँकड़ों के अभाव में यह बताना संभव नहीं है कि किसी राज्य विशेष में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी।

भुवनेश्वर में प्राचीन स्मारक

4398. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भुवनेश्वर में प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए वर्ष 1967–68 में कितनी धन-राशि मंजूर की गयी थी और कितनी राशि खर्च की गयी थी तथा वर्ष 1968–69 के लिए कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) भुवनेश्वर में स्मारकों के इर्दगिर्द बाग आदि लगाकर उन्हे सुन्दर बनाने के लिये कार्यवाही करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) उड़ीसा में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण के लिए 1967–68 के दौरान 15,231 रुपए निर्धारित किए गए थे किन्तु उस वर्ष वास्तव में 15,990 रुपए खर्च नहीं किए गए थे। इस प्रयोजन के लिए 1968–69 वर्ष के लिए 15,834 रुपए निर्धारित किए गए हैं।

(ख) भुवनेश्वर के लगभग सभी मंदिरों के चारों ओर पक्के मार्ग हैं, जिनके कारण बड़े बाग लगाना कठिन है। किन्तु भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा इस मामले पर दोबारा विचार किया जा रहा है, जो जहाँ कहीं सम्भव हो और जितना सम्भव हो, बाग लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो।

वाईकाउंट विमानों के स्थान पर नए विमानन चलाना

4399. **श्री रा० की० अमीन :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार वाइकाउंट विमानों के स्थान पर किसी अन्य प्रकार के विमान चलाने का विचार पिछले एक वर्ष से कर रही थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन (डॉ० कर्ण सिंह) :

(क) और (ख) वाइकाउंट को बदल कर उसके स्थान पर लेने के लिए एक उपयुक्त विमान की सिफारिश करने के लिये सरकार ने 1967 में एयर मार्शल पी० सी० लाल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने सिफारिश की कि अभी और पाँच वर्षों तक वाइकाउंटों को बदलना आवश्यक नहीं। सरकार ने समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इस बीच, इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े को बढ़ाने, तथा उक्त पाँच वर्ष की अवधि के उपरान्त वाइकाउंटों को बदलने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

गिरनार में रज्जू मार्ग

4400. श्री रा० की० अमीन: क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को गिरनार में एक रज्जू मार्ग बनाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से एक प्रस्ताव पास हुआ था;

(ख) क्या इसके लिए आवश्यक 12 लाख रुपए के मूल्य की विदेशी मुद्रा न होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया था;

(ग) क्या ऐसी सुविधा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस कार्य को स्वयं करने का सरकार का विचार है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) से (ग) जून, 1962 में गुजरात सरकार की ओर से एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें पोरबन्दर के श्री नानजी कालीदास का गिरनार में लगाने के लिये रज्जू मार्ग यंत्रों के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के मामले में सहायता करने के लिए अनुरोध किया गया था। क्योंकि स्कीम की विदेशी मुद्रा विषयक दायिता लगभग 12 लाख रुपए थी, इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया था। यह कारण अब भी यथार्थ है।

(घ) साधनों की सीमित उपलब्धता के कारण सरकार का गिरनार में रज्जू मार्ग निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"लौस्ट सरस्वती" पर अनुसंधान करने के लिए अनुदान

4401. श्री रा० की० अमीन: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय ने "लौस्ट सरस्वती" पर अनुसन्धान करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के एक अनुसंधानकर्ता को अनुदान दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अनुसंधान कार्य पूरा हो गया है;

(ग) क्या अनुसंधान कार्य का कोई हिस्सा शेष बचा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) किसी अनुसंधानकर्ता को अनुदान के रूप में कुछ नहीं दिया गया था किन्तु "लास्ट सरस्वती" पुस्तक के प्रकाशन के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय को कुछ वित्तीय सहायता दी गई थी।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मैरीन टैक्नालौजिकल डिप्लोमा कोर्स

4402. श्री रा० की० अमीन: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा मैरीन टैक्नालोजीकल डिप्लोमा कोर्स आरम्भ किया जायगा;

(ख) क्या इस पाठ्यक्रम का केन्द्र गुजरात में राज्य में खोलने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग)। प्रश्न नहीं उठते।

Separate Hostels for Teachers and Students

4403. **Shri J. B. Singh:** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Ustarred Question No. 5226 on the 23d August,1968 regarding separate hostels for teachers and students and state the action taken so far and proposed to be taken in future by Government to provide suitable residential accommodation to the students and teachers ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): According to available information, residential facilities were provided to about 3.35 lakhs students and16,000 teachers in Universities and Colleges during 1967-68. The various schemes for grant-in-aid /loans for construction of hostels for students and staff quarters/ hostels for teachers are being continued.

Term of Office of Members of New Delhi Municipal Committee

4404. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the term of office of the Members nominated to the New Delhi Municipal Committee has been increased from one year to three years; and

(b) if so, the reasons for increasing the said term of office ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs: (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) : The term of the members of reconstituted New Delhi Municipal Committee has been fixed as three years with effect from the 4th October, 1968. This is in conformity with the provisions of the Punjab Municipal Act, 1911 as applicable to New Delhi.

Abolition of Communal Classification

4405. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to abolish the communal classification based on caste, language and religion ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Instrutions have already been issued to all State Governments and Union Territories to delete references to cases and sects for all official purposes except where such references would be obligatory under law. For purposes of census also, enumeration by

caste or sect has been discontinued from 1951 census, except in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, where such separate enumeration is necessary for purposes of some of the provisions of the Constitution.Collection of data regarding language and religion serves several useful purposes and is hence being continued.

Inculcation of Sense of Patriotism and Discipline in Students

4406. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the measures adopted in education institutions with a view to inculcate the sense of patriotism and discipline in students of the country and also for building their character ;

(b) whether Government are satisfied with the present efforts in this direction ; and

(c) if not, the new measures proposed to be adopted by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) the following Schemes aim at achieving these objectives :—

(i) Scouting and Guiding.

(ii) National Fitness Corps programme ;

(iii) National Cadet Corps programme.

(iv) Labour and Social Service Camps.

(v) Moral and religious instruction.

(vi) National Service Corps in Universities and Colleages as an alternative scheme to N.C.C.

(vii) Promotion of Games and Sports.

(viii) Singing of National Anthem.

(b) The existing measures to cover the students of all ages are inadequate because of the huge student population on the one hand and the limited financial resources available on the other.

(c) The Programmes under the National Service Corps and the National Sports Organisations have been approved only recently. No other measures are under consideration of the Central Government at present.

Historical Art-pieces in Madhya Pradesh

4407. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that important ancient historical art-pieces in the shape of idols are lying unprotected in the rural areas of the District Vidisa of. Madhya Pradesh and many selfish people are earning huge money by stealing and exporting them ;

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken by Goverment for depositing these pieces of art in museums and thus protecting them ;

(c) the number of idol thieves arrested by Government so far ; and

(d) whether Government propose to enact a legislation to ensure that the ancient and historical pieces of art are not exported without the permission of Government ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Some sculptures were cut off and stolen from the centrally protected monuments at Badoh and Pathari, District Vidisa, Madhya Pradesh, in July, 1968 and the matter was immediately reported to the police who are investigating the case.

(b) It is proposed to tighten up watch and ward arrangements and to house the loose sculptures from Badoh and Pathari securely in a sculpture shed to be shortly constructed at the site.

(c) The police are on the track of the culprits and are pursuing the investigations. The police report is awaited.

(d) The Antiquities (Export Control) Act, 1947, already forbids export of antiquities wthout a licence from Government. The amendment of the Act for the better fulfilment of its purposes is also under Government's consideration.

अनिर्णीत मामलों को निबटाने के लिए कार्यवाही

4408. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब अनिर्णीत कानूनी मुकदमों का शीघ्रता से निपटारा कराने के लिए सरकार का विचार न्यायपालिका अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने तथा न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) देश में न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाने के लिए और क्या उपाय करने का विचार किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) उच्च न्यायालयों में कार्य की स्थिति का पुनरीक्षण करने पर यह पाया गया कि काम के जमा होने का मूल कारण न्यायाधीशों की कमी था। तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास की सरकारों को जहाँ संख्या अपर्याप्त प्रतीत होती थी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का पुनरीक्षण करने और जहाँ आवश्यक हो संख्या बढ़ाने की सलाह दी। सन् 1968 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अब तक आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के दो और पद, कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक स्थायी न्यायाधीश तथा छः अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद, दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन स्थायी तथा दो अतिरिक्त पद, गुजरात उच्च न्यायालय में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद, केरल उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त न्यायाधीश का पद, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक स्थायी न्यायाधीश का पद तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद बनाये गए हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Pak Arms with Dacoits in Madhya Pradesh

4409. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri D. V. Singh : Shri D. N. Patodia :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arms manufactured in the Ordiance factories of Pakistan and also those used by the Indian Security Force have been seized form the docoits of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the quantity of foreign arms and also of such arms as were used by the Indian Security Force which were recovered from the possession of the dacoits of Madhya Pradesh during the last five years ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt.

Conversion by Foreign Christian Missionaries

4410. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various Commissions like the Niyogi Commission, have corroborated that many foreign Christian missionaries are engaged in changing the religion of our poor people by giving them various temptations or by inspring some fear in their minds;

(b) if so, the necessary steps taken by Government to check them ; and

(c) the names of the Districts where the population of the Christians has increased by more than 40 per cent during the years 1951 to 1961 and the prcentage of their increase in each District?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs: (Shri Vidya Charan Shukla): (a) So far as Government are aware, only two Committees, namely the Niyogi Coumittee and and Rege Committee wer appointed in 1954 by the then Governments of Madhya Pradesh and Madhya Bharat respectively. One of the findings of the Niyogi Committee was that conversions were mostly brought about by undue influence, misrepresentation, etc., or in other words, not by conviction but by various inducements. In its conclusions, the Rege Committee had observed that the benefits by way of social status and betterment of economic conditions naturally provided an allurement for conversion.

(b) Suitable action under the Foreigners law is taken having regard to the facts of each case, whenever a foreign missionary is found indulging in activities that are considered undersirable.

(c) A statement is laid on the table of the House. **[Placed in Library See No. LT 2685/68]** It may, however, be mentioned that the percentage of increase may give an unrealistic picture in districts where the total number of Christians is absolutely small.

Disparity in Pay-scales of Teachers in U. P.

4411. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister f **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that thre is a disparity in the pay-scales of teachers of the Government Schools and those of the private-aided Schools of Uttar Pradesh ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to remove the disparity ?

Th Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagat Jha Azad): (a) Yes, Sir.

(b) Apart from financial implications, there is some difference in service conditions of the two categories of teachers.

(c) Efforts are being made to remove disparity but the huge financial implications stand in its immediate removal.

Shooting down of Ram Dularey Ojha in Gorakhpur District

4412. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether is a fact that Shri Ram Dularey Ojha of village Ojholi under the jurisdiction of Police Station Barhalganj, Gorakhpur District of Uttar Pradesh was shot dead ; and

(b) if so, the action taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No Sir.

(b) Shri Ram Dularey Ojha of village Ojhali, Police station Barhalganj lodged a report with the local police on 26th September, 1968 that he had been shot at by a person and was injured. A case u/s 307 IPC was registered by the local police and was investigated. In this connection a charge-sheet has been submitted to the court against 3 persons.

Permission Sought by a Member of Parliament to visit Gorakhpur Jail

4413. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Member of the Lok Sabha had sought in writing the permission of the Jail Superintendent, Gorakhpur on the 21st June, 1968 to visit the Gorakhpur Jail on the 24th June, 1968 at 10 a.m. and a copy of the letter for the said permission was sent to the District Magistrate, Gorakhpur and the Government of Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether the permission was given to that Member to visit the Gorakhpur Jail and

(c) if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Shri Malahu Prasad, Member of Parliament, wrote to the Superintendent District Jail Gorakhpur on the 21st June, 1968 that he wanted to inspect the District Jail and necessary arragements in this connection be made. A copy of the letter was also endorsed to District Magistrate Gorakhpur and the Rajya Pal of Uttar Pradesh.

(b) and (c) Under the provisions in the Uttar Pradesh Jail Manual, Members of Lok Sabha elected from Uttar Pradesh, can, during their tenure, visit such jails as are situated within their constituency in the capacity of ex-officio non-official jail visitors. As the Distrtict Jail Gorakhpur did not lie within the constituency of Shri Molahu Prasad, he was informed the relevant provision of the Jail Manual on the subject. On his request, however, the Jail authoities permitted him to meet some S. S. P. prisoners.

Literacy in India

4414. **Shri Raghuvir Singh Shstri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the percentage of literaey in the country at the time of getting Independence and its perentage at present ; and

(b) the scheme formulated by Government for the eradication of illiteracy in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Education : (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The estimated perentage of literacy in the country was 14.5 in 1947 and 30 in 1967.

(b) To formulate schemes for the eradiction of illiteracy in the country is the concern of the State Governmnts. However, the Central Government have porposed several schemes such as Functional Literacy, Workers' Institutes and Pilot Projects on Adult Literacy etc., for helping in eradication of illiteracy during the Fourth Plan, some of which are at present, already being implemented and others are under consideration.

मध्यम वर्ग के लोगों के लिये पर्यटन गृह तथा होटल

4415. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्यम वर्ग के लोगों में देशान्तर्गत पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये पिछले वर्ष देश के विभिन्न भागों में मध्यम स्तर के कितने पर्यटक-गृह तथा मोटल बनाये गए हैं;

(ख) आगामी दो वर्षों में ऐसे कितने पर्यटक-गृह और मोटल बनाने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में किस राज्य ने सबसे उत्तम कार्य किया है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) केन्द्रीय सेक्टर में 1967-68 के वित्तीय वर्ष में, दो पर्यटक बंगले तथा दो कैफेटेरिया, जिनमें रिटायरिंग रूम की सुविधाएं भी थीं, पूरे किए गए। इनके अतिरिक्त, 1967-68 में पर्यटक-बंगले में आवास व्यवस्था का विस्तार भी किया गया।

(ख) पर्यटन विषयक चौथी पंचवर्षीय योजना पर अभी विचार किया जा रहा है, इसलिए अभी इस स्थिति में यह बता सकना सम्भव नहीं कि अगले दो वर्षों में कितने पर्यटक बंगले बनाये जायेंगे।

(ग) क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा पर्यटक-बंगलों के निर्माण में संबंधित स्थान की आवश्यकताओं, साधनों की उपलब्धि तथा अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है, किसी प्रकार का तुलनात्मक मूल्यांकन कर सकना कठिन है।

Celebration of Gandhi Jayanti Centenary at Rajghat

4416. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that less than 100 persons were present in the Prayer Meeting at Rajghat in Delhi on the 2nd October, 1968 at the time of inauguration of Gandhi Jyanti Centenary, according to the daily Statesman;

(b) whether the Prime Minister and the Deputy Prime Minister could not be present there as they were out of the country ;

(c) whether it is a fact that only two Union Cabint Ministers were present there ;

(d) whether Government have given thought to this indifferent attitude of common people and the Ministers towards Gandhji; and

(e) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir. Between 500 and 1,000 persons attended the prayer meeting held on 2nd October, 1968 though the number of those who came that day to pay homag was, according to the register kept at the Samadhi, 32,335.

(b) Yes, Sir.

(c) No record of those attending is kept. As such, it is not possible to indicate the number of Ministers who attended the meeting.

(d) and (e) The available facts do not warrant the conclusion that the common people and the Ministers are indifferent to Gandhiji. As such no action on the part of the Government is contemplated.

भारतीय खिलाड़ियों के खेलने के स्तर में गिरावट

4417. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय खिलाड़ियों विशेषतया फुटबाल, हाकी तथा क्रिकेट के खिलाड़यों के खेलने का स्तर गिर गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में खेलों के स्तर को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) मुख्यतया यह राष्ट्रीय खेल-कूद संघ का काम है कि भारत में खेलों के सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए। तथापि, खेल-कूदों के क्षेत्र में सरकार को सलाह देने के लिए स्थापित की गयी एक निकाय, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् खेलों में सुधार के उपाय सुझाने के हेतु उनके स्तरों का गिरावट के कारणों का भी जाँच कर रही है। राष्ट्रीय खेल संगठन कार्यक्रम, से, जो इस वर्ष से विश्वविद्यालयों और कालेजों में अलग किया जा रहा है, उम्मीद की जाती है कि खेल-कूदों के क्षेत्र में उनका स्तर सुधारने में मदद करेगा।

भूतों के बारे में अनुसंधान

4418. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी जानकारी है कि क्या विश्व के किसी देश द्वारा इस विषय में अनुसंधान किया गया है और यदि हाँ, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में देश में कोई गैर-सरकारी संस्था अनुसंधान कर रही है; और

(घ) क्या इस विषय में अनुसंधान करने वाली संस्थाओं को अनुदान देने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) से (ग) सरकार को इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विलय

4419. **श्री गाडिलिंगन गौड**: क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिगक सुधार आयोग ने एयर इंडिया तथा इंडियन एयर-लाइंस को मिला कर एक निगम बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में अपनी रिपोर्ट, में अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुझाव दिया था कि ऐसे उद्यमों को जिनके कि क्रिया कलाप का क्षेत्र एक ही है, जैसे कि दोनों एयर कारपोरेशनें, मिला कर सेक्टर कारपोरेशन बना दिए जाने चाहिये। सरकार ने इस सिफारिश की जाँच की थी परन्तु उनका विचार यह नहीं आ कि ऐसी सब हालतों में सेक्टर कारपोरेशन

स्थापित करने की सिफारिश को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया जाना चाहिये; प्रत्येक सेक्टर पर उसकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के आधार पर विचार किया जाना चाहिये। फिलाहाल दोनों एयर कारपोरेशनों को मिला कर एक करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गुलमार्ग में शीतकालीन खेल-कूद

4420. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काश्मीर राज्य में गुलमर्ग में शीतकालीन खेल-कूद आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ कर दिया गया है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) जी, हाँ।

(ख) स्कीम की अनुमानित लागत 112 लाख रुपये है ।

(ग) स्कीम पर कार्य पहले ही प्रारम्भ हो चुका है, तथा इसके चौथी योजना की अवधि मे पूरा हो जाने की आशा है ।

Memorial For Netaji

4421 **i Ram Gopal Shalwale** : Will the Miniser of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item that on the occasion of foundation-laying ceremony of tbe Indian National Army a demand was made that a emmorial for Netaji Subhash Chandra Bose should be set upon the ramparts of the Red Fort, Delhi,

(b) whether Government consider the ramparts of the Red Fort as a fit place for the memorial of Netaji ; and

(c) if so, the date by which the memorial is proposed to be set up and, if not, the reasons herefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy):

(a) No such news item has been brought to the notice of the Government.

(b) and (c) No site has so far been selected for the meorial of Nejaji in Delhi.No indication can be given as to the date by which the memorial would be set up as that would depend on the final selection of a suitable site and the organisation which would offer to put up the memorial.

Teaching of Mantras From Sangathan Sutra of Rigveda to students

4422. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minster of **Education** be pleased to tate :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister had recited thc followig mantra from the Sngathan Sutra of Rigveda for unity at the end of her speech in the U. N. General Assembly on the 15th October, 1968 ;

समानो मंत्रः समिति : समानी
समान मनः सहचितयेषाम ।
समान मंत्रमभिमभये व :
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥

(b) whether in order to promote emotional integration, Government propose to cosider the teaching of four mantras of Sangathan Sutra of Rigveda to the students of schools and colleges so that unity could be established in the country permanently ; and

(c) if so, when and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Prime Minister quoted one of our ancient prayers in the following words :

Common be your prayer,
Common be your end,
Common be your purpose,
Common be your deliberations.
Common be your desires,
Unitied be your hearts,
Unitied be your intentions,
Perfect be the union among you.

Wat he cited is based upon hymns containd in the Rigveda and the citation was in English.

(b) and (c) The question of introducting the recitation of selected songs etc. in the schools for promoting National Identity is under the consideration of the Government and a scheme to serve this end is proposed to be included in the Fourth Plan.

Bus Permit issued by Regional Transport Authority, Meerut

4423. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Regional Transport Authority, Meerut invited applications for bus permits through their Gazette Notification no. R. T. A. XXII—8 (Pub)-68-2434 dated the 20th September, 1968 ;

(b) whether the applications received in 1963 have also been accepted for consideration;

(c) whether it is also a fact that the applications which reached in time were not considered ;

(d) whether it is also a fact that some bus permits have also been issued in the names of ladies and girls in the month of August, 1968, if so, their number and names ; and

(e) the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) No Sir. According to the State Government, applications, which had already been received, were published vide the said notification.

(b) All the applications, which are received either on invitation by the Regional Transport Authority or otherwise, have to be placed before that Authority for consideration, after following the procedure laid down in Section 57(3) of Motor Vehicles Act, 1939. Accordingly, the applications received in 1963 were placed before the Regional Tansport Authority for consideration. Out of these, applications for bus permits on some of the routes were considered by that

Authority at its meeting held on 2nd, 3rd and 23rd December 1963, 6th to 11th and 22nd to 24th January, 2nd February, 24th April and Ist May 1964, while consideration of applications for permits on certain routes was postponed for want of time. These latter applications were considered by the Regional Transport Authority in its subsequent meetings held on 28th September and 13th October, 1965, and from 29th to 31st August and Ist September, 1968.All of them could not, however. be disposed of for want of time.

(c) No, Sir.

(d) State carriage permits on the following routes were sanctioned by the Regional Transport Authority to three ladies at its meetings held from the 29th to 31st August and Ist September, 1968.

I. **Sikandrabad—Chola—Khmrja route** :

Shrimati Sunder Devi Agarwal, w/o Late Sri S. N. Agarwal, D. S. O., resident of 3-Jawahar Quarters, Meerut. In addition to the prmit given to Srimati Sunder Devi, ten more stage carriage permits were also sanctioned on this route to other suitable male applicants.

II. **Sikandrabad—Jewar—Via Kakor—Jha—jay route** :

(1) One joint aplication for a permit was subm itted by Shri Ashrafi Lal, and his wife, Shrimati Gomti Devi. There was another applicant, viz. Shri Amar Singh. As all the three applicants agreed to have one permit in their joint names, the Regional Transport Authority sanctioned one permit to them.

(2) Shrimati Malti Devi, w/o Inderjit Singh Tyagi, village Bhura Taga, P. O. Rabupura, district Bulandshar.

(3) In addition to the persons mentioned in (1) and (2) above, six more stage carriage permits were sanctioned to other deserving male candidates.

(e) The merits of the applications from the aforesaid ladies were considered superior to those of the other applicants by the Regional Transport Authority which sanctioned the permits.

घूस तथा आपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रत व्यापारियों और उद्योगपतियों की सूची

4424. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा तैयार की गई घूस अथवा तथाकथित आपराधिक मामलों में अर्न्तग्रस्त व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के नामों की तारीखवार कोई सूची रखता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सूची की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) केन्द्रीय जाँच विभाग उन व्यापारियों, उद्योगपतियों, इत्यादि का रिकार्ड रखता है जो घूस या अन्य अपराधों के मामलों में अन्तर्ग्रस्त हैं और जिन मामलों की जाँच केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा की गई है।

(ख) और (ग) ऐसी एक सूची का प्रकाशन वांछनीय नहीं होगा क्योंकि संबंधित व्यक्तियों में से अधिकांश पर निगरानी रखनी पड़ती है।

Complaints Against Principal S. M. J. E. C. College, Khurja

4425. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state.

(a) whether it a fact that th U. P. Government have received some complaints against the Principal of the S. M. J. E. C. Collge in Teshil Khurja, district Bulandshahr, Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the action taken against the said Principal on the basis of these complaints ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shr Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) The complaint was enquired into. The allegations against the Principal could not be substantiated.

Memorandum by Printers Council, Bihar

4426. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it a fact that the Printers Council, Bihar has submited a memorandum to the Governor of Bihar rgarding the corruption, irregularities and favouritism prevalent in the pritning work of the Bihar School Examination Committee ;

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ; and

(c) the action taken by Government so far to redress their grievances ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Constitution of Metalled Road in District Banda, U.P.

4427. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the Baberu—Oran Road in District Banda, Uttar Pradesh, has sunk very deep and water remains accumulated there during nearly the whole year and the filling work is not done by the Zila Parishad ;

(b) whether is also a fact that the said road is an imortant road in the paddy growing area and it is a direct road to District Fatehpur and Chitrakut ; and

(c) whether Government propose to take over the said road, comprising of thirteen miles, convert it into a metalled one through the Central Public Works Department because consequently a link would b established with the metalled road leading to which winsda Oran Pahari Rajapur?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) The required information is being collected from the State Government and will be aid on the Table of the Sabha in due course.

(c) No, Sir.

अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन

4428. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन को उसकी अपने भवन के निर्माण के लिए कोई भू-भाग आवंटित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस भू-भाग का क्षेत्रफल कितना है, यह कब आवंटित किया गया था और किन शर्तों पर;

(ग) क्या सरकार संस्कृत सम्मेलन के भवन के निर्माण के लिए कोई अनुदान दे रही है और यदि हाँ, तो कितनी राशि का; और

(घ) क्या सरकार इस सम्मेलन को इसके दैनदिन कार्य-संचालन के लिये प्रति वर्ष कोई वित्तीय सहायता देती है और यदि हाँ, तो प्रतिवर्ष कितनी राशि देती है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) मूलत: 1964 में, अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन को एक एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। उसके बाद, सम्मेलन के महामंत्री की प्रार्थना पर उक्त आवंटन रद्द कर दिया गया था और 1967 में सम्मेलन को तीन एकड़ भूमि का नया आवंटन किया गया था। उस समय से ही उस भूमि को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव है। इस मामले पर समग्र रूप से दिल्ली विकास प्राधिकार दोबारा विचार कर रही है।

(ख) और (ग) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस सम्मेलन को भारत सरकार द्वारा कोई वार्षिक अनुदान नहीं दिया जाता है।

बिहार में भागलपुर जिले में सड़क संख्या 12 का निर्माण

4429. **श्री वेणी शंकर शर्मा**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में भागलपुर जिला में से मुख्य रूप से होकर जाने वाली सड़क संख्या 12 बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और यह बिहार के तीन जिलों तथा आठ स्थानों को मिलाती है;

(ख) क्या यह सड़क यहाँ-वहाँ कुछ-कुछ मीलों के टुकड़ों में बना कर कई हिस्सों में पूरी की गई है और बीच-बीच में कुछ स्थान खाली रह गया है जहाँ सड़क नहीं बनाई गई है और इसके बारे में बातचीत करना असम्भव हो गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सड़क का निर्माण कार्य तीसरी योजना में पूर्ण हो जाना चाहिये था और इसका काम भी ठेकेदारों को दे दिया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो इतने महत्वपूर्ण सड़क के टुकड़े के निर्माण-कार्य की उपेक्षा की जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) से (ङ) सड़क संख्या 12 एक राज्य मार्ग है। अत: इसका निर्माण का उत्तर-दायित्व मुख्यत: बिहार सरकार का है। यह असारगंज से शुरू होती है और शंभुगंज, अमरपुर और पुनिसिया से होकर घुरैय्या पर समाप्त होती है। सड़क के असारगंज से शंभुगंज (5 मील) और शंभुगंज से अमरपुर (15 मील) के खंड को प्रान्त की सड़क कर दी गई और क्रम से 1968 और 1950 में राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ले लिया। अमरपुर से पुनसिया होते हुए घुरैय्या (लगभग 20 मील) का शेष टुकड़ा राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है।

असरगंज से शंभुगंज (5 मील) की सड़क, $1\frac{1}{2}$ मील के टुकड़े को छोड़ कर जो अधूरी है, पूरी है क्योंकि जनता के आपत्ति के कारण अभी तक भूमि अर्जित नहीं हो सकी है। गंगाती, वरुआ और वेलारी नदियों पर पुलों को छोड़ कर जिनके लिये राज्य सरकार को अभी मंजूरी देनी है, इस खंड पर पुल भी बन चुके हैं।

शंभुगंज से अमरपुर (15 मील) का निर्माण कार्य 1959 में लिया गया। ठेकेदार जिसको यह योजना मूल रूप से दिया गया था संतोषप्रद काम नहीं कर रहा था और उसकी संविदा तदनुसार 1967 में रद्द कर दी गई। कार्य अब तक एक नए ठेकेदार को दे दिया गया है और जल्दी से किया जा रहा है। पुलिया का काम पूरा हो चुका है। पाँच छोटे पुलों में से केवल दो पुल पूरे हुए हैं और उसके बाद ठेकेदार काम छोड़ कर चला गया है। बाकी के लिए निविदा आमंत्रित की गई । प्राप्त निविदाओं का निस्तरण हो रहा है। कालिया के पुल के लिए फिर से निविदा आमंत्रित की गई है। सिरकिया पुल का कार्य पूर्ण गति में है। राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क के लिए महत्व से अवगत है और इसे जितनी जल्दी हो उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा है।

मेरठ के पास औरंगशाहपुर डिग्गो में प्राइमरी स्कूल की इमारत

4430. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 21 वर्ष में मेरठ के पास औरंग शाहपुर डिग्गो में प्राइमरी स्कूल की किसी भी इमारत का निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्कूल की इमारत न होने के कारण पहले से चलने वाला स्कूल भी बन्द हो गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकारी इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिकतर हरिजन बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है और इस इमारत का निर्माण कब तक करने का सरकार का विचार है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (घ) सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Use of Hindi Words in Science Books Prepared by National Council of Educational Research and Training

4431. **Shri Ram Avtar Sharma**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it a fact that the Hindi words 'Udhividhar, Kshaitij, Vishisht, Gurutwa, Shlathit, Sanhati, Pranod, Ghanatwa, Nimajjan, Palwan, Nirwat, Vaimaneki' etc. have been abundantly used in the books of Phsyics, Chemistry, Botany and Zoology prpared by the National Council of Educational Research and Training for Secondary Schools in Delhi on the recommendation of the UNESCO project ;

(b) whether it is also a fact that even the subject of Hindi is not taught in Secondary schools in such a difficult language as has been used in these books ;

(c) shether this has been adversely affecting the morale of the students ;

(d) whether the subject-matter of these subjects is very extensive and beyond the capacity of the students of Secondary schools ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir. The Hindi technical terms used, however, have been adopted from the dictionary compiled by the Commission for Scientific and Technical Terminology. Several of these terms had also appeared in science books used by Delhi Administration previously.

(b) Except for the technical terms used, the lanaguage of the books is simple.

(c) and (d) No such reports have ben received.

(e) Does not arise.

School of Buddhist Philosophy at Leh

4432. **Shri Kushak Bakula** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it a fact that because of the change in the syllabus of the School of Buddhist Philosophy at Leh, students of ninth class had to start their education afresh from the fifth class ;

(b) whether it is also a fact that Hindi does not find a suitable place in this school ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to rectify the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) :

(a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Pro-Chinese Material in Ladakh

4433. **Shri Kushak Bakula** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chinese literature and propaganda material is seen in abundance in Ladakh ; and

(b) if so, the steps taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs: (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली के न्यायालयों में बेलिफ

4434. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली न्यायालयों में ऐसे कितने बेलिफ हैं जिनका सेवाकाल 10 वर्ष से अधिक हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि वे दिल्ली प्रशासन के अधीन कार्य करते हैं;

(ग) जब उन्होंने अपनी सेवा का 10 वर्ष से भी अधिक समय पूरा कर लिया है तो उनका दिल्ली प्रशसान के अन्य विभागों में तबादला न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या भविष्य में बेलिफों के लिये पदोन्नति के कोई अवसर हैं; और यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक।

(ख) बेलिफ दीवानी अदालतों के अधीन नियुक्त हैं जो दिल्ली के उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते हैं।

(ग) ऐसे कोई नियम नहीं है जिनके अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण दिल्ली प्रशासन के अन्य कार्यालयों/विभागों में किया जा सकता है।

(घ) यदि किसी बेलिफ के पास आवश्यक अर्हताएं (मैट्रिक या उससे ऊपर) हों तो उसे दीवानी अदालतों में नायब नाजिर के रूप में पदोन्नति के लिए यथासमय विचार किया जा सकता है।

Construction of Road in Saharsa District, Bihar

4435. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it a fact that Bhawtiyahi Simrai Road in District Saharsa, Bihar, was surveyed; and

(b) if so, the datails thereof and the time by which Government propose to construct the said road ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping: (**Shri Bhakt Darshan**) : (a) The Bhaptiahi (**not** Bhawtiyahi) Simrahi (**not** Simrai) road is under the control of the District Board, Saharsa.Its construction is, therefore, primarily the responsibility of the District Board concerned.It is understood from the Government of Bihar that the State Public Works Department did not carry out any survey of the road for purposes of construction.

(b) Does not arise.

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा व्योमबालाओं का चयन

4436. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा व्योमबालाओं का चयन करने के लिए क्या कसौटी अपनाई जाती है;

(ख) क्या विमानों की उड़ानों में उनके कार्य की ओर कभी ध्यान दिया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विमान परिचारिकाओं का चुनाव एक चुनाव बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली उम्मीदवारों में से किया जाता है:—

(i) उम्मीदवार भारतीय नागरिक होनी चाहिए।

(ii) उसकी आयु 19–25 वर्ष की होनी चाहिए।

(iii) वह एस० एस० सी० / सीनियर कैंब्रिज / मैट्रिक पास होनी चाहिए।

(iv) उसकी ऊँचाई 152.4 सेंटीमीटर से 170.2 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए।

(v) उसे अविवाहित होना चाहिए।

(vi) उसकी आकृति एवं चाल-ढाल सुन्दर, शारीरिक स्वस्थता उच्च स्तर की, दृष्टि शक्ति बगैर चश्मे के सामान्य, तथा सामान्य ज्ञान अच्छा होना चाहिए।

(vii) 'फर्स्ट एड' तथा 'नर्सिग' के ज्ञान की तरजीह दी जायेगी ।

(ख) और (ग) जी, हाँ। एक नई परिचारिका को सेवा के पहले कुछ महीनों तक एक प्रवर परिचारिका के पर्यवेक्षण में कार्य कराने के अलावा उसकी हर दो महीने बाद उड़ान के दौरान परीक्षा की जाती है तथा उसे सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है, और यदि आवश्यक होता है तो इन परीक्षाओं के आधार पर उसके परिवीक्षाकाल को बढ़ा दिया जाता है।

Principal of Sharma Inter College, Bulandshahar (U. P.)

4437. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Principal of Sharma Inter College, Bulandshahar, Uttar Pradesh, is a paid correspondent also for District Bulandshahar, of P. T. I. and the Nav Bharat Times ;

(b) whether it is also a fact that in his capacity of a correspondent he puts pressure on the officers of the said district and after frightening them of blackmailing gets favours irregularly from them for different people and thus illegitimately earns money ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education : (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) According to the available information, the Principal of Sharma Itermediate College, Bulandshahar, Uttar Pradesh is working as correspondent of the Nav Bharat Times with the permission of the Managing Committee of the College.He does not get any regular salary but gets paymnt according to the columns he contributes to the paper.

(b) No such allegation have been established as a result of an enquiry made by the Distric Inspector ofSchools and the District Magistrate.

(c) Does not arise.

Sharma Intermediage College, Bulandshahar (U.P.)

4438. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Principal of a College cannot undertake any Government or private work for which he may get some emoluments ;

(b) whether it is also a fact that the Principal of the Sharma Intermediate Collge, Bulandshahar, Uttar Pradesh is a paid correspndent of a Delhi News Agency and a Delhi newspaper ;

(c) whether it also a fact that consequently the said Principal moves about in the Court and contacts the officers during the entire day with a view to collect news and because of his not teaching in the college only one science student out of his fourteen students of the high school could pass this year ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard to ensure that the study of the students is carried on smoothly ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The issue is governed by the rules of the University/College under which a Principal may be employed.

(b) to (d) The required information is being collected from the Government of Uttar Pradesh, and will be laidon the table of the Sabha in due course.

पटना में सड़क पुल

4439. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :** **श्री वेणीशंकर शर्मा :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को यह सूचना दी है कि पटना में प्रस्तावित सड़क पुल के लिए ऋण सम्बन्धी उसके अनुरोध पर विचार चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए सहायता का ढाँचा अन्तिम रूप से तैयार हो जाने के पश्चात् ही किया जा सकेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार पटना में उस पत्र के निर्माण के लिए कितना ऋण देने पर विचार कर रही थी?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख) पटना पर गंगा के प्रस्तावित पुल सहित बिहार राज्य में गंगा के ऊपर के पुलों के खर्च का 50 प्रतिशत पूरा करने के चौथी योजनावधि के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना (1966–67 की रूपरेखा के प्रारूप में बिहार राज्य के लिए $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए की ऋण की ऋण-सहायता की व्यवस्था है। परन्तु नयी चौथी पंचवर्षीय योजना में इस ऋण-सहायता में कुछ परिवर्तन हो सकता है। जून 1968 में राज्य सरकार ने प्रस्तावित पुल के लिए 25 करोड़ रुपए की तदर्थ केन्द्रीय अनुदान की माँग की। इस माँग के उत्तर में उल्लिखित पत्र राज्य सरकार को भेजा गया था। इस परियोजना के लिए ऋण सहायता के लिए उससे अभी तक कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला

4440. **श्री विश्वम्भरन :** **श्री रा० के० अमीन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसको स्थापित करने के स्थान के बारे में कोई पूछताछ की गई है; और

(ग) क्या यह सुझाव दिया गया है कि प्रस्तावित प्रयोगशाला केरल में स्थापित की जानी चाहिये और यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्री (श्री त्रिगुण सेन): (क) 25 नवम्बर, 1967 को हुई अपनी बैठक में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने चौथी पंचवर्षीय आयोजना समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया था कि प्रस्तावित राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला के कार्यों के लिए ब्यौरेवार विचार दिए जाएं और प्रयोगशाला का स्थान भी बताया जाए।

(ख) और (ग) कुछ वर्ष पहले विभिन्न राज्य सरकारों से जिसमें केरल भी शामिल है पूछताछ की गयी थी और भूमि सम्बन्धी पेशकश भी प्राप्त हुई थी। यह मामला अभी विचाराधीन है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद्

4441 डा० कर्ण सिंह: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने 1961 से मार्च, 1968 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद की योजना तथा गैर-योजना सम्बन्धी कुल शुद्ध व्यय
1961-62 (1-9-61 से)	21,27,621.47
1962-63	1,39,51,987.99
1963-64	1,40,87,703.76
1964-65	1,73,44,754.69
1965-66	2,35,66,749.83
1966-67	2,84,31,764.83
1967-68	3,15,02,924.90
योग	13,10,13,507.47

सरकारी कर्मचारियों द्वारा द्विविवाह

4442. श्री हिम्मतसिंहका : श्री सु० कुतावड़िया:

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय असैनिक सेवाएं आचरण नियमों में हाल ही में संशोधन किया है, जिससे उस स्थिति में सरकारी कर्मचारियों को द्विविवाह करने की अनुमति देने का उपबंध किया गया है, यदि ऐसे विवाह की अनुमति उस सरकारी कर्मचारी तथा उससे विवाह करने वाले व्यक्ति पर लागू होने वाली वैयक्तिक विधि के अन्तर्गत दी गई है, और इससे मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समाजों से सम्बन्धित सब सरकारी कर्मचारियों को ऐसे विवाह करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान-आचरण नियमों में यह परिवर्तन करने के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 के नियम 21 में प्रावधान है कि "कोई सरकारी कर्मचारी, जिसकी एक पत्नी जीवित है, सरकार की अनुमति बिना पहले प्राप्त किए दूसरा विवाह नहीं करेगा यद्यपि ऐसा बाद का विवाह इस समय उस पर लागू वैयक्तिक विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है।" अतएव वे सरकारी कर्मचारी, जिनको वैयक्तिक विधि द्विविवाह करने की अनुमति देती

थी, पहली पत्नी के जीवन काल के दौरान दूसरा विवाह करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते थे।

यह ध्यान में आया कि विद्यमान रूप में यह नियम केवल पुरुष सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होता था और किसी महिला सरकारी कर्मचारी को अपने पहले पति के जीवनकाल में दूसरा विवाह करने से रोकने के लिए उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कमी को पूरा करने के लिए पुरुष तथा महिला दोनों सरकारी कर्मचारियों को आवृत करने के उद्देश्य से अभी हाल में नियम 21 संशोधित किया गया। संशोधित नियम की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2686/68] यह देखा जा सकता है कि पुराने नियमों के अधीन भी कोई सरकारी कर्मचारी, जिसको वैयक्तिक विधि द्वितीय विवाह की अनुमति देती हो, प्रथम पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह केवल सरकार की पूर्वानुमति से ही कर सकता था। अतः अभी हाल के संशोधन ने उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जिनको वैयक्तिक विधि द्विविवाह करने की अनुमति देती है, नियमों में कोई ढील नहीं दी अपितु नियमों का महिला सरकारी कर्मचारियों तक उनका विस्तार करके और अधिक कठोर बना दिया।

कलकत्ता पत्तन

4443. श्री हिम्मतसिंहका : श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्तनों एवं बन्दरगाहों की अन्तर्राष्ट्रीय एसोसियेशन के विशेषज्ञों के एक दल ने अपने प्रतिवेदन में कलकत्ता पत्तन के कार्य-संचालन के विभिन्न पहलुओं की आलोचना की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस दल के निश्चित विचार, विशेषकर कलकत्ता पत्तन के बारे में, क्या हैं; और

(ग) कलकत्ता पत्तन के कार्य-संचालन में विशष रूप से और देश के अन्य पत्तनों के कार्य-संचालन में सामान्य तौर पर सुधार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वि० के० आर० वि० राव) : (क) से (ग) पत्तन और बन्दरगाहों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ दल ने कलकत्ता पत्तन और हल्दिया परियोजना के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। वे सिफारिशें तथा कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा दी गई टिप्पणियों के उपरान्त सरकार की जो प्रतिक्रियायें हैं उनका एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2687/68]

भारत में दंगे

4444. श्री अब्दुल गनी दार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67, 1967–68 और 1968–69 में अब तक सम्प्रदाय, प्रदेश और जाति के आधार पर कितने दंगे हुए :

(ख) उनमें कितने व्यक्ति मारे गए और कितने मूल्य की सम्पत्ति जला दी गई; और

(ग) इन दंगों में लोगों की हत्या करने के अपराध में कितने अपराधियों को फांसी दण्ड दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2688/68]। असम, बिहार, मद्रास, महाराष्ट्र और राजस्थान के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

बिहार में नजरबन्दी आदिवासी नेता

4445. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कितने व्यक्ति बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द हैं और उनमें आदिवासियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन आदिवासी नेताओं को नजर-बन्द करने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार उन्हें तत्काल रिहा करने और उन पर न्यायालय में मुकदमा चलाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पाँच व्यक्ति जिनमें से तीन आदिवासी हैं, निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नज़रबन्द हैं।

(ख) और (ग) उन्हें लोक व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल गतिविधियाँ करने के कारण नजरबन्द किया गया है। उनमें से एक के मामले पर निवारक निरोध अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और नजरबन्द रखने के कारणों को पर्याप्त पाया गया है। तत्पश्चात् नजरबन्दी के आदेश की राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गई है। शेष दो नजरबन्दों के मामले सलाहकार बोर्ड को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

केन्द्रीय जाँच विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

4446. **श्री स० कुन्दू** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में ताल-चेर कोयलाखानों में नियुक्त केन्द्रीय जाँच विभाग के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध उस क्षेत्र के श्रमिक नेताओं से शिकायतों की सूची प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) मार्च तथा अप्रैल, 1968 में देउलबेरा कोयलाखान मज़दूर संघ के महामंत्री तथा हिन्द मजदूर सभा, कटक से विशेष पुलिस स्थापना/केन्द्रीय जाँच विभाग के दो अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) इन शिकायतों की जाँच केन्द्रीय जाँच विभाग, मुख्यालय, नई दिल्ली से इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्रति-नियुक्त एक अधिकारी द्वारा की गई थी। उसकी जाँच के दौरान इन आरोपों की सत्यता प्रमाणित नहीं की गई।

बिहार में गया जिला में मुसरही गाँव में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना

4447. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 12 अक्तूबर, 1968 को बिहार में गया जिला में कुरथान पुलिस थाने के अन्तर्गत मुसरही गाँव में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने से छः व्यक्ति मारे गए थे ;

(ख) यदि हाँ, तो गोली चलाई जाने के क्या कारण थे;

(ग) क्या इस गोली वर्षा के लिये किन्हीं व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है और उन जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस घटना की न्यायिक जाँच कराने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला गया में कुछ समय पहले मुसरही तथा आस-पास के ग्रामवासियों ने गंगाहर नहर पर एक बाँध का निर्माण किया, जो नदी पर होतेपुर बाँध के ऊपरी स्रोत के लगभग ३ मील पून-पून नदी से निकलती है। इसने जल प्रवाह में बाधा डाली और परिणाम-स्वरूप मोतेपुर बाँध में कटाव आ गया। उप-मण्डलीय दण्डाधीश ने किसी कच्चे बाँध के निर्माण के लिए ग्रामवासियों को गंगाहर नहर पर जाने से रोकने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन एक आदेश जारी किया। इस आदेश के होते हुए भी ग्रामवासियों ने नहर पर एक बाँध का निर्माण किया। उप-मण्डलीय-दण्डाधीश को सिंचाई के कार्य-कारी अभियन्ता द्वारा परामर्श दिया गया था कि जब तक कच्चा बाँध तुरन्त न तोड़ा गया तो मोतेपुर बाँध बह जायगा जिससे खड़ी फसलों को भारी हानि होगी। उप-मण्डलीय-दण्डाधीश कुछ पुलिस दल को साथ लेकर 12 अक्तूबर, को प्रातः मुसरही गए तथा बाँध को तोड़ना आरम्भ किया। लाठी, भाला, गंड़ासा आदि से लैस और बिना लाईसेंस के अग्नेयस्त्र से सुसज्जित लगभग 800 व्यक्ति एकत्रित हो गए तथा चिल्लाये कि वे बाँध को तोड़ने नहीं देंगे। उप-मंडलीय-दण्डाधीश ने उनको बताया कि मोतेपुर बाँध की रक्षा के लिये ऐसा करना अनिवार्य है। इसका उन व्यक्तियों पर कोई प्रभाव न पड़ा और उन्होंने उप-मंडलीय-दण्डाधीश के दल पर पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिये। उनमें से लगभग 200 व्यक्तियों ने नहर पार की तथा उप-मण्डलीय-दण्डाधीश के दल की ओर बढ़े। जब बाँध तोड़ा जा रहा था, भीड़ हिंसक हो गई तथा उसने भारी पथराव किया। उसमें से एक वर्ग ने एक पुलिस अधिकारी पर आक्रमण किया तथा उसको गंडासे से जख्मी कर दिया। दूसरे वर्ग ने राइफल दल पर आक्रमण किया। उप-मण्डलीय-दण्डाधीश ने भीड़ को तितर-बितर होने के लिये फिर चेतावनी दी जिसका कोई प्रभाव न हुआ। तब उप-मण्डलीय-दण्डाधीश ने गोली चलाने का आदेश दिया। भीड़ के तितर-बितर होने से पूर्व 34 बार गोली चलानी पड़ी। गोली चलने के परिणामस्वरूप 5 व्यक्ति मरे तथा 3 जख्मी हुए। उप-मण्डलीय-दण्डाधीश तथा मंडलायुक्त ने घटना के बाद घटना-स्थल का दौरा किया तथा गोली चलाने को न्यायसंगत तथा अनिवार्य पाया है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Alleged Chinese Help to Kerala Marxist

4448. **Shri Bhola Nath Master** : Will the minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chinese Embassy gave money to a Marxist Communist of Kerala for furthering anti-national activities which was also admitted by the State Chief Minister in the Kerla Vidhan Sabha in March, 1968 ; and

(b) the action taken by Government in this regard particularly in the light of the statement of Shri Namboodiripad in the State Vidhan Sabha that only the Central Government can take necessary action in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to information furnished by the State Government one Shri Kunnikkal Narayanan of Calicut, has received amounts ranging from rupees one hundred to five hundred by money order from the Chinese Embassy in Delhi on four occasions.

(b) Mere receipt of such money orders is not actionable under the law, but vigilance over such activities is being maintained.

नक्सलबाड़ी में सशस्त्र विद्रोह की योजना

4449. **श्री भोलानाथ मास्टर** : **श्री देवकीनन्दन पाटौदिया**: **श्री न० कु० सीधी**:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अक्तूबर, 1968 को समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मार्क्सवादी साम्यवादी लोग नक्सलबाड़ी में सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के समाचार दिसम्बर, 1967 में भी समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए थे; और

(ग) क्या एक वर्ष बीतने के बाद समाचार-पत्रों में आतंक फैलाने वाले समाचार छापने की प्रवृत्ति को समाप्त करने में सरकार सफल हो गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरन शुक्ल) : (क) से (ग) सरकार ने उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने बतलाया है कि उनके पास सूचना नहीं है कि मार्क्सवादी साप्यवादी नक्सलबाड़ी में सशस्त्र विद्रोह के लिये तैयारी कर रहे हैं।

मेक्सिको खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिये विदेशी मुद्रा

4450. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर, 1968 में हुई मैक्सिको खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों ने कितनी विदेशी मुद्रा माँगी थी और कितनी राशि मंजूर की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खिलाड़ियों को पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं दी गई थी; और

(ग) क्या विदेशों को जाने वाले अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी० आई० पी०) और प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं को विदेशी मुद्रा देने में भी इतनी कठोरता अपनाई जाती है और यही नियम लागू किए जाते हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) माँगी गयी विदेशी मुद्रा की राशि 41,640 रुपए थी और पूरी मंजूर कर दी गयी थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Landing of Gauthati Bound Plane at Dum Dum Airport

4451. **Shri Shardanand** : **Shri B. N. Shastri** :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Gauhati bound aeroplane of the Indian Airliness flying from Calcutta was made to force-land at Dum Dum air port on the 27th October 1968; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) Yes, Sir. Indian Airliness Viscount aircraft VT-DOH operating scheduled service I C-203 from Dum Dum to Gauhati was recalled after it was air-borne from Calcutta, at the instance of Deputy Com missioner, Security Control Calcutta, in order to apprehend a passenger in that aircraft who was accused in a case, was on bail ad was likely to go out of India. After the plane landed, the passnger in question was taken into custody by the Police along with his baggage.

Alleged Spies Arrested in Dehra Dun

4452. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the police in Dehra Dun arrested a person named Lal Chand in September-October, 1968 and recovered from his possession maps of the Vaijayanta Tank and other Indian arms ;

(b) whether it is also a fact that thus an international racket of Pakistani spies, who were active in various offices in India, has been unearthed ; and

(c) if so, the number of similar Pakistani spies who were spying against India and have been arrested during the last five months and the details of the maps of arms recovered and the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) One person of this name was arrested at Dehra Dun on the 19th August, 1968 under the Passports Act and the Foreigners Act. No maps were recovered from his possession.

(b) No, Sir.

(c) According to information received from twelve State Governments and all the Union Territory Administrations, eleven persons allegedly spying for a foreign power were arrested during the last five months and appropriate action under the law has been taken against them. It will not be in the public interest to disclose details of documents etc. recoveed from the arrested persons when the cases are subjective or under investigation. Information in respect of the remaining five States is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

"मैक्सिम" के रायपुर कार्यालय पर छापा

4453. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 27 जुलाई, 1968 को रायपुर में उर्दू दैनिक "मैक्सिम" के कार्यालय पर छापा मारा गया था तथा राष्ट्रपति अयूब खां की आत्मकथा की 1100 प्रतियां बरामद हुई थीं;

(ख) "मैक्सिम" के मालिक के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा यह कार्यवाही किन धाराओं के अन्तर्गत की गई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि रामपुर पाकिस्तानी जासूसों की गतिविधियों का एक बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है जिन्हें कुछ मुसलमान अभिनेता तथा अभिनेत्रियां अपने काले धन से रुपए देते हैं और जिसकी पाकस्तान द्वारा राजकीय स्तर पर अमरीका में डालरों में पूर्ति की जाती है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) प्रकाशनाधिकार अधिनियम की धारा ६३, पुस्तकों का मुद्रण तथा पंजीकरण अधिनियम की धारा 3/12 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468 के अन्तर्गत एक मामला जाँच के अधीन था। नवीनतम स्थिति मालूम की जा रही है;

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

श्रीनगर में राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक

4456. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रीनगर में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक पर आमंत्रित लोगों का यात्रा संबंधी तथा अन्य खर्च समेत कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) इस परिषद् की बैठक नई दिल्ली के बजाय, जो एक कम खर्चीला स्थान होता, श्रीनगर में बुलाने के क्या कारण थ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अपेक्षित सूचना 2 अगस्त, 1968 को अतरांकित प्रश्न संख्या 2429 के संदर्भ में दिए गए विवरण में समाविष्ट है।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री के अनौपचारिक सुझाव पर श्रीनगर को बैठक का स्थान चुना गया था। ऐसी बैठकें, जिनमें देश के विभिन्न भागों से आमंत्रित व्यक्ति भाग लेते हैं, कभी-कभी राज्यों की राजधानियों में तथा नई दिल्ली से बाहर के अन्य स्थानों में की जाती हैं।

Headmaster of N. K. High School, Behrampur (Patna)

4457. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased t state :

(a) whether it is a fact that the Headmaster of N. K. High School, Behrampur, Patna, Shri Raj Kumar Singh Yadav had returned to India, in July, 1967 after receiving special training in England ;

(b) whether it is also a fact that the School Secretary had submitted a bond to the Union

Ministry of Education that Shri Yadav would be paid his salary and travelling expenses and on returning back to the country he would be permitted to join the school ;

(c) whether it is further a fact that the School Secretary has neithter paid the salai , nor the travelling expenses; and

(d) whether even after fifteen months and despite requests from Shri Yadav, the Union Ministry of Education have not taken any action against the School Secretary as per the terms in the bond; and

(e) if the reply to parts (a) to (d) above be in the affirmative, the action being taken by the Government of India to ensure the payment of arrears to Sri Yadav and to permit him to join the school ?

The Minister of State in the Ministry of Eduction (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) An undertaking to this effect was given by the School Secretary.

(c) Yes, Sir.

(d) and (e) In January, 1957 the Ministry of Education requsted the Secretary, N. K. High School, Behrampur (Patna) to honour this undertaking. The State Government was also requested to intervenue on behalf of Shri Yadav. In reply, the State Government has said that tsteps have been taken by the Secretary, Board of Secondary Education, Patna to allow Sri Yadav so join his post. However, the State Government has hardly any commitment as Sri Yadav was tmployed in and sponsored by a private school. The Managing Committee of the School passed a resolution in Shri Yadva's absence preventing him from rejoining the School. Owing to economy measures it has not been possible for the State Government to utilise Sri Yadav's ervices. The State Government have however undertaken to impress upon the Managing Committee the need to hour their obligations under sponsosrhip. The matter has been referred to he Ministry of Law for advice which is awaited.

Employment for Ex-Headmaster of N. K. High School, Behrampur

4458. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of **Education** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that Shri Raj Kumar Singh Yadav, Headmaster of the N. K. High School Behrampur, Patna who came back to India from England in July 1967 after getting special training under the Bursary Award by the U. K. Government, has not been allowed by the Secretary of the said school to join his service ;

(b) whether it is also factthat the British Council, which administers the Bursary Award, has expressed its concern and dissatisfaction over the unemployment of Shri Yadav ;

(c) whether it is further a fact that the Union Ministry of Education had recommended to the Education Secretary and the Chief Secretary of Bihar State in February, 1968 to appoint Shri Yadv in the State Education, Service but Shri Yadav has not been provided with emloyment as yet; and

(d) if so, the action being taken by Government to provide a job to Sri Yadav ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The Ministry of Education requested the Education Secretary, Bihar to interveue to ensure that Shri Yadav was permitted to re-join his post. The reply received is that the Secretary, Board of Secondary Education has been instructed to take this action. Owing to economy measures Shri Yadav's services cannot be utilised by the State Government. The State Government has, however, undertaken to impress upon the School Managing Committee the need to honour its obligations in regard to Sri Yadav. The Ministry of Education has consulted the Ministry of Law on the matter. Advice is awaited.

इम्फाल में हुई 'मैतिक मायेक' मैतिक लिपि के सम्बन्ध में गोष्ठी

4459. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "मैतिक मायेक" मैतिक लिपि में अन्तरों का फैसला करने के प्रश्न के बारे में 27 तथा 28 अक्तूबर, 1968 को इम्फाल में एक गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो गोष्ठी में क्या निर्णय लिया गया;

(ग) क्या इस गोष्ठी के आयोजकों को मणिपुर सरकार ने कोई अनुदान दिया था;

(घ) यदि हाँ, तो कितनी राशि का अनुदान दिया था;

(ङ) क्या यह सच है कि 27 अक्तूबर, 1968 को इस गोष्ठी से बहुत से प्रतिनिधि तथा दर्शक उठ कर चले गए थे; और

(च) यदि हाँ, तो उनके उठ कर चले जाने के क्या करण थे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (च) मणिपुर प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड को अनुदान

4460. **श्री वी० ना० शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967–68 में सरकार ने केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड को कुल कितना वार्षिक अनुदान दिया ;

(ख) उससे पिछले वर्षों की तुलना में यह अनुदान कितना कम अथवा अधिक है; और

(ग) क्या इस बोर्ड के लिये वार्षिक अनुदान में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड एक सलाहकार निकाय है और इसकी स्थापना, संस्कृत के प्रचार और प्रसार से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। इसलिए बोर्ड को किसी प्रकार के अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

संस्कृत के प्रचार तथा अनुसंधान के लिये और धन

4461. **श्री वी० ना० शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एकता में संस्कृत के बढ़ते महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में संस्कृत के प्रचार तथा अनुसंधान के लिये और अधिक राशि नियत करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय एकता के प्रभावशाली साधन के रूप में संस्कृत की महत्ता के बारे में, भारत सरकार पूरी तरह से जागरूक है। केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर चौथी आयोजना में संस्कृत के विकास के लिए और अधक नियतन करने का विचार है। मोटी रूप रेखा अभी तक विचाराधीन है और उसे चौथी आयोजना में उपलब्ध साधनों के मालूम होते ही, अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

Kaushalyapuri Embezzlement Case

4462. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 767 on the 15th November, 1968 and state:

(a) whether an explanation was called for from the then District Officrs in the Kaushalya-puri ebmezzlement case for dissolving an unregistered organisation by conducting a raid on it and for filing a suit against its manager and members ;

(b) the reasons for not fixing responsibility so far, on the person responsible for the scandal keeping in view the explanation ;

(c) whether Government do not propose to take any action against the guilty officials on the plea that the case is 16 years old ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) whether Government are aware of the fact that in an open inquiry all the facts are likely to come to light ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. The Government of Uttar Pradesh did not consider it necessary.

(b) to (d) Do not arise.

(e) Unless fresh evidence is made available a further enquiry is not likely to serve any purpose.

Institute of Pali studies, Nalanda (Bihar)

4463. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fac that the accommodation for students for studying and lodging in the Institute of Pali Studies, Nalanda (Bihar) is insufficient ;

(b) if so, the steps taken in this regard ;

(c) whether Government propose to take over this Institute ; and

(d) if not the reasons therefor and, if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Government is not aware of any institution known as the Institute of Pali Studies, Nalanda (Bihar)

(b) to (d) Questions do not arise.

पत्तनों में जहाजों के ठहरने तथा माल लादने-उतारने की सुविधाएं

4464. **श्री बृजराज सिंह कोटा**: क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थोक तथा हर प्रकार का माल वाले बड़े जहाजों के पहुँचने तथा ठहरने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है तथा उसके परिणामस्वरूप बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम् और गोआ

पत्तनों में उनके ठहरने तथा माल लादने-उतारने की सुविधाओं में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (श्री वि० के० आर० वि० राव) : अनेक परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। बड़े आधार के जहाजों को सम्हालने की सुविधाओं को सुधारने के लिए यह काम इस प्रकार किया जा रहा है :—

कलकत्ता पत्तन

फराका बराज तथा प्रस्तावित नदी-साध कार्यों के पूरे हो जाने से यह आशा की जाती है कि नदी की स्थिति में सुधार होगा और सारे वर्ष कम से कम 26 फुट ड्राफ उपलब्ध होगा। तेल टैंकरों सहित माल जहाजों के समूह को सम्हालने के लिए कलकत्ता से 56 मील नीचे हल्दिया में एक छोटे पत्तन का विकास किया जा रहा है। तेल जेटी में कार्य करना आरम्भ कर दिया है। छः बर्थों वाले गोदी प्रणालीं जिसमें से दो आम माल के लिए तथा चार इकट्ठे माल के लिए जैसे कि खनिज लोहा, कोयला, फास्फेट आदि सम्भवतः 1971 के आरम्भ में काम करना आरम्भ कर देगी।

बम्बई पत्तन

अलेक्जेन्डर गोदी में जहाजों के लिए इस समय 31 फुट ड्राफ्ट ग्राह्य है। 1970 में गोदी विस्तार योजना के पूरे हो जाने पर अधिक से अधिक 35 फुट ड्राफ्ट की व्यवस्था होने की आशा है। वर्तमान बन्दरगाह के पूर्वी और नावा-सेवा पर बम्बई पत्तन के सहायक पत्तन के निर्माण के प्रश्न की भी जाँच की जा रही है। जब यह चालू हो जायेगा। आशा की जाती है कि यह 60,000 डी० डब्लू० टी० से ले कर 80,000 डी० डब्लू० टी० तक के जहाजों की आवश्यकता पूरी करेगा। इसके ड्राफ्ट 40 फुट से 43 फुट तक होंगे।

एक समुद्री तेल टर्मिनल, जिसमें 36,000 डी० डब्लू० टी० और 650 फुट लम्बे तथा 34.5 फुट डुबाव वाले बड़े आकार के टैंकरों के चलने योग्य तीन गहरे पानी के बर्थ शामिल हैं, बुचर द्वीप में स्थिति है। समुद्री तेल टर्मिनल के डोलफिन के डिजाइन में कुछ परिवर्तन करने का काम हाथ में लिया गया है और जब ये तैयार हो जायेंगे तो 45,000 डी० डब्लू० टी० तक के हैं और को जगह मिल सकती है।

मद्रास पत्तन

एक बाहरी बन्दरगाह जिसमें एक खनिज वर्थ तथा एक तेल वर्थ शामिल हैं, निर्माणाधीन हैं और आशा है कि जलाई 1969 में तैयार हो जायगा। तेल बर्थ आरम्भ में 42 फुट डुबाव वाले 77,000 डी० डब्लू० टी० तेल टैंकरों तथा अन्त में 50 फुट डुबाव वाले 100,000 डी० डब्लू० टी० तेल टैंकरों की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। खनिज बर्थ 70,000 डी० डब्लू० टी० के खनिज वाहक के लिए आशा की जाती है जिसमें प्रारम्भ में 42 फुट का डुबाव और अन्त में 50 फुट के ड्राफ्ट के साथ 100,000 डी० डब्लू० टी० के लिए होगा।

विशाखापत्तम पत्तन

पत्तन पर तेलवाहकों तथा माल पोतों को लाने के लिए सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं।

इस समय पत्तन 635 फुट लम्बाई के 33 फुट डुबाव की क्षमता रखता है। वर्तमान तीन तेल घाटों को क्वे घाटों में बदलने का प्रश्न विचाराधीन है।

एक बाहरी बन्दरगाह बनाने का प्रस्ताव है जो शुरू में 100,000 डी० डब्लू० टी० के खनिज वाहकों को और अन्त में 150,000 डी० डब्लू० टी० की क्षमता रखेगा। बाहरी बन्दरगाह के रेखांकन में बड़े आकार के तेल के टैंकरों को रखने की क्षमता की व्यवस्था की जा रही है।

मरमागाओ पत्तन

पत्तन इस समय 28 फुट डुबाव और 650 फुट लम्बे पोतों को रखने की क्षमता रखता है। छटे और सातवें बर्थ के सामने डायाफ्राम दीवार का निर्माण मंजूर कर लिया गया है ताकि 55,000 डी० डब्लू० टी० तक के पोतों जिस पर 30 फुट तक बोझ हो जा सकें। शेष डुबाव के ढुलाई के लिए अन्तस्तल के बाहर धारा में समुद्री नाव से ले जाये जायं।

खनिज लोहे के निर्यात के लिए मरमागाओ पत्तन का विकास करने का प्रस्ताव है। विकास कार्यक्रम में शुरू में 60,000 डी० डब्लू० टी० की और अन्त में 100,000 डी० डब्लू० टी० की व्यवस्था है तथा आधुनिक खनिज की स्थापना की सुविधाओं का होना शामिल है। निकर्षक के लिए निविदा आमंत्रित की गई हैं।

Strike by Employees of West Bengal Electricity Board

4465. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received the report from the Intelligence Department regarding the investigation into the sabotage activities indulged in at the time of strike by the employees of the West Bengal Electricity a Board;

(b) if so, the names of persons who had indulged in the said activities ; and

(c) the punishment awarded to them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The State Government have reported that there were some instances of suspected sabotage in different districts of West Bengal during the strike by the employees of the West Bengal State Electricity Board on and from September 19, 1968.

(b) and (c) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT.—2689/68]**

भारत-रूस नौवहन वार्ता

4466. **श्री सु० क० तापड़िया : श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-रूस नौवहन सम्बन्धी वार्ता के सिलसिले में उनके मंत्रालय में उपमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल हाल में मास्को गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस वार्ता का परिणाम क्या निकला तथा उसके फलस्वरूप यदि कोई समझौता हुआ है तो उसकी शर्तें क्या हैं?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वि० के० आर० वि० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत-रूस नौवहन करार के आधार पर भारत-रूस नौवहन सेवा सन् 1956 में आरम्भ की गई थी। उस पर निश्चित समय पर होने वाली मीटिंग में पुनः विचार किया जाता है और सबको आखिरी पुनर्विचार 11 दिसम्बर से 18 दिसम्बर सन् 1968 तक किया गया। परस्पर विचार-विनिमय के परिणामस्वरूप निम्नांकित बड़े-बड़े निर्णय किए गए :—

(1) दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप प्रत्येक देश ने सन् 1969 में अपने वर्तमान जहाज चलाने के स्तर में 32 से 36 तक करने की व्यवस्था करने का निश्चय किया।

(2) दोनों देशों के जहाजों द्वारा बराबर-बराबर के जहाजों द्वारा माल ले जाया जाएगा और प्राप्त फ्रेट में दोनों का बराबर हिस्सा होगा।

(3) दोनों देश काँदला पत्तन में उपलब्ध साधनों का उपयोग करने के लिये और सन् 1970 के शुरू में इस पत्तन से चौड़ी रेल-लाइन जोड़ने का काम पूरा हो जाने के पश्चात् माल परिचालन के लिए परस्पर सहमत हुए।

(4) निःशुल्क आयात और निर्यात के आधार पर वर्तमान भारत-रूस तट-कर को चालू रखने पर सहमति हुई।

(5) नए सामान पर तट-कर, निवियत पत्तन में माल पर जाँच करने और भारत नौवहन लाइन द्वारा फ्रेट अर्जन करने के सम्बन्ध में डाकुमेन्टेशन करने और शीघ्र निर्णय करने पर परस्पर सहमति हुई।

उड़ानों के दौरान भोजन देना

4467. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन कुछ उड़ानों में उड़ान के दौरान किए जाने वाले भोजन की बड़ी सुविधा में कटौती करने तथा नियमित भोजन के स्थान पर केवल कुछ खाद्य पदार्थ (स्नैक्स) देने का विचार कर रही है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) किन-किन उड़ानों में भोजन दिया जाता है तथा उनमें से प्रत्येक उड़ान में यात्रियों को एयरलाइन्स के शहर कार्यालय में रिपोर्ट करने से लेकर अपने गंतव्य स्थान में स्थित एयरलाइन्स के शहर कार्यालय तक पहुँचने में औसतन कितना समय लगता है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (श्री कर्ण सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इंडियन एयरलाइंस के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उड़ान के दौरान दिए जाने वाले खानों की किस्म का वर्णन इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रकाशित समय सारिणियों में किया जाता है। इसका निर्धारण उड़ान के समय तथा अवधि से किया जाता है।

एयरलाइन्स के नगर कार्यालय में रिपोर्ट करने से विमान पर चढ़ने तक तथा फिर विमान से उतरने से गन्तव्य स्थान के नगर कार्यालय पहुँचने तक दोनों जगह औसत समय लगभग एक घंटा होता है। इसमें विमान पर चढ़ने के हवाई अड्डे से उतरने के हवाई अड्डे तक की उड़ान का समय जोड़ दिया जाता है क्योंकि तय की गयी दूरी तथा मार्ग में पड़ने वाले विमान-क्षेत्र, यदि कोई हों, पर रुकने पर निर्भर करता है।

अखिल भारतीय परिवहन संचालक सम्मेलन

4468. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में अखिल भारतीय परिवहन संचालक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले परिवहन संचालकों के प्रतिनिधियों ने क्या प्रस्ताव रखे तथा माँगें कीं;

(ग) उनमें से प्रत्येक पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सम्मेलन में ऐसा विचार व्यक्त किया गया था कि सरकार ने पिछले 21 वर्षों में परिवहन प्रणाली तथा तत्सम्बन्धी कराधान के प्रश्नों पर विचार करने के लिए, जो बहुत सी समितियाँ नियुक्त की हैं वे सब निष्फल तथा अप्रभावी रहीं और यदि हाँ, तो इस दृष्टिकोण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (घ) सम्मेलन में पारित प्रस्तावों में निम्नलखित मुख्य बातें उठायी गयीं :—

मोटर गाड़ी करोधान

(1) मोटर गाड़ी कराधान में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा तुरन्त सहत दी जानी चाहिये जैसा केसकर समिति ने सिफारिश की है, या वे कम से कम वर्तमान स्तर पर करों को रोकने के लिए सहमत हों।

(2) दोहरा और अनेक गुना कराधान को बन्द कर देना चाहिए और इसके स्थान में अन्तर्राज्यीय परिवहन पर एक स्थान-कराधान लागू करना चाहिए।

(3) पर्यटक मोटर गाड़ियों और ठेके की मोटर गाड़ियां गृह-राज्य के अलावा सब राज्यों में मोटर गाड़ी-कर और यात्री-कर से मुक्त की जायँ।

टायरों की अनपलब्धता

(4) परिवहन तथा नौवहन और औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालयों को टायर निर्माताओं को बलपूर्वक कहना चाहिए कि वे बस और ट्रक चालकों को निश्चित मूल्य पर कुछ लोकप्रिय माप और मार्क के टायरों और ट्यूबों को नियमित रूप से प्रदान करने का सुनिश्चय करें।

(5) सरकार को चाहिए कि वह टायर निर्माताओं को आवश्यक नाइलोन कार्ड देशी साधनों से उपलब्ध करे और जब तक ऐसी क्षमता विकसित होती है तब तक के लिए आयात की अनुमति दे।

सड़क विकास

(6) सड़क परिवहन उद्योग से प्राप्त राजस्व और सड़कों के निर्माण और रख-रखाव के लिए आवंटित राशि में कुछ सम्बन्ध होना चाहिए।

सड़क परिवहन चालकों के लिये ऋण सुविधायें

(7) सड़क परिवहन चालकों के बिलों को बट्टा काट कर रुपया उधार देने की भारत औद्योगिक विकास बैंक की योजना को शीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

(8) सड़क परिवहन उद्योग के साथ लघु उद्योगों के समान बर्ताव होना चाहिए और रिज़र्व बैंक की ऋण गारंटी जो अब लघु उद्योगों पर लागू होती है, का विस्तार कर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सड़क परिवहन चालकों को दिए गए ऋणों पर लागू करना चाहिए।

(9) परिवहन सहकारी सोसाइटियों के जो चालक सदस्य हैं उन्हें ऋण देने के लिए एपेक्ष सहकारी बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(10) वाणिज्यिक बैंकों को सीधा उन चालकों को ऋण देना चाहिए जो ऋण-क्षमता की उचित शर्तों को पूरा करे। इसका प्रारम्भ 2 या 3 मोटर गाड़ियों के मालिकों को ऋण दे कर किया जा सकता है। इस योजना का धीरे-धीरे व्यक्तिगत चालकों तक विस्तार किया जाना चाहिए।

सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण

(11) चौथी योजना काल के दौरान राज्य सड़क परिवहन संस्थानों के विस्तार के कार्यक्रमों के लिए और धन आवंटित नहीं किया जाना चाहिये। उन संस्थानों को अपनी सेवाएं वर्तमान रास्तों पर दृढ़ और ठोस बनाना चाहिए।

(12) निजी चालकों को मौजूदा रास्तों पर अपनी मोटर-गाड़ियां चलाने की अनुमति जारी रहनी चाहिए।

समितियों की सिफारिशों का कार्यान्वयन

(13) सड़क परिवहन उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिये सरकार द्वारा गत समय में नियुक्त विभिन्न समितियों की कम से कम कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए तुरन्त और प्रभावकारी कदम उठाये जाने चाहिए।

माल परिवहन उद्योग का स्वस्थ आधार पर विकास

(14) केरियर अधिनियम 1965 को इस दृष्टि से संशोधित करना चाहिए जिससे वाहक के रूप में बस चालक की देयता निर्धारित की जाय।

(15) परक्रमम्प लिखत अधिनियम को संशोधित करके माल परिवहन कम्पनियों द्वारा जारी की गयी लारी रसीदों का परक्रमम्प लिखत बनाया जाना चाहिए।

(16) लारी रसीदों को जारी करने की शर्तों और प्रथाओं का मानकित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चयन हो जाय कि माल बिना लारी रसीद को दिये बिना सुपुर्द नहीं किया जाय या लारी रसीदें ढोये जाने वाले माल को बिना हिरासत में लिए जारी न की जाय।

(ग) जहाँ तक कराधान का सम्बन्ध है, अन्य किए गए उपायों के साथ परिवहन तथा

नौवहन मंत्री ने एक वैयक्तिक पथ में राज्य और संघ क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों से निवेदन किया है कि परिवहन विकास परिषद् के निष्कर्षों को वे लागू करें और मोटर गाड़ियों के कराधान का मौजूदा स्तर परिवर्तन कर ऊँचा न किया जाय। दक्षिण क्षेत्र परमिट योजना में केवल गृह राज्य में चालकों द्वारा कर-भुगतान की व्यवस्था है। अन्य राज्यों के बीच की व्यवस्था है। अन्य राज्यों के बीच पारस्परिक समझौतों में पड़ोसी राज्यों के बीच चलने वाली मोटर गाड़ियों के लिए एक स्थान कराधान की व्यवस्था है और अधिक क्षेत्रीय समझौते करने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(2) जहाँ तक टायरों का सम्बन्ध है परिवहन और नौवहन मंत्री ने औद्योगिक विकास और कम्पनी-कार्य मंत्री के साथ इस विषय पर बातचीत की है और यह मामला औद्योगिक-विकास विभाग द्वारा आगे कार्यवाही की जा रही है।

(3) चतुर्थ योजना काल में सड़कों के विकास के लिए और देखभाल के लिए अधिक धन-राशि नियत करने के लिये राज्यों से प्रार्थना की गई है। केन्द्रीय सड़क निधि की बढ़ाने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है।

मनीपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की माँग

4469. **श्री एम० मेघचन्द्र :** **श्री एस० एम० जोशी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त समाजवादी दल की मनीपुर शाखा ने मनीपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की माँग के लिये 15 नवम्बर, 1968 को आन्दोलन आरम्भ किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस आन्दोलन का ब्यौरा क्या है तथा इस दल के अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) क्या गिरफ्तार किए गए लोगों को अब रिहा कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो वे किन धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार तथा नजरबन्द हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) संयुक्त समाजवादी दल के कुछ सदस्य कुछ स्वयं-सेवकों के साथ मुख्य बाजार में एक जलूस बना कर चले और मुख्य आयुक्त के बंगले के द्वारों पर और बाद में इम्फाल स्थित सचिवालय भवन के द्वारों पर उन्होंने धरना दिया। 18 और 22 नवम्बर, 1968 के बीच 82 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उनमें से 46 व्यक्ति वैयक्तिक बांड पर रिहा कर दिए गए हैं और 36 व्यक्ति अभी न्यायिक संरक्षण में हैं।

(घ) गिरफ्तारियाँ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143 / 149 / 341 के अन्तर्गत की गई थीं।

भारत की जनसंख्या

4471. **श्री चित्ति बाबू** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 1968 को देश की कुल जनसंख्या वस्तुतः कितनी थी; और

(ख) 31 अक्तूबर, 1968 के पश्चात् जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) चूंकि जनगणना प्रति दश-वर्षीय आधार पर की जाती है अतएव 31 अक्तूबर, 1968 को भारत की ठीक-ठीक कुल जनसंख्या ज्ञात नहीं है। 31 अक्तूबर, 1968 को भारत की अनुमानित जनसंख्या 528,411,000 थी।

(ख) 31 अक्तूबर, 1968 से 30 नवम्बर, 1968 तक की अवधि में भारत की जनसंख्या में 1,083,000 की वृद्धि होने का अनुमान है।

विद्रोही मिजो लोगों को राजक्षमा

4472. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिज़ो नेशनल फ्रन्ट के कितने विद्रोही लोगों ने राजक्षमा प्रस्ताव का लाभ उठाया तथा कितने लोगों ने अन्यथा आत्म-समर्पण किया है;

(ख) उनके पुनर्वास के लिये क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) मिज़ो नेशनल फ्रन्ट के विद्रोही लोगों द्वारा जिन देशभक्त लोगों को हानि पहुँचाई गई थी उन्हें यदि कोई मुआवजा दिया गया है तो उसकी राशि कितनी है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) सन् 1968 में राज-क्षमा की अवधि के दौरान 1706 मिज़ो विद्रोहियों ने आत्म-समर्पित किया। वर्ष के दौरान 23 मिज़ो ने राजक्षमा से पहले ही आत्म-समर्पण कर दिया था।

(ख) आत्म-समर्पण व्यक्तियों को सामूहिक केन्द्रों में बसाया जा रहा है जहाँ उनके लिए सुरक्षा की पर्याप्त सुविधा तथा काम उपलब्ध है।

(ग) प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिये अब तक 37,150 रुपए व्यय किए गए हैं।

मनीपुर के पशु-चिकित्सा विभाग के लेखों की लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण

4473. **एम० मेघचन्द्र**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रादेशिक परिषद् के अधीन 1 अप्रैल, 1962 से 30 सितम्बर, 1962 की अवधि के लिये और मनीपुर प्रशासन के अधीन शेष अवधि के लिये पशु चिकित्सा विभाग के लेखों की लेखा-परीक्षा तथा जाँच की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने उक्त लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की जाँच की है;

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) यदि इस पर कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है;

(ङ) क्या मनीपुर की सरकार ने लेखा-परीक्षा टिप्पणों के आधार पर इस विभाग के भंडार की स्थिति की कभी कोई जाँच की है; और

(च) यदि हाँ, तो कितनी बार जाँच की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अप्रैल, 1962 से जुलाई, 1965 की अवधि के लिये इम्फाल के पशु चिकित्सा तथा पशुपालन विभाग के मुख्य अधिकारी के लेखों का असम तथा नागालैण्ड के महालेखाकार द्वारा दिसम्बर, 1962 में एक विशेष लेखा-परीक्षा की गई थी।

(ख) मनीपुर सरकार ने असम तथा नागालैण्ड के महा-लेखाकार के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच की है।

(ग) प्रतिवेदनों में निम्नलिखित अनियमितताएं दिखाई गई हैं :—

(i) अस्थायी दुर्विनियोग
(ii) रोकड़ बही को अनियमित रूप से रखना
(iii) अधिक अदायगी
(iv) रोकड़ संतुलन का अनियमित सत्यापन
(v) दवा आदि की खरीद के लिये धन की अग्रिम निकासी
(vi) बिक्री-आय को समय पर खजाने में जमा न करना
(vii) उचित प्राधिकार आदि के बिना राशन की खरीद

(घ) लेखा-परीक्षा द्वारा बताई गई अनियमितताओं तथा गलतियों की जाँच के लिये और उन गलतियों के लिये उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए जनवरी, 1968 में मनीपुर के मुख्यायुक्त द्वारा जाँच का एक विशेष बोर्ड बनाया गया था। जाँच बोर्ड द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर पशुचिकित्सा तथा पशुपालन विभाग के मुख्य अधिकारी को पशुचिकित्सा विभाग के लेखाकार तथा खजाँची के साथ निलम्बित कर दिया गया है। भारी दण्ड के लिए इन अधिकारियों के विरुद्ध मनीपुर सरकार ने भी विभागीय कार्यवाही आरम्भ की है।

(ङ) और (च) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों के प्राप्त होने के बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा भण्डारों की एक बार वास्तविक जाँच कर ली गई है।

मनीपुर के सरकारी कर्मचारियों को स्थाई बनाना

4474 **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार ने कई वर्षों से सेवा कर रहे, अपने कर्मचारियों को उन पदों पर जिन पर वे काम कर रहे हैं स्थायी तथा अर्धस्थायी घोषित करने का प्रश्न हाल ही में उठाया है;

(ख) यदि हाँ, तो कर्मचारियों के सभी वर्गों के सम्बन्ध में यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ग) वर्तमान प्रक्रम में मनीपुर सरकार के विभिन्न विभागों में इस प्रकार कुल कितने कर्मचारियों को स्थायी बनाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) नियमों के अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया में मनीपुर सरकार के कुछ कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी अथवा स्थायी घोषित कर दिया गया है। मनीपुर सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कर्मचारियों को छोड़ कर उन योग्य कर्मचारियों को, जिनकी सेवा का रिकार्ड 31 अक्तूबर, 1968 तक की

अवधि के लिए संतोषजनक है, अर्ध-स्थायी घोषित कर दिया गया है। मनीपुर सरकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता को इस कार्य को 31 मार्च, 1969 तक पूरा करने को निर्देश दिया है।

(ग) अब तक 8956 स्थायी पदों के मुकाबले 8178 कर्मचारियों को स्थायी बना दिया गया है। प्रशासन के समस्त विभागों में 3797 कर्मचारियों को अर्धस्थायी घोषित कर दिया गया है।

Roster for Promotion and Recruitment of Scheduled Castes

4475. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have prescribed any roster for promotion and recruitment of the employees belonging to the Scheduled Castes, fixing therein the order of their seniority ;

(b) the extent to which this roster is adhered to by the State Employees Insurance Corporation of the Labour Ministry ;

(c) if it is not adhered to the reasons therefor ; and

(d) the names of the officers responsible therefor and the nature of punishment awarded to them for not following the said roster ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Rosters have been prescribed for giving effect to the reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts and services under Government filled by direct recruitment and in posts and services filled by promotion where reservation is applicable. These rosters are not meant for determining seniority.

(b) The reservation orders issued by Government are not automatically appllicable to the Employees State Insurance Corporation which is a Statutory Body. However the Corporation has adopted the rosters prescribed by Government for reservations in direct recruitment. It has also agreed to adopt the Government orders issued in O. M. no. 1/12/67- Est. (C) dated 11th July, 1968 (copy laid on the Table of the House) regarding reservation in promotion posts and will therefore follow the roster provided therein. **[Placed in Library. See No. LT. 2690/68]**

(c) and (d) Do not arise.

पश्चिमी जर्मनी द्वारा तकनीकी की छात्रों को सहायता

4476. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी के विश्वविद्यालय छात्र तकनीकी प्रशिक्षण विभाग के अध्यक्ष ने मंत्री महोदय से पश्चिमी जर्मनी द्वारा तकनीकी क्षेत्र में भारतीय छात्रों को दिए जा सकने वाले सहयोग के बारे में विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उनके बीच हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में छात्र पश्चिमी जर्मनी भेजने के लिए कोई व्यवस्था की गई है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ। शिक्षा मंत्री तथा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस पर अलग से विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) और (ग) इस बात पर सहमति थी कि तकनीकी अनुभव योजना तथा जर्मन संघ गणराज्य में प्रशिक्षण के लिए इंजीनियरी तथा टेक्नोलोजी के और अधिक भारतीय स्नातकों को स्थान मिलने के विद्यार्थी विनिमय की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के अधीन प्रक्षिण कार्यक्रम में भारत को और अधिक उत्साह से भाग लेना चाहिए। अपेक्षित प्रशिक्षण स्थानों की ठीक-ठीक संख्या का पता नहीं लगाया गया है।

शेख अब्दुल्ला की पाकिस्तान यात्रा

4477. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कुछ पक्ष सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास में मुद्रा नोटों का वितरण

4478. **श्री क० प्र० सिंह देव**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 नवम्बर, 1968 के "पैट्रिओट" में प्राशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक अमरीकी राष्ट्रजन श्री नोवेल अलेग्जेंडर नकोल ने मद्रास में गन्दी बस्तियों के निवासियों को दस-दस व सौ-सौ रुपए के नोट बाँटे थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को श्री नकोल की गतिधियों के सम्बन्ध में कोई प्रति-वेदन मिला है;

(ग) यदि हाँ, तो उसमें क्या विवरण दिया गया है; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) से (घ) स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नोवल अलेग्ज़ेंडर नकोल ने मद्रास नगर के बाहरी क्षेत्रों में कुछ निर्धन तथा वृद्ध व्यक्तियों को मुद्रा नोट बाँटे थे। उन्होंने उन व्यक्तियों से कभी बातचीत नहीं की जिन्होंने उनसे पैसे लिये थे और न ही उन्होंने बदले में उनसे कोई आशा की थी। बाँटे गए नोट असली थे। उन्हें प्रतिकूल कार्य करते नहीं देखा गया तथा मालूम होता है कि उन्होंने पूर्णतया उदार भावनाओं से कार्य किया। अतः मामले में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। 23 नवम्बर, 1968 को वे भारत से चले गए थे।

पश्चिमी घाट सड़क पर बालीपाटन में पुल

4479. **श्री अ० क० गोपालन:** **श्री प० गोपालन:**

क्या **पर्यटन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी घाट सड़क पर बालीपाटम में एक सड़क पुल बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्माण-कार्य कब आरम्भ करने का विचार है;

(ग) इसके लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

पर्यटन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) मुख्य पुल के निर्माण के लिए 41.33 लाख रुपए का एक प्राक्कलन विचाराधीन है। जैसे ही इसकी मंजूरी हो जायेगी, निविदा आमंत्रित की जायेगी और सफल निविदा देने वाले को संविदा दी जायगी। उसके बाद पुल का वास्तविक कार्य प्रारम्भ होगा। पुल के पहुँच-मार्ग के निर्माण के लिए राज्य सरकार से 14 लाख रुपए का एक प्राक्कलन प्राप्त हुआ है और कुछ तकनीकी आँकड़ों के प्राप्त होने के बाद इस पर आगे कार्यवाही की जायेगी। उनसे आँकड़े मागें जा रहे हैं।

(घ) कार्य के वास्तविक रूप से प्रारम्भ की तिथि से पुल के 3 साल की अवधि में पूर्ण होने की आशा की जाती है।

पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी संस्था से ज्ञापन

4480. **श्री उमानाथ:** **श्री सी० के० चक्रपाणि:**
श्री के० रमानी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 20 अगस्त, 1968 को पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी संस्था ने सरकार को माँग-पत्र के साथ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो, इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख) जी हाँ। इसी प्रकार का एक ज्ञापन विश्वविद्यालय के कुलपति को भी दिया गया था। इस मामले में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की है।

कृत्रिम वर्षा का तरीका

4481. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ:** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पटना विश्वविद्यालय के एक प्रोफसर पटना में 12 सितम्बर को कृत्रिम वर्षा कराने में सफल हुए हैं;

(ख) क्या कृत्रिम वर्षा का यह पानी प्राकृतिक वर्षा के पानी के समान ही अच्छा है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह सफलता देश में सूखे तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों की समस्या को हल करने में अत्यधिक सहायक होगी;

(घ) क्या सरकार आवश्यकता के समय तथा सूखे मौसम में इस विधि से वर्षा की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

पर्यटन तथा अर्वनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह समाचार देखा है कि पटना के प्रोफेसर घोष ने 12 सितम्बर, 1968 को बादलों से कृत्रिम वृष्टि के कुछ प्रयोग किए तथा उस दिन 1450 एवं 1700 घण्टों के बीच वर्षा हुई। प्रोफेसर घोष ने मौसम-विज्ञान कार्यालय, पटना, से 12 सितम्बर को मौसम सम्बन्धी आँकड़े अवश्य प्राप्त किए थे, परन्तु कृत्रिम वर्षण में यथार्थता प्रमाणित करने की प्रक्रिया अत्यन्त कठिन तथा जटिल है और निश्चित रूप से इस परिणाम पर पहुँचना सम्भव नहीं है कि वर्षा इस कृत्रिम वर्षण के कारण ही हुई।

(ग) से (ङ) सरकार भारत तथा विदेशों में किए गए इस प्रकार के प्रयोगों के सम्पर्क में है तथा उनके परिणाम जानने में अत्यधिक रुचि रखती है।

इंजीनियरों की भर्ती

4482. **श्री सीताराम केसरी**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई परिपत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि इंजीनियरों की बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए वे अधिक इंजीनियरों की भर्ती करें;

(ख) यदि हाँ, तो इस परिपत्र के प्रत्युत्तर में राज्यों ने कितने इंजीनियर भर्ती किए हैं; और

(ग) क्या इंजीनियरों में बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में फालतू कर्मचारियों की छंटनी को रोकने का विचार करेगी?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) लोक-सभा में 26 जुलाई 1968 को तरांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर में इंजीनियरों के नियोजन के अवसरों के सृजन के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित उपायों का एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा गया था। राज्य सरकारों से उन आधारों पर यथासम्भव कार्यवाही करने के लिये विचार करने का निवेदन किया गया है।

(ख) राज्यों द्वारा भर्ती किए गए अतिरिक्त इंजीनियरों की संख्या के सम्बन्ध में निश्चित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर की सरकारों ने अनुसंधानात्मक कार्य के लिये कुछ पदों का सृजन किया है। गुजरात सरकार ने लघु उद्योग स्थापित करने के लिए इंजीनियरों को वित्तीय सहायता की एक विशेष योजना बनाई है।

(ग) इंजीनियरों के लिए अतिरिक्त नियोजन के अवसरों के सृजन के लिये की जा रही कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए यह आशंका नहीं है कि सरकार के नियोजन में इंजीनियर-

कर्मचारियों की कोई उल्लेखनीय छंटनी की जायगी। फिर भी, जहाँ छंटनी अनिवार्य है, फालतू पाए गए व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक नियोजन ढूंढ़ने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के सड़क विभाग में पदाधिकारियों की वरिष्ठता सूची

4483. **श्री सीताराम केसरी**: क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चूंकि उनके मंत्रालय के सड़क विभाग में अब तक पदाधिकारियों की वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई है, इसलिये कर्मचारी निरीक्षण समिति की सिफारिशों की क्रियान्वित रोक दी गई है,

(ख) यदि हाँ, तो यह वरिष्ठता सूची कब तक तैयार हो जान की सम्भावना है; और

(ग) क्या बड़े पैमाने पर इंजीनियरों में बेरोजगारी को देखते हुए छंटनी रोक दी जायेगी?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख) जहाँ तक अराजपत्रित कर्मचारियों का प्रश्न है स्टाफ-इन्सपेक्शन यूनिट की सिफारिश पूरी तरह कार्यान्वित कर दी गई है। अधीक्षक इंजीनियरों के दस स्थानों में से पाँच स्थान जो खाली थे, स्टाफ इन्सपेक्शन यूनिट द्वारा कम कर दिए गए वे छोड़ दिए गए। सहायक कार्य-कारी इंजीनियरों के 14 स्थान जो स्टाफ इन्सपेक्शन द्वारा कम कर दिए गए थे, उन सम्बन्धित कर्मचारियों को अन्यत्र विलयन करने के लिये समय देने के लक्ष्य से अधिसंख्य पद के तौर पर फरवरी सन् 1969 के अन्त तक के लिए स्वीकृत कर ली गई है।

प्रभावित अधिकारियों की परस्पर वरीयता के सम्बन्ध में निर्णय न होने के कारण कार्यवाही इंजीनियरों के शेष पाँच स्थान अभी तक नहीं छोड़े जा सके। विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त तकनीकी राजपत्रित अधिकारियों की परस्पर वरीयता निश्चित करने के उद्देश्य से एक समिति नियुक्त की गई है। इस समिति की रिपोर्ट निकट भविष्य में मिलने की आशा है। समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लिए जाने के पश्चात् केन्द्रीय सर्पलस पूल की मशीनरी के द्वारा फालतू अधिकारियों के उचित स्थानों में अन्यत्र विलयन के लिए भेज दिया जायेगा।

(ग) कुछ स्थानों को जो उन कामों के लिए स्वीकृत में कम कर दिए जायेंगे क्योंकि ऐसे कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं।

राज्यों में उग्रवादी तत्वों की वृद्धि पर राज्यपालों की चिन्ता

4484. **सीता राम केसरी**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्यपालों ने अपने सम्मेलन में राज्यों में उग्रवादी तत्वों की वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इन तत्वों को दबाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) कुछ राज्यपालों ने अपने राज्यों में उग्रवादियों की गतिविधियों की ओर सम्मेलन का ध्यान दिलाया।

(ख) राज्य सरकार नए रुख के खतरनाक तत्वों के प्रति, जो फैलते जा रहे हैं, सजग है तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि उग्रवादियों की गतिविधियाँ नियंत्रित रहें और सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवकों के जीवन तथा विधि-व्यवस्था को खतरा उत्पन्न न हो, समुचित कार्यवाही कर रही है।

मृत्यु-दण्ड को आजीवन कारावास में बदलना

4485. **श्री सीताराम केसरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि जिन अभियुक्तों को इस वर्ष 12 नवम्बर तक मृत्यु-दण्ड सुनाया गया है उनके मृत्यु-दण्ड को आजीवन कारावास में बदला जायेगा; और

(ख) क्या सरकार का विचार मृत्यु-दण्ड को बिल्कुल समाप्त करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ, श्रीमान्।

(ख) भारत में मृत्यु-दण्ड को समाप्त करने का प्रश्न विधि आयोग के विचाराधीन है।

चीन जाने वाले मिजो

4486. **श्री चेंगल राया नायडू** : **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री रा० कृ० सिंह : **श्री क० प्र० सिंह देव** :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि 1000 मिज़ो तथा कुकी विद्रोही हथियार लेने तथा तोड़फोड़ की गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये साम्यवादी चीन जाते हुए अपर बर्मा की 'चिन हिल्स' को पार करने वाले हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने चीन को जाने वाले सुरक्षित मार्गों का पता लगाने के लिए मनीपुर में तेंगनोपाल सब-डिवीजन में अनेक अग्रिम दल पहले ही भेज दिए हैं;

(ग) क्या मिज़ो विद्रोही छिपे नागाओं से इस बारे में पारस्परिक आधारों पर बात-चीत कर रहे हैं कि चीन अथवा पूर्वी पाकिस्तान में हथियार लेने के मिशन पर जाने के लिये वे दोनों एक दूसरे के प्रभावाधीन क्षेत्रों से गुजर सकें; और

(घ) यदि हाँ, तो उनको चीन जाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) ऐसी सूचनायें हैं कि मिज़ो तथा कुकी विद्रोहियों के छोटे-छोटे दल हमारी सीमाएं पार करने का प्रयत्न करते हैं।

(ग) जी हाँ, श्रीमान्।

(घ) सुरक्षा दल हमारी सीमाओं के आर-पार विद्रोही तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए निरन्तर सतर्कता बरतते हैं।

सियालदाह रेलवे स्टेशन में झगड़ा

4487. **श्री म० ल० सोंधी** : **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 नवम्बर, 1968 को सियालदाह रेलवे स्टेशन पर (पश्चिम बंगाल में) छात्रों और पुलिस में हिंसक झगड़ा हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो भविष्य में इस प्रकार के झगड़े न होने देने के लिय सरकार ने क्या कार्य-वाही की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में जाँच-आदेश देने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 11 नवम्बर, 1968 को सियालदाह रेलवे स्टेशन पर छात्रों की एक हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस द्वारा एक बार अश्रुगैस का गोला छोड़ा गया था तथा हल्का लाठी-प्रहार किया गया था। तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध मामले की जाँच की जा रही है।

(ग) राज्य सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अमृतसर जिले में छात्रों पर अश्रुगैस का प्रयोग

4483. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर जिले में पुलिस ने छात्रों की एक हिंसक भीड़ पर अश्रु गैस का प्रयोग किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि छात्रों तथा प्रशासन दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा मामले को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 11 नवम्बर और 14 नवम्बर, 1968 के बीच अमृतसर जिले में छात्रों की हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को तीन अवसरों पर अश्रुगैस का प्रयोग करना पड़ा था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन की बसों पर छात्रों द्वारा हमला

4489 **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री न० कु० सोंधी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 23 नवम्बर, 1968 को दयालसिंह कालेज, नई दिल्ली के छात्रों ने दिल्ली परिवहन की एक जीप जला दी थी और आधी दर्जन बसों पर पत्थर फेंके थे तथा उन्हें क्षति पहुँचाई थी और उनमें से एक बस को जिस पर वे आग न लगा सके थे, नाले में धकेल दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(घ) इसके कारण दिल्ली परिवहन को कुल कितनी धनराशि की क्षति हुई ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ। 23 नवम्बर 1968 को एक जीप पर आग लगा दी गई। छः बसें और एक पार-गाड़ी को क्षति पहुँची और इनमें से एक बस को बरसाती पानी के नाले में ढकेल दिया गया। इस प्रक्रिया में दो टेलीफोन के खम्बों को भी क्षति हुई और टेलीफोन की तार कट गई।

(ख) भारतीय दंड संहिता धारा 147/149; 435, 353/186 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है और उसकी जाँच की जा रही है। पुलिस ने तीन विद्यार्थियों को हिरासत में लिया।

(ग) पुलिस प्राधिकारियों के अनुसार यह घटना तब पैदा हुई जब दयाल सिंह कालेज के छात्रों ने 22-11-68 को दिल्ली परिवहन की बस में चढ़ने तथा, इससे पहले कि बस का कण्डक्टर (जो अपने पहुँचने का समय नोट कराने के लिए बस से उतर गया था) बस में चढ़ता, घन्टी बजा कर चालक को बस चलाने का संकेत दे दिया। बाद में दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों में झगड़ा उत्पन्न हो गया। इसके बाद दोनों दल पुलिस स्टेशन गए लेकिन उनके आपस में समझौता हो गया और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई कि झगड़ा गलतफहमी से पैदा हुआ था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थी दिल्ली परिवहन के कर्मचारियों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की। दिल्ली परिवहन के डिपो मैनेजर को कालेज के प्रिंसिपल से बातचीत करने के लिये आमंत्रित किया गया और जब वे बात-चीत कर रहे थे तो डिपो के मैनेजर की जीप को आग लगा दी गई।

(घ) दिल्ली परिवहन को होने वाली क्षति का अनुमान लगभग 8,500 रुपया है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र कृषकों का बसाया जाना

4490. **श्री वेणी शंकर शर्मा** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से अनुरोध किया गया है कि देश में सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा के लिए उन क्षेत्रों में सशस्त्र कृषक बसाये जायें;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कांडला पत्तन के लिए ड्रेजर का किराए पर लिया जाना

4491. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ : श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन पर एक कीमती और महत्त्वपूर्ण एम० ओ० टी० ड्रेजर-1 गत् एक महीन से अधिक की अवधि से बेकार पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस ड्रेजर को मंगाने तथा उपयोग में न लाने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) जहाजरानी निगम को इसके लिये कितना किराया दिया जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) से (ग) विभिन्न पत्तनों की विशिष्ट निकर्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने दो कटर चूषण निकर्षक प्राप्त किए हैं। ये आवश्यकतानुसार पत्तनों को उपलब्ध होते हैं। इनमें से एक निकर्षक एम० ओ० टी०–1, काफी लम्बे समय से भावनगर और ओखा में निकर्षण कर रहा था। 9 अक्तूबर को इसे बंदर बेसिन पर निकर्षण करने के लिए काँदला भेजा गया। ओखा पर इसके स्थान में एम० ओ० टी० ड्रेजर 2 ने काम संभाला। इस प्रावस्था पर काँडला पत्तन ट्रस्ट ने यह शंका उठायी कि क्या यह ड्रेजर इस कार्य के लिए उपयुक्त होगा। ये शंकायें मंत्रालय के तकनीकी सलाहाकारों और पत्तन अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद दूर हो गयी हैं। तथापि बंदर बेसिन पर वास्तविक निकर्षण शुरू होने से पूर्व जोड़ने वाली पाइप लाइन बिछानी पड़ी। जब इसका प्रबन्ध किया जा रहा था तभी काँदला पत्तन ट्रस्ट ने अनुरोध किया कि ड्रेजर को काँडला क्रीक के मुहाने पर तुरन्त आन्दोलनकारी निकर्षण करना चाहिए क्योंकि वहाँ अचानक वालूचर में खराबी आ गयी थी। अतः 16 नवम्बर, 1968 से निकर्षक क्रीक में काम कर रहा है और परिणामों पर निगाह रखी जा रही है। यदि वे संतोषजनक रहे तो निकर्षक को आवश्यक अवधि के लिए आन्दोलनकारी निकर्षण पर लगाया जाएगा और बाद में बंदर बेसिन का निकर्षण शुरू किया जाएगा। अन्यथा काम सीधा शुरू कर दिया जाएगा।

मन्तेव्य यह है कि निकर्षकों को यथासंभव पूरी हद तक प्रयुक्त किया जाय। लेकिन पाइप लाइन डालने, सूखी गोदी व्यवस्था, कार्य-भंग, पक्षों की सुविधा के लिए नए कार्य से सम्बद्ध कार्यक्रमों में परिवर्तन, उचित सहायक उपस्कर की उपलब्धता, इत्यादि के लिए एक ठेके के काम के कार्यान्वयन और दूसरे के बीच की पृथक-पृथक अवधियों के लिए सदा अनुमति दी जानी होगी।

(घ) निकर्षण ठेकों और किराये के प्रभारों की शर्तें वार्षिक चालन लगातों और उपरोक्त विभिन्न कारणों को दृष्टि में रख कर निश्चित की जाती है और केवल निकर्षक के किसी विशिष्ट पत्तन पर पहुँचने की तिथि पर यहीं निश्चित की जाती है। किराये के प्रभार ड्रेजर द्वारा किए गए वास्तविक निकर्षण से भी संबद्ध होते हैं। इस सब परिस्थितियों के प्रकाश में काँडला पत्तन ट्रस्ट द्वारा चुकाये जाने वाले प्रभारों का हिसाब यथासमय लगाया जाएगा।

मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रतिकार-भत्ता

4492. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर सरकार के पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रतिकर-भत्ता देने की मंजूरी दे दी है ;

(ख) क्या लूशाई हिल्स और नागालैंड में काम करने वाले आसाम और नागालैंड के सरकारी कर्मचारियों को ऐसे भत्ते दिए गए थे; और

(ग) यदि हाँ, तो मनीपुर के कर्मचारियों को यह भत्ता मंजूर करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) आसाम की तरह मनीपुर सरकार के कर्मचारी, जो मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, पहाड़ तथा शीत-काल भत्ते पा रहे हैं। ये भत्ते प्रतिकर भत्तों के रूप में हैं। इस प्रश्न की परीक्षा की जा रही है कि क्या इस भूभाग की कठिन परिस्थितियों, इत्यादि के कारण इन पहाड़ी क्षेत्रों में कोई अतिरिक्त भत्ते न्यायसंगत हैं।

भारतीय राष्ट्रिकों का भारत से बाहर विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण तथा उन्हें रोजगार देना

4493. **श्री हो० ना० मुकर्जी** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) क्या भारतीय राष्ट्रिकों को भारत से बाहर विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण दिलाने तथा बाद में उन्हें वैदेशिक-कार्य तथा शिक्षा मंत्रालयों में रोज़गार दिलाने अथवा उन्हें कोई और कार्य सौंपने की दृष्टि से मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा आरम्भ की गई योजना का उन्होंने कभी कोई पुनरीक्षण किया है;

(ख) क्या उन्हें पता है कि इनमें से कुछ विद्वानों को रोजगार नहीं दिया गया और उन्हें अपना रोजगार स्वयं ढूंढ़ना पड़ रहा है; और

(ग) विदेश भेजे गए विद्वानों की संख्या कितनी थी और सरकार की जानकारी के अनुसार उनमें से कितने विद्वानों को उचित रोजगार पर लगाया गया है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए नियुक्त अध्यापकों को प्रशिक्षित करने और साथ ही कुछ भाषाओं में प्रवीण कर्मचारियों संबंधी कुछ सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विदेशी भाषा छात्र-वृत्ति योजना का प्रारम्भ 1954–55 में किया गया था। तब से इस योजना के अन्तर्गत 109 विद्यार्थियों को विदेश भेजा गया है। इस योजना के अधीन चुने गए अधिकतर विद्यार्थी सरकार द्वारा और शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार थे और वापस लौटने पर उन्हें अपने-अपने कार्यालयों में आना था। बाद के वर्षों के कुछ गैर-प्रायोजित उम्मीदवारों को भी विदेश अध्ययन के लिए भेजा गया था। उनके लौटने पर नौकरी दिलाने की चूंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनकी रोजगार की स्थिति के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

योजना 1964–65 से नहीं चल रही है और इसके पुनर्विलोकन का प्रश्न नहीं उठता।

Non Gazetted incumbents in Education Ministry getting Special Pay

4494. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names, educational qualifications, date of appointment and seniority number of incumbents of five non-gazetted posts in his Ministry carrying special pay as also the posts on which they are confirmed ;

(b) the number of such incumbents out of them as are continuing on these beneficial posts for more than three years in the interest of effieient disposal of office work and whether there are no other efficcint employees to work on these posts in their place ; and

(c) Whether appointments to these posts have been made on the basis of incumbents' qualifications, and if so, the special qualifications of the incumbent of one of the posts working since 30th October, 1958 and the total amount received by him so far by way of overtime allowance and special pay since 30th October, 1958 ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) There areat present only two non-gazetted posts carrying special pay viz. of cashiers, which are held by the following two LDCS :

Names : 1. Shri Chela Ram Saxena.

2. Shri V. N. Chugh.

Educational Qualifications :

Matriculation in both the cases.

Seniority No. in the Seniority List of LDCs of the Ministry of Education as on 1-10-67—194 and 279 respectively.

Date of appointment as Cashiers—1-7-67 and 7-12-67 (A. N.) respectively.

Both are confirmed as LDCs.

(b) None.

(c) Does not arise.

Posting of Parliament Assistants During Non-Session Periods

4495: **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Parliament Assistants in his Ministry have no work except during Sessions of Parliamnt ;

(b) if so, whether it a proposed to post such Parliament Assisants, during non-session periods in other sections as is done in the Ministry of Law ; and

(c) if not, the reasons for giving full pay to them without getting full work in return ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Parliament Assistants in Ministries

4496. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in various Ministries of the Government of India and in the Council of Scientfic and Industrial Research, the Paliament Assistants have sufficient work only during Session periods ;

(b) if so, whether it is also a fact that there is no regular post of a Parliament Assistant in the Ministry of Law and that a competent Assistant is posted as Parliament Assistant during Session periods only.

(c) whether with a view to save money and labour, Government propose to abolish the regular post of Parliament Assistant in each Ministry any to post persons as Parliament Assistants during Session periods only ;

(d) if not, whether Government propose to issue instructions to the effect that during inter-session periods the Parliament Assistants should be posted to other sections ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (e) The general practice is for Ministries/Departments to earmark one of their Assistants for doing Parliamentary work and to designate him as Parliament Assistant. The person so designated continues to draw the pay and allowances otherwise admissible to him. For the duration of the Parliament Session, he also draws a special allowance in lieu of overtime allowance provided his pay is less than Rs.500 p.m. This special allowance is allowed as compensation for the strenuous duties involving additional hours of work during the Parliament Session. There is no special cadre of Parliament Assistants and the question of abolishing them or issuing further instructions does not arise.

Transfer of Parliament Assistant in The Ministry of Education

4497. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2238 on the 23d November, 1966 and state :

(a) whether a decision to transfer the Parliament Assistant working since 30th October, 1958 was taken by the Senior Staff Council of the erstwhile Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs.

(b) if so, when and the reasons for not implementing the same ; and

(c) whether a decision to transfer the aforesaid person was taken twice in the Education Ministry also ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. It was taken only once but it was later on revised.

भव्य होटल

4498 **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में विदेशी होटल व्यापारियों के सहयोग से भारत में भव्य होटल स्थापित करने के लिए भारतीय होटल व्यापारियों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने आ दन-पत्र स्वीकार किए गए; और

(ग) कितने आवेदन-पत्र अस्वीकार किए गए और किस आधार पर ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (ग) 1967–68 में ईस्ट इंडिया होटल्स कम्पनी लिमिटेड से शेराटन इंटरनेशनल इनकार्पोरेटेड, यू० एस० ए०, के सहयोग से बम्बई में एक लग्ज़री होटल बनाने के लिए एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) टाटाज़ तथा इंटरनेशनल के बीच सहयोग के एक प्रस्ताव का, जिसके बारे में आवेदन-पत्र पहले ही मिल चुका था, अगस्त, 1967 में अनुमोदन कर दिया गया था। तब से ईस्ट इंडिया होटल कम्पनी तथा शेराटन इंटरनेशनल के बीच सहयोग प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया जा चुका है। शिवसागर एस्टेट तथा हिल्टन्स के बीच सहयोग का भी प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ पड़ा है।

(ग) : सरकार द्वारा अभी तक कोई ऐसा सहयोग प्रस्ताव अंतिम रूप से अस्वीकृत नहीं किया गया है।

राज्य सरकारों के बीच सीमा विवाद

4499. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपनी सीमाओं से सम्बन्धित विभिन्न राज्य सरकारों के बीच कितने विवाद अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) क्या ऐसे विवादों को हल करने के लिए कोई सांविधिक व्यवस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) इस समय ऐसे चार विवाद हैं जो राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों के भाग वाले क्षत्रों के लिए दावा करने के कारण उत्पन्न हुए हैं। इन दावों में से तीन भाषाई तर्क पर आधारित हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद् ने जिसकी बैठक जून, 1968 में श्रीनगर में हुई, एक सुस्पष्ट आधार पर भाषाई सीमा विवाद को हल करने के लिए सम्पूर्ण देश पर लागू करने के लिये एक जैसे सामान्य सिद्धान्त बनाने तथा भारत सरकार द्वारा एक ऐसा तंत्र स्थापित किए जाने की सिफारिश की है जिसको भाषाई सीमा विवाद शीघ्र हल के लिए भेजे जा सकें। परिषद् की ये सिफारिशें परीक्षाधीन हैं। अतः ऐसे सीमा सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किए जाने वाले तंत्र के बारे में कोई संकेत देना सम्भव नहीं है।

केरल में नक्सलवादियों की गतिविधियाँ

4500. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री न० कृ० सौंजी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में साम्यवादियों के नक्सलवादी दल ने हाल में बड़े पैमाने पर हिंसात्मक गतिविधियाँ आरम्भ कर दी हैं और वे कानून और व्यवस्था भंग करने पर तुले हैं;

(ख) केन्रीय सरकार को ऐसे कितने मामलों का पता लगा है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को राज्यपाल तथा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से स्वतंत्र रूप में कोई जानकारी प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2691/68]

(ग) केन्द्रीय सरकार को राज्यपाल से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार को अपनी ऐजेन्सियों से सूचनाएँ मिली हैं।

दक्षिण भारत में नया साम्यवादी दल

4501. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री न० कु० सांधी :
श्री रा० रा० सिंह देव : श्री शशि भूषण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण में एक नया साम्यवादी दल बनाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस दल की विचारधारा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) दक्षिण भारत में एक तीसरा साम्यवादी दल बनने की कोई सूचना नहीं है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश में साम्यवादी क्रान्तिकारियों की एक समन्वय समिति स्थापित की गई है जिसके अधिकृत संयोजक श्री डी० नागी रेड्डी हैं। समन्वय समिति लोक प्रजातन्त्र की स्थापना के लिये वर्ग संघर्ष के क्रान्तिकारी मार्ग का अनुसरण करना चाहती है। उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

दिल्ली परिवहन बसों की दुर्घटनाएं

4502. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री म० ला० सोंधी :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री रा० बरुआ :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 23 नवम्बर, 1968 को दिल्ली परिवहन बसों की दुर्घटनाओं में 100 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली परिवहन बस की दुर्घटनाओं में अचानक वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जाँच कराई गई है;

(ग) क्या एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली परिवहन के 10 प्रतिशत से अधिक बस चालकों की नेत्र ज्योति खराब है जिसके कारण दुर्घटनायें होती हैं; और

(घ) इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई है?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) दिल्ली पुलिस के अनुसार, 62 व्यक्ति दुर्घटनाओं में घायल हुए। मामलों की जाँच हो रही है।

(ख): मई से अक्तूबर 1967 के 6 महीनों की अवधि में दिल्ली परिवहन बसों से 807 दुर्घटनायें हुई 1968 में उसी संगत अवधि में कुल दुघटनाओं की संख्या 1780 थी।

(ग) जी नहीं। संभवतया जिक्र अंधता निवारक के लिए राष्ट्रीय सोसाइटी के सर्वेक्षण से है। सोसाइटी ने बताया है कि सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है और अभी तक तैयार नहीं हुई है। सोसाइटी ने यह भी कहा है कि 2 नवम्बर 1968 के स्टेट्समैन में सोसाइटी के द्वारा किए गए दिल्ली परिवहन के ड्राइवरों के आँखों के जाँच के बारे में समाचार अनधिकृत रूप से प्रकाशित किया गया और उसमें सही आँकड़े नहीं हैं। रिपोर्ट के तैयार हो जाने पर सोसाइटी उसकी एक प्रति दिल्ली परिवहन को प्रस्तुत करेगी।

(घ) 23-11-68 को दिल्ली परिवहन के बस दुर्घटनाओं से अधिकरण को लगभग केवल 70 रुपए की हानि होने का अनुमान है।

अध्यापकों को वेतन क्रमों की मंजूरी

4503 **श्री हेमराज :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोठारी आयोग प्रतिवेदन के मिलने पर, केन्द्रीय सरकार ने अध्यापकों को वेतनक्रमों की मंजूरी देने के लिये, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कोई हिदायतें दी थीं;

(ख) यदि हाँ, तो वे हिदायतें क्या थीं और ये कौन-कौन से राज्यों तथा राज्य-क्षेत्र को दी गई थीं; और

(ग) क्या इन हिदायतों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) कोठारी आयोग की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को विचारार्थ तथा कार्यान्वित करने के लिए भेज दी गयी थीं। उनमें सम्मिलित विशिष्ट सिफारिशों के लिए अलग से कोई हिदायतें जारी नहीं की गयी थीं।

सतर्कता आयुक्तों का सम्मेलन

4504. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1968 में सतर्कता अयुक्तों का दिल्ली में एक चार दियवसी सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सम्मेलन ने सतर्कता मुख्याधिकारियों को अधिक ऊंचा स्तर प्रदान करने की सिफारिश की है;

(ग) सम्मेलन की क्या अन्य सिफारिशें हैं; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अय्यर आयोग

4505. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य में भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिए बिहार की संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अय्यर आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि उसमें कुछ केन्द्रीय मंत्रियों पर भी आरोप लगाए गए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अय्यर आयोग के गठन की अधिसूचना में किसी केन्द्रीय मंत्री का हवाला नहीं है। बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हाल ही में एक केन्द्रीय मंत्री का हवाला देने वाली

एक याचिका आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है; आयोग ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि क्या वह मामले में जाँच कर सकता है।

चोकी (सोराथ) में राष्ट्रीय रक्षा दल के लिए बंगलों का किराए पर लिए जाना

4506. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय दक्षता दल के प्रयोग के लिये, जिसका नाम बाद में राष्ट्रीय रक्षा दल कर दिया गया, जूनागढ़ जिले में चोकी (सोराथ) में गुजरात सरकार से कुछ शाही बंगले किराये पर लिये थे;

(ख) क्या यह सच है कि ये बंगले अब वहाँ पर रहने वाले राष्ट्रीय रक्षा दल के कर्मचारियों को एलाट कर दिए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि इन कर्मचारियों के पास गत दो वर्षों से कोई काम नहीं था, फिर भी बँगलों के रख-रखाव पर बहुत अधिक धन खर्च किया जा रहा है; और

(घ) उक्त कर्मचारियों का सेवाओं की उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) चोकी के महल को राष्ट्रीय स्वस्यता कोर कार्यक्रम के अधीन शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए पुनरसुस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु, गुजरात की राज्य सरकार से 20 मई, 1964 को एक रुपए मासिक के नाममात्र के किराए पर लिया गया था।

(ख) से (घ) सितम्बर, 1967 में प्रशिक्षण केन्द्र के बन्द हो जाने के फलस्वरूप कुछ स्टाफ को जिमें दो एन० डी० एस० प्रशिक्षक और दो चौकीदार शामिल हैं, गोदाम तथा उपस्कर को देखभाल के लिए चौकी पर तैनात किया गया है। वे महल के बाहरी-मकान में रह रहे हैं। सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, वल्लभ विद्यानगर और नजदीक के केन्द्रीय स्कूलों के गोदामों को सौंपने के लिए बातचीत चल रही है और गोदामों के खाली होते ही भवन को आवश्यक मरम्मत करने के बाद राज्य सरकार को दे दिया जाएगा। कर्मचारियों को दूसरी जगह तैनात कर दिया जाएगा। चोकी स्थित कमचारियों पर केवल उनके वेतन तथा भत्तों के रूप में खर्च होता है।

पोरबन्दर हवाई अड्डे का बन्द किया जाना

4507. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह: क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पोरबन्दर हवाई अड्डे को बन्द करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि महात्मा गाँधी का जन्म स्थान होने के कारण इस नगर में बहुत से विदेशी पर्यटक आ रहे हैं और तर्कहीन कारणों से हवाई अड्डे को बन्द रखना उचित नहीं है; और

(घ) क्या उन्हें मालूम है कि यह वर्ष गाँधी जन्म शताब्दी वर्ष होने के कारण हवाई अड्डों का नवीकरण करना तथा वहाँ पर अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का पूर्ण औचित्य है ताकि इस स्थान पर बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों को न्यूनतम सुविधायें प्राप्त हो सकें?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग)और(घ): पोरबन्दर का धावन-पथ डी सी–3 प्रकार के विमानों के लिये भी मुश्किल से ही उपयुक्त है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि इंडियन एयरलाइन्स डी सी– 3 को बदल कर उसके स्थान पर एच एस–748 ले रहे हैं, तथा पोरबन्दर के महत्व को भी ध्यान में रखते हुए, वहाँ के धावन-पथ का एच एस–748 विमानों की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस बीच, इस बात को दष्टि में रखते हुए कि गाँधी शताब्दी समारोह वर्ष (1969) के संबंध में यातायात को किसी प्रकार की बाधा न हो, मौजूदा धावन पथ एवं अच्छे मौसम की हवाई पट्टी की मरम्मत कर दी गयी है ताकि फिलहाल उन पर डी सी–3 विमानों का परिचालन जारी रहे।

केशोड और पोरबन्दर हवाई पट्टियों की मरम्मत

4508. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह**: क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केशोड और पोरबन्दर हवाई पट्टियों को बड़े पैमाने पर मरम्मत के लिए बहुत समय तक बन्द रखने के बाद हाल में यातायात के लिए पुनः चालू किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि मूल योजना के अनुसार उक्त हवाई पट्टियों पर मरम्मत के बाद 'एवरो' विमान चलाना था;

(ग) क्या यह भी सच है कि मरम्मत संतोषजनक नहीं हुई है, विशेष रूप से केशोड हवाई पट्टी पर; जिसके कारण 'एवरो' विमान चलाने की मूल योजना को स्थगित करना आवश्यक हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो हवाई पट्टियों की उक्त दशा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) केशोद और पोरबन्दर के हवाई अड्डे आवश्यक मरम्मत के लिए क्रमशः केवल $3\frac{1}{2}$ महीने और $1\frac{1}{2}$ महीने के लिए बन्द किए गए।

(ख) से (घ) केशोद और पोरबन्दर के मौजूदा धावनपथ केवल डी सी–3 विमानों के लिए उपयुक्त हैं, तथा इन परिचालनों को बनाये रखने के लिये इनकी समय-समय पर मरम्मत की जाती रही है। अब इस मार्ग पर डी सी–3 विमानों को बदल कर उनके स्थान पर

एच एस–748 विमानों को चालू करने की प्रायोजना को दृष्टि में रखते हुए नई अवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन धावनपथों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव पर विचार कया जा रहा है। इस बीच इन धावनपथों की मौजूदा डी सी–3 परिचालनों को बनाये रखने के लिए मरम्मत कर दी गई है। इंडियन एयरलाइन्स एच एस–748 विमानों को तभी चालू करने की स्थिति में होंगे जब उन्हें हिन्दुस्तान ऐयरोनोटिक्स लिमिटेड से अतिरिक्त विमान मिल जायेंगे, क्योंकि उनका एच एस–748 का मौजूदा विमान-बेड़ा दूसरे सेक्टरों में पूर्णरूप से व्यस्त है।

उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में दिनेशपुर के प्राथमिक स्कूलों में बंगला भाषा सीखने की सुविधा

4509. **श्री के० हाल्दर:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के बच्चों को जो दिनेशपुर, जिला नैनीताल में बस गए हैं, प्राथमिक स्कूलों में बंगला भाषा पढ़ने की सुविधा प्राप्त है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिए वहाँ कितने प्राथमिक स्कूल हैं; और

(ग) क्या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भी बंगला भाषा पढ़ाई जा रही है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

रत्नागिरि (उड़ीसा) में खुदाई का कार्य

4510. **श्री बसर बेहेरा:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में रत्नगिरि में आरम्भ किया गया खुदाई कार्य 1960 में पूरा हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थान पर खोद कर निकाली गई प्राचीन वस्तुओं का विस्तृत प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया जायेगा तथा कब तक सभा-पटल पर रखा जायेगा;

(ग) रत्नागिरि में एक संग्रहालय की स्थापना के सम्बन्ध में अबतक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इसके लिये कितना धन नियत किया गया है और इस कार्य के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी हाँ। पिछली बार 1960–61 में कार्य किया गया था।

(ख) खुदाई पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और यथा शीघ्र प्रकाशि कर दी जाएगी। कार्य के प्रत्येक समय (सीजन) की संक्षिप्त-रिपोर्ट (1957–58, 1958–59, 1959-60 और 1960–61) "भारतीय पुरातत्व-समीक्षा" में इन वर्षों के लिए प्रकाशित की गई हैं।

(ग) रत्नगिरि में एक संग्रहालय स्थापित करने के लिए स्थान का चुनाव कर लिया गया है और संग्रहालय भवन के निर्माण के लिए प्राक्कलन भी तैयार कर लिया गया है।

(घ) यह कार्य चौथी आयोजना के मसौदे में शामिल कर लिया गया है और आयोजना में इसके अन्तिम रूप से शामिल किए जाने तक इसके लिए कोई निश्चित रकम निर्धारित नहीं की गई है।

कोणार्क के मन्दिर से मूर्तियों आदि का हटाया जाना

4511. **श्री बेधर बेहेरा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक कोणार्क मन्दिर से मूर्तियों तथा अन्य वास्तुकला वस्तुओं के अनधिकृत रूप से हटाये जाने के कितने मामले हुए हैं;

(ख) भारतीय पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिये कोणार्क से कितनी मूर्तियाँ हटाई गई हैं और क्या वे सभी निकटस्थ संग्रहालय को वापस कर दी गई हैं अथवा उनके बारे में कोई अन्य कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने 30 अक्तूबर, 1968 को उन्हें कोणार्क मन्दिर में कोई ज्ञापन दिया था और यदि हाँ, तो उसमें उल्लिखित विभिन्न बातों पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) क्या कोणार्क में हाल में हुई चोरी के मामले की, जिसमें एक विदेशी सम्बन्धित था, सरकार को सूचना दी गई है और यदि हाँ, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) कोणार्क अहाते की दीवार के बाहर ढेर में से अस्थिर मूर्तियों को अनधिकृत रूप से हटाने के दो मामले स्वतन्त्रता के बाद रिकार्ड किए गए हैं।

(ख) भारतीय पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण द्वारा कुल 17 मूर्तियाँ हटाई गई थीं; जिनमें से 10 राष्ट्रीय संग्रहालय के पास हैं; तथा अन्यों को कोणार्क संग्रहालय को लौटा दिया गया है।

(ग) जी हाँ। ज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(घ) जी हाँ। मामले की पुलिस में रिपोर्ट की गई थी और मूर्ति भी मिल गई थी।

Due Recognition to Hindi Examinations

4512. **Shri Ram Singh Ayarwal** : : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the Sahityaratna, Vishard, Shastri and Acharya examinations and the Graduates from Hindi and Sanskrit Vidyapeeths and educational institutions conducting these examinations have been recognised as equivalent to gradudates from Modern Universities and, if so, why they face difficulties in securing Government jobs ; and

(b) whether it is a fact that the said Hindi examinations and graduates are not shown any consideration and whether Government propose to frame uniform rules in regard to Government service in the light of these faets ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) The position regarding recognition granted by the Government of India to Hindi and Sanskrit examinations conducted by Voluntary Organisations is indicated below :

Hindi Examinations : A number of Voluntary Hindi Organisations in different parts of the country have been conducting Hindi examinations for a long time. In order that candidates who pass these examinations become eligible for employment in Government service, wherin addition to basic educational qualifications Hindi qualifications have also been prescribed, the Government have granted recognition to various examinations according to their academic standards. This recognition has, however, been accorded only in regard to the standard of Hindi prescribed in the equivalent Hindi examination and is not to be treated as equivalent to the full-fledged certificate or degree of the examination to which it has been equated. Since these Hindi examinations have not been recognised as equivalent to full-fledged certificates or degrees of the examination to which they have been equated, a person who has merely passed these examinations does not automatically become eligible for Government employment unless he possesses in addition the basic educational qualifications prescribed for the post.

Sanskrit Examinations : As regards tradititional type of Sanskrit examinations, the Ministry of Education has accorded an interim equivalence to the examinations conducted by the various examining bodies for purpose of employment of Sanskrit Teachers. In the meanwhile, the Ministry has drawn up a scheme for reorganising Sanskrit education so as to bring about uniformity in the standard nomenclature and duration of such courses all over the country. It is only after all the examining bodies fall in line with the scheme of Reorganisation of Sanskrit Education that it would be possible to take up the question of giving overall equivalence to such examinations.

चंडीगढ़ में नियुक्त अधिकारियों का संवर्ग

4513. **श्रीमती निर्लेप कौर**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में नियुक्त गृह–सचिव, उप-आयुक्त और पुलिस सुपरिन्टेंडेंट किस राज्य के संवर्ग के हैं; और

(ख) ये अधिकारी कब से वहाँ पर नियुक्त हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में नियुक्त गृह-सचिव तथा उप-आयुक्त हरियाणा राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक संघ राज्य क्षेत्रों के भारतीय पुलिस सेवा के हैं।

(ख) 1–11–1966।

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की राजस्थान में घुसपैठ

4514. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी राष्ट्रिक सीमा पार करके राजस्थान में घुस आये हैं और उन्होंने अकाल-ग्रस्त लोगों द्वारा छोड़े गए मकानों पर कब्जा कर लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से कई व्यक्तियों ने सहायता-कार्य में काम करना भी आरम्भ कर दिया है जो अकालग्रस्त लोगों के लिये आरम्भ किए गए थे; और

(ग) यदि हाँ, तो पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को देश से बाहर निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कलकत्ता में हुए मैकनमारा-विरोधी प्रदर्शनों के बारे में जाँच

4515. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता में मैकनमारा-विरोधी हुए प्रदर्शनों के सम्बन्ध में जाँच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या निकले?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) ऐसी कोई जाँच नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ और अमृतसर में विद्यार्थियों द्वारा दंगे

4516. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर के प्रथम सप्ताह में वाराणासी, इलाहाबाद, लखनऊ और अमृतसर में विद्यार्थियों द्वारा हिंसात्मक दंगों के मूल कारणों का पता लगाने के लिये कोई जाँच की जा रही है;

(ख) क्या इस गड़बड़ में किन्हीं राजनैतिक दलों का हाथ था; और

(ग) यदि हाँ, तो विश्वविद्यालयों में शान्ति बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) भारत सरकार का विचार किसी प्रकार की जांच करने के लिये इन सभी विश्वविद्यालयों को शामिल करने का नहीं है। किन्तु, संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग

4517. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके प्रस्तावित कृत्य क्या हैं?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (डा० वि० के० आर० वि० राव) : (क) मोटरगाड़ी अधिनियम के 63 (क) धारा के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग का गठन किया गया है और यह पिछले 10 वर्ष से कार्य कर रहा है।

(ख) अधिनियम के 63 (क) (2) धारा के अन्तर्गत आयोग को सारे या निम्नलिखित कार्यों में से वे कार्य जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने सरकारी राजपत्र में अभिसूचना से करने का अधिकार दिया हो, एक अन्तर्राज्यीय इलाके में करने पड़ते हैं,

(क) एक अन्तर्राज्यीय इलाके में परिवहन गाड़ियों के परिचालन के लिये विकास, समन्वय या नियतन के लिये योजनाओं को तैयार करना।

(ख) एक अन्तर्राज्यीय इलाके में परिवहन गाड़ियों के परिचालन के विकास, समन्वय या नियतन के संबंध में मतभेद वाले मामले का निर्णय करना तथा झगड़ों का निपटारा करना।

(ग) उन राज्य परिवहन प्राधिकारियों या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को आदेश जारी करना जो अनुदान, प्रतिसंहरण तथा परमिटों के निलंबन में और दो या अधिक राज्यों में उभयनिष्ट क्षेत्र या रास्ता के लिए परिवहन गाड़ियों के परिचालन के लिये प्रतिहस्ताक्षर के लिए दिलचस्पी हो।

(घ) केन्द्रीय सरकार से निर्देशित दो या अधिक राज्यों में उभयनिष्ट क्षेत्र व ऐसे रास्ते के लिये जिन पर परिवहन गाड़ियों के परिचालन के लिये परमिट देना, रद्द करना या निलम्बन करना या प्रतिहस्ताक्षर करना।

(ङ) दूसरे ऐसे कार्य करना जिन्हें केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे। उपर्युक्त खंड (क), (ख), (ग) और (ङ) के अन्तर्गत आयोग अभी तक सत्ता दी गई है। खंड (घ) के अन्तर्गत निर्देशित अन्तर्राज्यीय रास्तों के लिये परमिटों को निलंबन करना तथा ऐसे परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के संबंध में आयोग को सत्ता को प्रत्यायुक्त करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

भारत में हुए साम्प्रदायिक दंगों में विदेशों का हाथ

4518. **श्री म० ला० सोंधी**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगों में कुछ विदेशों का हाथ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाना और पाकिस्तानी झण्डे का प्रदर्शन इन दंगों की कुछ विशेषताओं में से है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कायवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं। तथा सदन के सभा-पटल पर रख दिए जायेंगे ।

हिन्दी भाषी लोग

4519. **श्री म० ला० सोंधी**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक प्रगति संस्थान, दिल्ली के एक प्रोफेसर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि दस वर्षों में (1951 से 1961 तक) हिन्दी भाषी लोगों की संख्या 30 प्रतिशत से घट कर 27.5 प्रतिशत रह गई है;

(ख) क्या सरकार उक्त प्रोफेसर द्वारा दिए आकड़ों से सहमत है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) यह सच है कि 1951–1961 के बीच कुल जनसंख्या में हिन्दी भाषियों का प्रतिशत कम हो गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में चालू गुप्त ट्रांसमीटर

4520. **श्री म० ला० सोधी:** **श्री हेम बरुआ :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुप्त ट्रांसमीटरों द्वारा हैदराबाद से रावलपिंडी को समाचारों का प्रसारण किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि हैदराबाद से रावलपिंडी को समाचारों के प्रसारण के लिए गुप्त ट्रांसमीटरों की मौजूदगी ध्यान में नहीं आई है। इस मामले में सरकार कड़ी निगरानी रख रही है।

प्रमुख साहित्यकारों को वित्तीय सहायता

4521. **श्री वि० ना० शास्त्री:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख साहित्यकारों को वित्तीय सहायता देने की योजना तैयार कर ली गई है और उसे लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना के अन्तर्गत अब तक राज्यवार कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) प्रमुख साहित्यकारों को सहायता देने जैसी इस मंत्रालय की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि "कला, साहित्य तथा ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए अभावग्रस्त विख्यात व्यक्तियों को वित्तीय सहायता" की योजना है जिसमें साहित्यकार भी सम्मिलित हैं। संस्कृत विद्वान इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं क्योंकि इस मंत्रालय की एक अन्य योजना है जिसके अन्तर्गत संस्कृत पण्डितों/विद्वानों को अनुदान दिए जाते हैं। राज्यवार सूचना एकत्र करने में समय लगेगा, जिसे प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

गोहाटी में विमान यात्रियों के लिये सुविधायें

4522. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि गोहाटी में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के नगर में स्थित कार्यालय तथा हवाई अड्डे पर मंत्रियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वे बिल्कुल अपर्याप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय में अतिरिक्त स्थान, जल-पान-गृह, पीने का पानी तथा छतदार प्लेटफार्म पर सामान की शीघ्र निकासी जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के हेतु तुरन्त कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डॉ० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने अभी हाल ही में अपने सिटी बुकिंग आफिस का नवीकरण किया है, और यात्रियों के लिए एक कक्ष (लौंज) की व्यवस्था करने की भी योजना है। जैसे ही ये योजनाएं तैयार हो जाती हैं, बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो, इनको क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूहों में नौवहन की सुविधायें

4523. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूहों में बन्दरगाह और नौवहन सुविधाओं का विकास करने का है, और

(ख) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वि० के० आर० वि० राव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने मई, 1967 में लक्कादिव, मिनिकाय और अमिनदिवि दीपों में बन्दरगाह और नौचालन की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक करोड़ रुपये की एक योजना मंजूर की थी। जिन निर्माण कार्यों को 1972 तक पूरा करने की योजना थी उनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(1) कालापानी, मिनिकाय, कवरत्ती, अगात्ती चेटिआत, किल्टन, अमिनी, कादमत और अंद्रोथ में सर्वेक्षण करना और जलीय चार्ट बनाना,

(2) जेट्टियों का निर्माण और कवरत्ती, मिनिकाय और अमिनी द्वीपों में वीकन और बोया की व्यवस्था करना,

(3) मिनिकाय, कवरत्ती और अमिनि द्वीपों में नौचालन योग्य जलमार्गों का निकर्षण,

(4) कवरत्ती द्वीप में संसर्पिका सुविधाओं का निमाण,

(5) निकर्षण तथा निर्माणिकार्यों के लिए आवश्यक निकर्षण उपस्कर, औजार और संयमों का भिग्रहण ।

तूफान के कारण उड़ीसा में राजपथों को हुई क्षति

4524. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तूफान के कारण राष्ट्रीय राजपथों को हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये एक केन्द्रीय दल वहां गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दल के अनुमान का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता की सिफारिश की गई है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) दल ने अनुमान लगाया है कि राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को अपने बाढ़ के पूर्व के स्तर पर लाने के लिये 5 लाख रुपये के व्यय की आवश्यकता होगी । कुछ अतिरिक्त कार्यों जैसे बचाव कार्य, पुल कार्यों के लम्बाई की वृद्धि को मिला कर भविष्य के बाढ़ बचाने के लिये अनुमानित लागत लगभग 52.70 लाख रुपये तक बढ़ जायेगी ।

(ग) चालू वर्ष में राज्य सरकार को 40 लाख रुपये की राशि व्यय करने के लिये दी गई, शेष की व्यवस्था 1969-70 के बजट अनुमान में किया जायेगा और अवश्यक धन राज्य सरकार को उचित समय पर दिया जायेगा ।

लखनऊ में पुलिस तथा विद्यार्थियों के बीच मुठभेड़

4525. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 नवम्बर 1968 को लखनऊ में विद्यार्थियों तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति घायल हुए और मारे गये ;

(ग) मुठभेड़ के क्या कारण थे और यह कितनी देर तक होती रही ; और

(घ) राज्य में शान्ति बनाये रखने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 26 नवम्बर, 1968 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के आधीन लागू निषेधाज्ञा के होते हुए भी लखनऊ विश्वविद्यालय के लगभग 2,000 विद्यार्थियों ने एक जलूस निकाला और वे हजरतगंज होते हुए राजभवन पहुँचना चाहते थे । जलूस के रवाना होने से पूर्व कुछ विद्यार्थी नेताओं ने घोषणा की थी कि हजरतगंज से गुजरते समय दुकानों के अंग्रेजी के नाम-पट्ट नष्ट कर दिये जायेंगे । इसे ध्यान में रखते हुए जिला

अधिकारियों ने गोमती के पुल पर जलूस को रोका । दो विद्यार्थी, जिन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लघंन कर आगे बढ़ने के लिये अपना निश्चिय व्यक्त किया, गिरफ्तार कर लिये गये । इसके बाद जलूस के अन्य व्यक्तियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों पर, जिन्होंने अपने बचाव का तथा विद्यार्थियों के खदेड़ने का भी प्रयास किया, पथराव करना शुरू कर दिया । पथराव लगभग चार घंटे तक जारी रहा जिसके दौरान पुलिस के एक उप-अधीक्षक, एक उप-निरीक्षक, नौ हैड-कांस्टेबल और 44 कांस्टेबल घायल हुए । उन विद्यार्थियों की संख्या जो घायल हुए होंगे, ज्ञात नहीं है क्योंकि उनमें से कोई भी किसी अस्पताल में इलाज के लिये नहीं गया ।

(घ) जब कभी शान्ति भंग होने की आशंका होती है आवश्यक निरोधक कार्यवाही की जाती है ।

दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों का जाल

4526. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों के एक जाल का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ग) उनसे बरामद हुए दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या कुछ और व्यक्तियों को गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) देश की और विशेषकर प्रतिरक्षा संबंधी गुप्त बातों की सुरक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ख) कथित जासूसी के सम्बन्ध में हाल में दिल्ली में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं।

(ग) चूंकि मामले न्यायाधीन हैं या परीक्षाधीन हैं अतः दस्तावेजों का ब्यौरा प्रगट करना लोक-हित में न होगा ।

(घ) और (ङ) जासूसों की गतिविधियों को रोकने और देश की सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा संबंधी गुप्त बातों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है ।

राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये हीरे के नैकलेस का क्रय

4527. **महन्त दिग्विजय नाथ** : **श्री शिवचन्द्र झा** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है कि उस हीरे के नैकलस को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखने के लिए खरीदा जाए जो कहा जाता है कि फ्रांस की रानी मेरी एन्टियोनेट की सम्पत्ति थी तथा स्वर्गीय महाराजा दरभंगा के जवाहरातों में पाया गया था और जिसका अब नीलाम किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में केन्द्रीय स्कूलों में हिन्दी माध्यम

4528. श्री ई० के० नायर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केरल राज्य में केन्द्रीय स्कूलों में हिन्दी को अनिवार्य माध्यम बना दिया है ;

(ख) क्या इस मामले पर केरल के शिक्षा मंत्री ने उन्हें कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) I से VI तक की कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए सभी केन्द्रीय स्कूलों में, जिनमें केरल राज्य के स्कूल भी शामिल हैं, हिन्दी माध्यम लागू कर दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) केरल के शिक्षा मंत्री से प्राप्त पत्र पर विचार किया जा रहा है।

चंडीगढ़ सचिवालय में काम कर रहे प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारण के लिये नियम

4529. श्रीमती निर्लेप कौर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्यों से नियुक्त किये गये अथवा तबादले पर या प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों की वरिष्ठता निश्चित करने के लिये कोई नियम तथा विनियम बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये नियम तथा विनियम चण्डीगढ़ सचिवालय में नियुक्त किये गये व्यक्तियों पर लागू होते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने उन व्यक्तियों सहित जो केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों से या केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के अन्य विभागों से केन्द्रीय सेवाओं में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किये हैं। तथापि ये सिद्धांत उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होते जो अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। चंडीगढ़ सचिवालय में पंजाब और हरियाणा से प्रतिनियुक्त व्यक्तियों पर ये सिद्धान्त लागू नहीं होते।

पंजाब सचिवालय प्रशासन के अधिकारियों के लिये नियम

4530. श्रीमती निर्लेप कौर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सचिवालय प्रशासन के अधिकारियों की वरिष्ठता निश्चित करने तथा उन्हें पदोन्नति देने के लिये उन पर कुछ नियम तथा विनियम लागू होते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार यह सुनिश्चत करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि सभी पदोन्नतियां इत्यादि नियमों तथा विनियमों के अनुसार की जायें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पंजाब सरकार से सूचना मंगाई है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Dacoities and Murders in Allahabad District (U. P.)

4531. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of dacoities and murders committed in Allahabad District between April 1968 and November 1968, separately, the number separatcly of those murders which were committed in broad day light, those committed at night and also of those committed treacherously ;

(b) the number of cases, out of the aforesaid dacoities and murders, which have been traced and in which guilty persons have been arrested and also of such cases as have not so far been traced and in which no arrests have so far been made ; and

(c) the concrete steps taken to prevent such criminal acts in Allahabad District ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The information is being obtained from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

दिल्ली के उच्चत्तर माध्यमिक विज्ञान के छात्रों के लिए वनस्पति-विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक

4532. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (विज्ञान) के लिये श्री ए० सी० दत्त द्वारा लिखित्त "ए टेक्स्ट बुक आफ बाटनी" निश्चित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पाठ्य-पुस्तक बाजार में सरलता से उपलब्ध है और क्या यह पुस्तक सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध की गई है ; और

(ग) यदि उपलब्ध नहीं है तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

जहाजों के निर्माण के लिये सहायता

4533. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने यूगोस्लाविया से जहाजों के निर्माण के लिए और सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को यूगोस्लाविया से अब तक क्या सहायता मिली है;

(ग) जहाजों को अग्रेतर निर्माण करने के लिए सरकार ने क्या सहायता मांगी है;

(घ) क्या यूगोस्लाविया सरकार ने मांगी गई सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) क्या किसी अन्य देश से भी ऐसी सहायता मांगी गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वि० के० आर० वि० राव) : (क) और (ख) पूंजीगत माल, उपकरण और जहाजों के आयात के लिये दी योगोस्लेविया ऋण में से 71.25 करोड़ रुपये की रकम यूगोस्लाविया के शिपयार्ड से जहाजों का ठेका देने के लिये इस्तेमाल कर लिया गया है ।

(ग) और (घ) योगोस्लाविया में जहाजों के अग्रेतर निर्माण के लिये कोई ऋण नहीं मांगा गया है ।

(ङ) पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, पौलेंड, रूमानियां, यू० एस० एस० आर०, डेनमार्क, यू० के० और जापान से जहाजों को प्राप्त करने के लिये सहायता मांगी गई है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवा संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2070 में प्रकाशित हुए।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 30 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2071 में प्रकाशित हुए ।

(तीन) अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2135 में प्रकाशित हुए ।

(चार) भारतीय असैनिक सिविल सेवा भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2136 में प्रकाशित हुए ।

(पांच) भारतीय सिविल सेवा (गैर यूरीपीय सदस्य) भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2137 में प्रकाशित हुए ।

(छः) सैक्रेटरी आफ स्टेट्स की सेवाएं (केन्द्रीय भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2138 में प्रकाशित हुए ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 2676/68]

(2) (एक) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 20 फरवरी, 1968 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) से साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अन्तर्गत दिनांक 10 सितम्बर 1968 की पश्चिमी बंगाल अधिसूचना संख्या 3291-एक (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल लोक सेवा आयोग (राज्यपाल द्वारा परामर्श) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखये संख्या एल० टी० 2677/68]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (बिहार)

SUPPLENTARY DEMANDS FOR GRANTS (BIHAR)

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

मैं वर्ष 1968-69 के लिये बिहार राज्य सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उपस्थापित करता हूँ ।

सुस्ता वन क्षेत्र के बारे में भारत में नेपाल के राजदूत के कथित वक्तव्य के विषय में वक्तव्य

STATEMENT ABOUT THE REPORTED STATEMENT BY THE NEPALESE AMBASSADOR IN INDIA REGARDING SUSTA FOREST AREA

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नियम 377 के अन्तर्गत अपनी सूचना में नेपाल के राजदूत द्वारा दिये गये इस कथित वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया है कि सुस्ता वनक्षेत्र में लगभग 2,000 बीघा भूमि विवाद-ग्रस्त है और इसका नेपाल तथा भारत दोनों देशों के एक संयुक्त सर्वेक्षण दल

द्वारा सीमांकन किया जाना चाहिए । माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है दि राजदूत द्वारा कही गई बात तथा मेरे द्वारा 11 दिसम्बर 1968 को इस सभा में कही गई बात परस्पर विरोधी हैं ।

इस मामले के बारे में स्पष्टीकरण करने के लिये विदेश सचिव ने नेपाल के राजदूत से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है । राजदूत ने बताया था कि उन्होंने केवल मौखिक रूप में कहा था न कि प्रैस को लिखित वक्तव्य दिया था । राजदूत द्वारा कही गयी बात विभिन्न समाचार-पत्रों में रूपों में प्रकाशित हुई है । श्री वाजपेयी द्वारा उठाये गये प्रश्न विशेष के के बारे में राजदूत ने कहा है कि उन्होंने यह नहीं कहा था कि 2,000 बीघा भूमि विवादास्पद है ।

अतः यह सभा के सामने स्पष्ट है कि इस विषय में मेरा वक्तव्य तथा राजदूत द्वारा कही गई बात परस्पर विरोधी नहीं हैं ।

Shri Madhu Limaye (**Monghyr**): Mr. Deputy Speaker, I wanted to raise this matter under Rule 115 but could not do so as I had to go to Supreme Court yesterday. Therefore I requested the hon. Member Shri Vajpyee to raise this matter. I would like to know about the truth of the news published in the Indian Express yesterday.

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला कल उठाया गया था । मैं समझता हूँ कि उनके उत्तर में सभी बातें आ गई हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I am not raising any point of order. The Nepalese Ambassador had stated in his statement that Nepal has administrative control on this area but the Deputy Minister did not make any mention of it in his statment. I beg to submit that the statement made by the Deputy Minister is incomplete. All points raised by me were not answered.

श्री हेम बरुआ (मंगल दायी) : उप मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह बात स्पष्ट हो गई है कि नेपाल के राजदूत का वक्तव्य समाचार-पत्रों में सही रूप में नहीं छपा है। क्या नेपाल के राजदूत ने समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचार का खंडन किया है अथवा मंत्री महोदय नेपाल के राजदूत के प्रकाशित वक्तव्य को ठीक करेंगे ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना में अतिक्रमण का मामला नहीं उठाया गया था । इसीलिये इसके बारे में मेरे वक्तव्य में नहीं कहा गया है। किन्तु मैंने अपने परसों के वक्तव्य में स्पष्ट कहा था कि नेपाल का कहना है कि यह चार नेपाली नेपाल में गिरफ्तार किये गये थे किन्तु हमारा कहना है कि वे भारतीय क्षेत्र में घुस आये थे ।

Shri Madhu Limaye : That is my point and now I beg to submit that my notice under 115 may be admitted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रशासानिक नियंत्रण का मामला कल उठाया गया था ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है। मामला केवल यह है कि नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि ये व्यक्ति नेपाली क्षेत्र में पकड़े गये थे ।

———

कार्य-मन्त्रणा समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE ; TWENTY-SEVENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के सताइसवें प्रतिवेदन से जो 12 दिसम्बर, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं मद 5 के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गई सिफारिश के बारे में कहना चाहता हूं । समिति ने इसमें कहा है कि योजना पर चर्चा इस सत्र में स्थगित की जाये । मैंने पहले इस मामले पर अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था कि इस पर इसी सत्र में चर्चा होनी चाहिये । प्रधान मन्त्री से परामर्श करके अध्यक्ष महोदय ने इस पर 19 दिसम्बर, 1968 को चर्चा करना मान लिया था किन्तु अब उसे स्थगित किया जा रहा है जो अनुचित है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Deputy Speaker, tomorrow the matter regarding the teachers' strike in Uttar Pradesh is to be taken for discussion and we are receiving telephonic massages that the talks between the teachers of Uttar Pradesh and the Governor have failed. I therefore request you that the hon. Minister may supply us full information about it.

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय किया गया है कि चर्चा के समय माननीय सदस्य को पूरी जानकारी दी जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमें लखनऊ से समाचार मिला है कि उत्तर प्रदेश में 7700 अध्यापक गिरफ्तार किये गये हैं । अध्यापक संस्था ने प्रधान मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की है । यदि प्रधान मंत्री इस बारे में वक्तव्य दे दें तो समस्या हल हो सकती है क्योंकि राज्यपाल इस मामले में बिल्कुल असफल रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : लखनऊ में बातचीत भंग हो जाने के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब इस विषय पर चर्चा के लिये समय निर्धारित कर दिया गया है, तो स्थगन प्रस्ताव आवश्यक नहीं है ।

Shri Ram Sewak Yadav : 7-8 thousand teachers have been arrested in Lucknow and the talks have failed. I, therfore, beg to submit that we should be given full information about it

Shri George Fernandes (Bombay South) : We are more interested in solving this issue immediately than that to have discussion on it.

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं माननीय सदस्य श्री पाटोदिया के विचार से पूरी तरह सहमत हूँ कि योजना के बारे में इसी सत्र में चर्चा की जाये ।

प्रधान मंत्री ने अपनी विदेश यात्रा के सम्बन्ध में अनेक बार वक्तव्य दिये । किन्तु हम चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में इस सभा में पूरी चर्चा की जानी चाहिये क्योंकि

पिछले कुछ समय में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं। यदि इस पर चर्चा के लिये सभा को 21 दिसम्बर को भी बैठना पड़े तो भी हम तैयार हैं क्योंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और इसे और स्थगित करना उचित नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) Mr. Depupty Speaker, while introducing the Company Donation Bill during the last session it was stated that that would be discussed in this session.....

Shri Sheo Narain (Basti) Sir, I have been standing before the hon. Member stood but I am unable to catch the eye of the Chair. Therefore. I request you first to hear me. The cause of the teacher is genuine, therfore I request the Prime Minister to intervene in the matter. The arrested teachers should be released.

Shri Kanwar Lal Gupta : In spite of the assurance given to take the Company Donatian Bill for discussion during the current session it is not being taken up. It is a very important Bill. May I know whether a difference of opinion was not in the Congress Working Committee that the Congess cannot contest election without receiving donation from Companies ?

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यकारणी तथा अन्य मामले सभा के सामने चर्चाधीन नहीं हैं। मंत्री महोदय केवल विधेयक के बारे में उत्तर देंगे।

डा० राम सुभग सिंह : उनके नेता कार्य मंत्रणा समिति में उपस्थित थे। हमने तो फैसला कार्य मंत्रणा समिति पर छोड़ दिया था। यह समिति के सामने रखा गया और कल शाम निर्णय की घोषणा की गई जिसका सभा द्वारा अनुमोदन किया जाना है। यह एकमत निर्णय है।

Shri Sheo Narain has stated the position regarding the students and teachers movement. Shri Banerjee and Shri Yadav also asked about it. Shri Bhagwat Jha Azad had a talk with the Governor. As Shri Sheo Narain stated the students have withdrawn their agitation on the appeal of the Prime Minister. We hope that the teachers agitation will also be withdrawn and there will be discussion on them here.

Shri Kanwar Lal Gupta They are delaying the Donations Bill deliberately. It is an insult to the House.

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी टप्पणी करना वहाँ पर उपस्थित नेताओं के प्रति भारी अन्याय है। माननीय सदस्य के दल के नेता भी वहाँ थे।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) कार्य मंत्रणा समिति ने शुक्रवार तक के कार्य के बारे में निर्णय किया है। क्या शनिवार तक सदन की बैठक बढ़ाना सरकार के लिए संभव नहीं है। तब आयोजना तथा विदेशी नीति दोनों पर चर्चा की जा सकती है।

डा० राम सुभग सिंह : 21 तारीख को त्योहार है। इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते।

श्री हो० ना० मुकर्जी : कार्य - मंत्रणा समिति का काम तो जन मदों के लिये समय नियत करना है जो सरकार द्वारा उसके सामने रखे जाते हैं। सरकार ने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया है जो पिछले शुक्रवार को ही दिया गया था। इसलिये हम सरकार से जानना चाहते हैं कि वह बार-बार आश्वासन दिये जाने के बाद भी राजनैतिक चन्दा विधेयक को क्यों नहीं ला रही है ? हमें बताया गया है कि कार्य मंत्रणा समिति में हमारे प्रतिनिधि इसके लिये सहमत हो गये थे। वे किस चीज के लिये सहमत हुए थे ? वे उन मदों के लिए समय से नियतन के लिये राजी हुए थे जो सरकार द्वारा समिति के समक्ष रखे गये थे। क्या कारण है जो सरकार इस विधेयक पर चर्चा से इतना कतराती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मुकर्जी से सहमत नहीं हो सकता। अन्तिम सप्ताह होने के कारण हमें प्राथमिकताएँ निर्धारित करनी थीं। डा० राम सुभग सिंह ने इस विषय को भी वहाँ रखा था परन्तु समय के अभाव के कारण उसे अगले सत्र के लिए स्थागित करना पड़ा। वहाँ पर एकमत से निर्णय लिया गया था।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : You have used the word unanimous. The Business Advisory Committee has no control over the business to be brought before it. Otherwise we would not have agreed to take up the Essential Services Maintenance Bill and would have suggested the taking up of the Donations Bill first. But Government were adamant to take up the Essential Services Maintenance Bill and we had to bow to their wishes.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : We wanted that the Donations Bill also should be allotted time. But because of the urgency of Government business, we had to agree to its postponement. Moreover donations had already been collected so we thought that it could be taken up later.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I am a member of the Business Advisory Committee. Our first suggestion was to postpone the Essential Services Maintenance Bill for the time being and instead time should be found for the Donations Bill. Our second suggestion was that we can sit on the 21st for disposing of this Bill. But it was said that it would remain pending in the Rajya Sabha as that session of Rajya Sabha also was going to a djourn soon, so donations would have already been collected by that time.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 27 वें प्रतिवेदन से, जो 12 दिसम्बर, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था , सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : हम लोग तो यह देख रहे हैं कि जो सदस्य यहाँ पर चुप रहे, सभ्यता से व्यवहार करे, उसको मौका नहीं दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने के भी तरीके होते हैं। यदि श्री मधु लिमये बोलना नहीं चाहते तो मैं अगले कार्य को लूं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मेरा निवेदन है कि सत्र समाप्त होने जा रहा है । इसलिये हम चाहते हैं कि आर्थिक विषयों के लिये भी कुछ समय नियत किया जाये । भविष्य में इस बात का अवश्य ही ध्यान रखा जाना चाहिये ।

नियम 377 के अन्तर्गत विषय

MATTER UNDER RULE 377

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The issue I am raising invokes 5-6 important questions. Government have made announcements in regard to foreign investment and foreign collaboration. When the House being in session should have been apprised of it first of all, there could have been discussion on it and the members would have given their suggestions.

The hon. Minister can say that no policy matters were involved in that statement and it was only a procedural matter. But I want to place certain facts before the House in this connection.

The first point is that it certainly involves question of policy. Secondly, there is the question of delegation of powers as well. In accordance with your ruling the question of delegation of power has been referred to the Committee. I have not come after studying all the laws, so I cannot say what points are involved in it. But the first sentence of the statement says :

"The Government has agreed to the delegation of powers to the Foreign Investment Board."

The hon. Minister should tell us under whats laws the Board is being given these powers.

Not only that. There would a Sub-committee of the Foreign Investment Board. Cases of upto Rs 2 crores of investment will come up before the Board and upto Rs. 1 crore before the Sub-committee.

Two lists have also been prepared—one of industries wherein there is scope for foreign investment and foreign collaboration and the other of industries with no scope of foreign investment as well as foreign collaboration. The latter list makes no mention of three industries—biscuit, icecream and brassiers. These industries do not need foregin collaboration.

I would requst the hon. Minister to explain these things and assure us that they would be careful in the matter of granting permission for foreign collaboration and include these and other allied industries in the list.

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : I have come just now as I was tied up in the other House. Therefore, I shall reply to morrow.

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjoumed for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five Minutes Past Fourteen of the Clock

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumala Rao in the Chair]

आवायकी सेवाएं बनाये रखने के अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प तथा आवश्यक सेवाएं बनाये रखने का विधेयक—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE : ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ORDINANCE AND ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILL—CONTD.

श्री सेझियान : पहले यह बताया जाये कि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का निर्णय क्या है। क्योंकि यह आश्वासन दिया गया था कि यह मामला अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति को सौंपा जायेगा और उसके विचार सभा के सामने रखे जायेंगे।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : समिति की बैठक आज 10 बजे हुई थी और ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुमोदन के लिये एक और बैठक 5 बजे होगी। समिति का प्रतिवेदन कल तक सभा में उपलब्ध कर दिया जायेगा। चूंकि उपाध्यक्ष महोदय ने फैसला किया था कि समिति के प्रतिवेदन के आने तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है, हम इस विधेयक पर विचार कर सकते हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : The statutory Resolution moved by Shri Kothari is not justified in the context that the ordinance has now ceased to operate because the hon. Minister has moved a Bill to give it a legal shape. He was also stated that he does not feel pleased with the introduction of this Bill but circumstances have compelled the Government to take this step.

Before I say somthing about the Bill I want to make a submission. Government should take a liberal attitude towards all those employees who went on strike, or were sent to jails, and suspended or dismissed from service.

In 1960 Government did not consider it justified to give the ordinance, then promulgated, a legal shape as they thought that such strikes would not take place in future.

The reason why legal shape was not given to the strikes previously was that Government hoped that the same will not be repeated again and now legal shape is being given to them because no Government of any country can tolerate a state of affairs in which its own employees break law and order and create chaos in the country. This is is the reason why Government has introduced a Bill in the House.

Moreover this Bill has been brought for five years only. If Government finds that no strikes take place during this period and there is no need of this law then they will not extend its period.

It has been said that the strike of 19th September was merely a token strike. But I feel that it was not so. I feel that had their demands been not accepted they might have gone on strike for indefinite period.

The responsibility of Government is not for 26 lakh Central Government employees only but for lakhs of such persons also who are labourers, farmers etc. and who have not formed their unions and thus cannot convey their demands. Government has to pay attention to them also. I think that keeping in view these things Government has brought this Bill in this House.

With these words I support this Bill and request the Government to be lenient for those employees who had gone on strike because it was not their fault but the fault was of those leaders who had excited them.

श्री उमा नाथ (पुदुकोटै) : इस विधेयक को प्रस्तुत करके सरकार इस सदन और जनता को धोखा दे रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस विधेयक को समर्थनकारी विधेयक या गृह-मन्त्री के शब्दों के अनुसार अनुज्ञात्मक विधेयक कहा गया है। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ऐसा कोई भी अनुज्ञात्मक विधेयक इस सदन को दिखा सकती है जिसका बाद में स्थायी विधेयक के रूप में प्रयोग न किया गया हो। लगभग ऐसे सभी विधेयकों को जिनमें लोगों के अधिकारों को ठेस पहुँचती थी स्थायी बना दिया गया है। केवल उन्हीं विधेयकों को स्थायी नहीं बनाया गया है जो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों से सम्बन्धित थे।

दूसरी बात यह है कि चाहे यह जो कहा गया है कि यह विधेयक केवल पांच वर्षों के लिये है परन्तु हम देखते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम को भी पहले तीन वर्षों के लिये ही लागू किया था परन्तु अब उसे स्थायी बना दिया गया है।

तीसरी बात यह है कि देश में ऐसी धारणा पैदा की जा रही है कि इस विधेयक को केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की स्वतंत्रता सीमित करने के लिये ही लाया जा रहा है। परन्तु खण्ड 2 (1) (क) (9) से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उससे यह पता चलता है कि इसे किसी भी ऐसे उद्योग पर लागू किया जा सकता है जिसे सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से एक आवश्यक सेवा घोषित कर दें। अतः इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि यह विधेयक समूचे देश के कर्मचारियों के कार्मिक संघों के अधिकारों को कुचलने के लिये लाया गया है।

हम देखते हैं कि इस समय भी कर्मचारियों का हड़ताल करने का अधिकार बहुत कम है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार छ सप्ताह की सूचना दिये बिना लोकोपयोगी सेवा में हड़ताल नहीं की जा सकती। इसके अलावा सक्षम सरकार को यह शक्ति प्रदान कर दी गई है कि वह किसी ऐसे विवाद के सम्बन्ध में जिसे फैसले के लिये बोर्ड को भेज दिया गया हो, हड़ताल को बन्द करने का आदेश दे सकती है। परन्तु इस विधेयक से उस सीमित अधिकार को भी छीना जा रहा है।

इह विधेयक के क्या परिणाम निकलेंगे अब मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हड़तालों के सम्बन्ध में तथा मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में सरकारी आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि स्थिति कितनी गम्भीर है।

मैं इस बारे में कुछ सरकारी आंकड़े देता हूँ। 1961 से, जब से मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हड़तालों के कारण हर साल जन-दिनों की हानि भी लगातार बढ़ती जा रही है। अतः इससे पता चलता है कि श्रमिक लोग बढ़ती हुई कीमतों का सामना करने के लिये किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं। परन्तु फिर भी वे बढ़ते हुए मूल्यों पर काबू नहीं पा सके हैं।

जहाँ तक उनकी वास्तविक मजूरी का सम्बन्ध है सरकारी आंकड़े देखने से पता चलता है कि वह लगातार कम हो रही है । इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि उन्हें हड़ताल करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया तो उनके हाथ और पांव बँध जायेंगे और उन्हें मुनाफाखोरों की दया पर निर्भर करना पड़ेगा । अत: मैं समझता हूँ कि सरकार इस विधेयक के जरिये श्रमिकों की मजूरी में वृद्धि न हो इसके लिये बल प्रयोग करने जा रही है ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि हड़ताल का स्थान न्याय निर्णय अथवा पंच फैसला नहीं ले सकता । इसका कारण यह है कि न्याय-निर्णायक अथवा मध्यस्थ को निर्णय देते समय ऐसे संतुलन-पत्रों को ध्यान में रखना होता है जिनमें इस प्रकार का हेर-फेर होता है कि उनमें वृद्धि करने की कोई गुंजाइश नहीं होती । यदि कभी वृद्धि की भी जाती है तो ऐसे बहुत से कम मामले होते हैं । इसके अलावा एक बात और है कि यदि हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तो छंटनी बड़े पैमाने पर होने लग जायेगी । यदि छंटनी का मामला न्याय-निर्णायक के लिये भेजा जायेगा तो न्याय निर्णायक कभी उसे अनुचित नहीं ठहरायेगा । वह कहेगा कि संतुलन पत्र के देखते हुये यह ठीक है । आज हम देख रहे हैं कि करारों आदि को भी कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है । हमने देखा है कि यदि कोई निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में दे दिया जाता है तो उसे कार्यान्वित करने में सरकार कई प्रकार की मजबूरी दिखा देती है । अत: यदि हड़ताल करने के अधिकार को छीन लिया गया तो इसका अर्थ यह होगा कि हम श्रमिक वर्ग को देश के बड़े-बड़े व्यापारियों की दया पर छोड़ देंगे ।

इसके बाद जबरी छुट्टी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा । जबरी छुट्टी क्या है ? जबरी छुट्टी का अर्थ है मजदूर को अस्थायी तौर पर नौकरी से निकालना । इसी प्रकार हड़ताल का अर्थ है अस्थायी तौर पर काम करने से इन्कार करना । अब इस विधेयक के पास होने से स्थिति यह होगी कि मालिक कानूनी तौर से मजदूर को अस्थायी तौर पर नौकरी से निकाल सकेगा परन्तु मजदूर को अस्थायी तौर भी मालिक के काम को न करने से इन्कार करने का अधिकार नहीं होगा । इसका मतलब यह होगा कि मजदुरों को सदा नियोजकों के गुलाम बन कर रहना पड़ेगा ।

मेरा एक और निवेदन यह है कि गृह-मंत्रालय दोहरी चाल चलता है । जब हमने 19 सितम्बर के बारे में बातचीत की थी तो श्री चवन ने बार-बार यह कहा था कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के प्रश्न पर राष्ट्रीय श्रम आयोग विचार कर रहा है । अत: हमें उसकी प्रतीक्षा करने के लिये कहा गया था । परन्तु मैं अब यह पूछना चाहता हूँ कि क्या गृह-मन्त्री इस बात को अपने पर लागू करने को तैयार हैं ? अब मेरा निवेदन यह है कि हड़ताल करने का अधिकार अर्थात् कि उसे कम किया जाये अथवा न किया जाये, भी राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचाराधीन है । अब मेरा कहना यह है कि इस मामले में आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना उसे कम क्यों किया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह दोहरी चाल नहीं है ?

ऐसा कहा गया है कि इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य अत्यावश्यक सेवाओं को बनाये रखना है । परन्तु यदि वास्तविक उद्देश्य यह था तो फिर तालाबन्दी को भी इस विधेयक में शामिल क्यों नहीं किया गया है क्योंकि ताला-बन्दी से भी तो समाज के सामान्य जीवन पर कुप्रभाव पड़ता है। इसीलिये मैं यह कहता हूँ कि इस विधेयक का उद्देश्य अत्यावश्यक सेवाओं को बनाये रखना नहीं है किन्तु इसका उद्देश्य हड़तालों पर रोक लगाना है ।

सरकार की औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी तथा करों सम्बन्धी नीतियों ने देश की अर्थ-व्यवस्था को संकट में डाल दिया है । कांग्रेस सरकार की इस संकट में वही स्थिति है जो एक ऐसे व्यक्ति की होती है जो कीचड़ में फंस जाता है । जब वह व्यक्ति कीचड़ से एक पांव उठाता है तो दूसरा कीचड़ में फंस जाता है । उसी प्रकार से सरकार जब जब इस संकट को दूर करने के लिये कोई कदम उठती है तो अर्थ व्यवस्था और भी खराब हो जाती है । इस लिये सरकार उस संकट को लोगों के खर्च पर दूर करने के लिये कटिबद्ध है। परन्तु लोग भी सरकार की इस कार्यवाही का पूरी शक्ति से मुकाबला करने के लिये कटिबद्ध हैं। जहां तक एकाधिपतियों का सम्बन्ध है यह संकट उनके मुनाफों और लूट को चेतावनी दे रहा है। इसलिये वे इसे निर्दयता से दूर करने के लिये कटिबद्ध हैं । परन्तु जब भी वे मजदरों को तंग करते हैं तो वे हड़ताल करके उनका मुकाबला कर लेते हैं। अतः सरकार इस विधेयक को ला कर टाटा और विड़ला के निर्देश का पालन कर रही है। इस विधेयक के पास होने से कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार भी नहीं रहेगा । अतः मैं सरकार को चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि वह यह विधेयक मजदूर वर्ग और किसानों के बढ़ते हुये संघर्षों को कठोरतापूर्वक कुचलने के लिये लाई है। इस विधेयक की कार्यप्रणाली यह है कि अपने व्यक्तियों द्वारा कुछ आंतकवादी कार्य कराये जायें तथा लोकवादी संघर्षों के नाम पर उनका प्रयोग किया जाये । केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने ऐसे बहाने तैयार करने के लिये ही तेलीचेरी तथा पुलपल्ली पुलिस चौकियों का आयोजन किया था ।

मेरा निवेदन यह है कि चाहे सरकार इस विधेयक को बहुमत से पारित कर रही है परन्तु हमारे देश के लोग इसका अवश्य ही विरोध करेंगे ।

श्री बी० शंकरानन्द : सभापति महोदय, यह देख कर मुझे बहुत दुख हुआ है कि विरोधी दलों ने इस विधेयक का किस प्रकार से विरोध किया है । यह देख कर मुझे सीता के स्वयम्बर की याद आ रही है। मैं समझता हूँ कि सरकारी कर्मचारी सीता की स्थिति में हैं । क्योंकि प्रत्येक दल उनको जीतना चाहता है चाहे वह अपने इस प्रयास में असफल रहे । जैसे लक्षमण ने रेखा खींचकर सीता को कहा था कि तुम इसके बाहर मत जाना इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने अध्यादेश जारी करके अपने कर्मचारियों के लिये एक रेखा खींच दी थी और उन्हें इसके बाहर न जाने के लिये कहा था परन्तु कंचन मृग की तरह इन रावणों ने भी उन कर्मचारियों को फुसलाने का प्रयत्न किया परन्तु वे सीता की भांति नहीं जानते थे कि उनके साथ जादू का खेल खेला जा रहा है। ऐसी चीजों का होना कोई विचित्र बात नहीं है परन्तु ऐसे तत्वों से लोकतंत्र को खतरा हो सकता है । लोकतंत्र को बनाये रखने के लिये विधि के नियम का पालन अवश्य किया जाना चाहिये ।

सरकारी कर्मचारियों की तुलना औद्योगिक कर्मचारियों से नहीं की जा सकती क्योंकि सरकार मुनाफा कमाने वाला औद्योगिक उपक्रम नहीं है ।

कार्मिक संघों के इतिहास को देखने से पता चलता है कि वे आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाये गये हैं ।

माननीय सदस्यों को इस बात का पता होना चाहिये कि इन हड़तालों से देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिये हमें उन्हें समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। स्वतंत्रता प्राप्ति के लेकर अब तक 1150 लाख जन दिनों की हानि हुई है। इन आंकड़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि सरकार को इस विधेयक को बहुत पहले ही प्रस्तुत कर देना चाहिये था परन्तु फिर भी यह अच्छी बात है कि इसे अब भी लाया गया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की दूसरे कर्मचारियों के साथ तुलना करने से पता चलता है कि इनकी स्थिति उन से कितनी अच्छी है। इनका वेतन राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा औद्योगिक उपक्रमों के कर्मचारियों से अधिक है। जब तक सरकार उनकी स्थिति में सुधार नहीं कर सकती तब तक इन कर्मचारियों की ओर भी अधिक ध्यान नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा सरकार को ऐसे लोगों की ओर भी ध्यान देना होता है जो बेरोजगार हैं। ऐसी हालत में हम सरकार से कैसे कह सकते हैं कि वह इन लोगों को रोजगार न दे और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारिथों को अधिक वेतन दे। मेरा एक और निवेदन यह भी है कि हमारे देश में 1000 लाख अनुसूचित जातियों के लोग बिना किसी संरक्षण के भुखमरी की हालत में हैं

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

देश की वर्तमान स्थितियों को देखने से पता चलता है कि यहां पर अशान्त वातावरण है । अतः मैं समझता हूँ कि माननीय गृह-मन्त्री ने इस विधेयक को प्रस्तुत करके ठीक ही काम किया है। समाज, जनता और लोकतंत्र की भलाई के लिये ऐसे विधेयक का लाया जाना नितान्त आवश्यक था अतः इसे बिना किसी संशोधन के पारित किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक प्रस्थापित। श्री कंवर लाल गुप्त ! वह उपस्थित नहीं हैं। श्री देसाई !

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1968

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1968

(अनुच्छेद 80 और 171 का संशोधन)

श्री चं० चु० देसाई : (सबर कंठा) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक के पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जावे"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

चं० चु० देसाई : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

(हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन) विधेयक

HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) BILL

(नई धारा 21-क का रखा जाना)

Shri Om Praknsh Tyagi (Moradabad) : I beg to move for leave to be granted to introduce a Bill further to amend the Hindu Succession (Amendment) Bill, 1956.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) बिधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 37 आदि का संशोधन)

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I beg to move for leave to be granted to introduce a Bill furthur to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

Shri Bhogendra Jha : I introduce the Bill.

हिन्दू उत्तराधिकार (संशधोन) विधेयक

HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) BILL

(धारा 10, 15 आदि का संशोधन)

श्री रणबीर सिंह (रोहतक) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री रणबीर सिंह : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक

CONTEMPT OF COURTS (AMENDMENT) BILL

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् (विशाखापत्तम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1962 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक.....जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—CONTD.

(अनुच्छेद 368 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री नाथ पाई द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 1968 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करें :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस विधेयक पर विचार आरम्भ होने से पूर्व मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस विधेयक पर, जो कि सदन में चर्चा के लिये पेश है, टिप्पणी करके संविधान का उल्लंघन किया है । यह एक बड़ी ही असमान्य बात है ।

इस विधेयक की सारे देश में चर्चा है । सभा के बाहर और अन्दर दोनों ही जगह इस का भारी विरोध भी है । संसद में एक बार यह भी सुझाव दिया गया था कि इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले ली जाये ताकि ऐसे विधेयक को पेश करने की आवश्यक्ता ही न रहे । हम अदालतों का बड़ा आदर करते हैं तथा जो मामले वहां विचाराधीन होते हैं हम उन पर चर्चा नहीं करते परन्तु हमारा भी संविधान में कोई स्थान है ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : चर्चा के बीच में बोलने के लिये मैं अपने माननीय मित्र श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी से क्षमा चाहता हूँ । परन्तु क्या उन्होंने एक सम्मेलन अथवा गोष्ठी में मुख्य न्यायाधीश द्वारा कही गई किसी बात को लेकर यहां बोलना आरम्भ किया है अथवा

कि वह किसी व्यवस्था के प्रश्न पर आपकी अनुमति लेकर बोल रहे हैं ? आपने उन्हें किस आधार पर अनुमति दी है ? किस नियम के अन्तर्गत वह बोल रहे हैं ?

दूसरे, सभापति को इस पर भी ध्यान देना है कि क्या मुख्य न्यायाधीश को चुनौती देने का अधिकार है और क्या इसी बात को लेकर हम यहां चर्चा आरम्भ कर सकते हैं ? . . . . . व्यवधान . . . मैं यहां किसी को उत्तेजित नहीं करना चाहता । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या हम यहां इस प्रकार की चर्चा कर सकते हैं ? न जाने यह प्रतिवेदन उचित है अथवा नहीं । परन्तु यदि माननीय सदस्य इस बारे में कुछ कहेंगे तो अन्य लोगों को भी बोलने तथा अपने-अपने विचार इस बारे में व्यक्त करने का अवसर मिलेगा । अतः आप इस बारे में अपने सरकारी अधिकारियों से सलाह ले कर इस विषय में अपना निर्णय दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने हमारे मध्याह्न भोजन के लिये विसर्जित होने से पूर्व मुझे लिखा था कि वह इस मामले को यहां उठाना चाहते हैं और मैंने उन्हें कहा था कि मैं उन्हें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान बोलने की अनुमति दूंगा तथा इसी बीच सरकार को भी इस बारे में अपना विचार बताने के लिए कहने की कोशिश करूँगा । वह अपने इस मामले को नियम 376 अथवा 377 के अधीन व्यवस्था के प्रश्न या अधिकार के प्रश्न के अन्तर्गत उठा सकते थे । न तो वह यहां कोई पूरी चर्चा करना चाहते हैं और न ही मेरे पास पूरी रिपोर्ट दी है । उन्होंने इसी प्रश्न से आरम्भ किया है कि क्या यह उचित है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) I want to raise a point of order. Can we discuss about the conduct of a Judge in this House ? On what procedure can we raise a question of propriety ? The Constitution does not permit us to criticise the conduct of a Judge here. If it is argued that he had said it outside the court and not in the capacity of Chief Justice then there cannot be any question of propriety. But we cannot discuss here the conduct of the Chief Justice.

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है । प्रश्न यह है कि इस मामले को व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाया जाये अथवा अधिकारों के औचित्य के प्रश्न के रूप में । यह प्रश्न बड़ा ही सीमित है और वह यह है कि क्या मुख्य न्यायाधीश इस सभा के अधिकारों पर टिप्पणी कर सकता है ?

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मेरा अनुरोध है कि आप इस मामले पर यहीं पर्दा डाल दीजिये तथा माननीय सदस्य को अपना मामला यहीं छोड़ देने को कहिये क्योंकि हमारे पास कोई मूल्य प्रस्ताव नहीं है, तो अन्त में हम मुख्य न्यायाधीश के आचरण के बारे में ही चर्चा करने पर तुल जायेंगे । यहां हम किसी सामान्य नागरिक अथवा किसी मुख्य न्यायाधीश के आचरण के सम्बन्ध में चर्चा करने को नहीं बैठे हैं । यदि यह अधिकारों के औचित्य पर आधारित है तो आप सभा की कार्यवाही इसी संदर्भ में सीमित करा दें । हमें विधान और न्याय के बीच विवाद छेड़ कर यहां का वातावरण खराब नहीं करना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैं इन विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं संसद् और मुख्य न्यायाधीश के मध्य कोई विवाद की बात उत्पन्न नहीं करना चाहता (व्यवधान)। मेरा तो एक सीमित प्रश्न है जैसा कि आपने बताया है।

प्रधान मंत्री व सभा की नेता (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जो कुछ कहा गया है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि अन्त में हम मुख्य न्यायाधीश के आचरण पर ही चर्चा करने लगेंगे। हम ऐसी बात पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी सत्यता हम जानते ही नहीं हैं। यह तो केवल एक समाचार-पत्र की खबर है। इस विवाद का अन्त अच्छा नहीं निकलेगा (व्यवधान)।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह अधिक अच्छा होगा कि पहले हम यह जान लें कि मुख्य न्यायाधीश ने वास्तव में क्या कहा था। मैं उनसे उनके वास्तविक वक्तव्य की एक प्रति प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : क्या मैं जान सकता हूँ कि यह आलोचना मुख्य न्यायाधीश के इस आचरण पर की जा रही है कि उन्होंने यह बात मुख्य न्यायाधीश के नाते कही अथवा एक नागरिक के नाते उन्होंने अपना मत प्रकट किया? यह बात क्या वह किसी मामले पर निर्णय देते समय कह रहे थे?

श्री चं० चु० देसाई : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

श्री स० कुण्डू : (बालासौर) : इस देश का नागरिक होने के कारण हम सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। हम मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिये गये वक्तव्य पर भी चर्चा कर सकते हैं। हमें श्री द्विवेदी की बात सुननी चाहिये। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि इस प्रकार के संशोधन द्वारा मूलभूत अधिकारों को कम करने का प्रयास किया गया है। यदि यह विधेयक पास हो जाता है और कोई याचिका उनके पास जाती है तो वह इस सम्बन्ध में निर्णय देंगे। अतः हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि उनके लिये इस प्रकार की बात कहना ठीक है या नहीं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मुख्य न्यायाधीश एक नागरिक के रूप में अपने विचार प्रकट कर रहे थे। जहां तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी याचिका पर निर्णय देने का सम्बन्ध है, यह उनके आचरण पर चर्चा करना है। किसी माननीय सदस्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : यह कहना अनुचित है कि मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत पक्षपात के आधार पर निर्णय देते हैं। यह बात आपत्तिजनक है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है। मेरे विचार में श्री द्विवेदी भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहते। आचार्य कृपालानी का कहना ठीक है कि मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत रूप से विधि के अवमान पर भाषण दिया था। अतः इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं कर सकता

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के आचरण पर आपेक्ष नहीं करना चाहिये। परन्तु चिन्ता की बात यह है कि उन्होंने उस विधेयक का हवाला दिया है जो अभी सभा में विचाराधीन है। मुझे अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिससे कोई विवाद खड़ा हो जाये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मुख्य न्यायाधीश का वक्तव्य समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है । उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहीं नहीं कहा कि उन्होंने यह बात व्यक्तिगत रूप में कही है । क्या आप मुख्य न्यायाधीश को लिखेंगे . . .

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । मैं ने कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत विचार प्रकट किये हैं । जो लोग इस विधेयक के पक्ष में नहीं हैं, उन्होंने इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : जब आप ने मुझे अनुमति दी है तो आपको मेरे विचार सुनने चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री कुछ कहना चाहती हैं ।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहती हूँ कि उनकी निष्ठा अथवा कर्तव्य-पालन के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है । परन्तु माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि कोई ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिये जिससे द्वेष की भावना पैदा हो । अतः मैं उनसे अपील करती हूँ कि वह इस मामले पर और आगे चर्चा न करें ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : श्री हिदायतुल्ला की बात का श्री चटरजी ने विरोध किया था । क्या उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में श्री हिदायतुल्ला का विरोध किया था ? भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है ।

श्री उमा नाथ (पुदूकोटै) : हम उस पर चर्चा भी कर सकते हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह चर्चा समाप्त हो गई है । इस सम्बन्ध में कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्य × × × ×
× × × ×

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : श्रीमान मेरा वाक्य अधूरा रह गया है । कृपया उसे पूरा करने की अनुमति दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको अनुमति देता हूँ तो उन सभी सदस्यों को अनुमति देनी होगी । बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कोई नहीं बोलेगा । कोई बोलना नहीं चाहता

× × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

× × Not Recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्वयं देख रहे हैं कि अन्य अनेक सदस्य खड़े हुए थे। यदि अन्य लोग न बोलें तो मैं इसे सभा-कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने के लिये तैयार हूँ। माननीय सदस्य चाहें तो अपना वाक्य पूरा कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मैं यह कहना चाहता था कि चूंकि सभा में उत्तेजनापूर्ण वातावरण पैदा हो गया है और सभी माननीय सदस्य यह चाहते थे कि यह मामला इस समय न उठाया जाये, मैं सदस्यों की भावना का आदर करता हुँ। इसलिये मैं इसे फिलहाल स्थगित करता हूँ।

श्री नाथ पाई : आपने माननीय सदस्य को जो कुछ लिखा है उसके बारे में मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। श्री द्विवेदी के साथ आपने उचित व्यवहार नहीं किया है।

आपके द्वारा लिखित रूप में आश्वासन मिलने के कारण ही श्री द्विवेदी बोलने का प्रयत्न कर रहे थे। यदि आप बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो हम भी वैसा ही वर्ताव करेंगे। आपने श्री द्विवेदी को लिखे गये पत्र में लिखा था कि वह इस मामले को उठा सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुख्य न्यायाधिपति द्वारा कानून का कथित उल्लेख संसद् में उठाया जा सकता है। सभा के नेता तथा विधि मंत्री महोदय को यह समझना चाहिये कि माननीय सदस्य इसे आपकी अनुमति से उठा रहे हैं। आपने उन्हें निगम 377 के अन्तर्गत इसे उठाने की अनुमति दी है। यह कोई नहीं कह सकता है कि इसे बिना आपकी अनुमति से उठाया जा रहा है। किन्तु श्री द्विवेदी ने जब इसे उठाने का प्रयत्न किया तो सदस्यों की ओर से व्यवधान पैदा किया गया। माननीय सदस्य ने कभी भी उच्चतम न्यालय के मुख्य न्यायाधिपति पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं किया है। वह अध्यक्षपीठ की अनुमति से उसे उठाया चाहते थे। अब आप कहते हैं कि इसे न उठाया जाये।

किन्तु अब श्री रंगा समेत अनेक सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। माननीय सदस्यों के लिये यह अशोभनीय है।

श्री पीलू मोडी : आपने अस्थान पर खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई उत्तेजक बात नहीं होनी चाहिये।

श्री पीलू मोडी : हम भी अधिक उत्तेजना नहीं चाहते हैं। अतः मैं अपने स्थान पर बैठता हूँ।

श्री नाथ पाई : हम चाहते हैं कि सभा में शांति का वातावरण उत्पन्न हो। किन्तु यह सभी पक्षों की ओर से होना चाहिए न कि केवल एक ओर से। इस सभा में विविध दल हैं। अतः पारस्परिक सद्भाव से ही शान्ति तथा सहनशीलता का वातावरण हो सकता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I beg to submit that we all have respect for the hon. Member Shri Dwivedi. We always heard him patiently and attentively. He was never interrupted. But today we have raised a point of order. We do not want to interfere in any hon. Member's speech. But we have also a right to raise point of order on certain matters. The hon. Member may bring substantive motion for raising such matters.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री द्विवेदी इस मामले को उठाने के लिये बहुत उत्सुक थे, इसलिये मैंने उनसे कहा था कि आप इस विषय पर चर्चा के समय इसे उठा सकते है। हम में से किसी का अभिप्राय उनके प्रति अनादर दिखाने का नहीं है। अब इस मामले को छोड़ ही दिया जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order. The House has been considering this Bill since last year. Being a Private Member's Bill we get only two days per month for discussion on it. No doubt it is a very important Bill and the Government have accepted its principles but there are as many as 190 Private Members' Bill in the list for discussion and out of them 19 Bills are in my name. With this progress how can we have discussion on these Bills?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सभा ने इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी थी ? इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां उठता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बिल्कुल भिन्न बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे सत्र में गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिये नियत किया जाने वाला समय क्या एक ही विधेयक पर चर्चा में समाप्त हो जायेगा।

Shri Madhu Limaye : In this connection I would like to draw the attention of the House to pages 626-27 of the book written by Shri Shakdher which says :—

"Allocation of Time to Bills and Resolutions

One of the important functions of the Committe is to recommend the allocation of time to all private members' Bills and resolutions : in the case of Bills, this is done after their introductions in the House and in the case of resolutions after they have been ballotted. The maximum time allotted for consideration and subsequent stages of a Bill and also for discussion of a resolution is four hours.

After the adoption of the report of the Committee by the House, the allocation of time in respect of Bills and resolutions takes affect as if it were an order of the House."

There were only two exceptions one was in the case of the Bill of Seth Govind Dass when the time was extended by I5 minutes on the motion moved by the then Prime Minister late Shri Jawaharlal Nehru and the second was in the case of a Bill relating to giving immunity to the Press for publishing the proceedings of the House when the time was extended by one and a half hour for discussion of it.

The Government have already accepted its principles and therefore the Member may withdraw it as the convention is there. It may come again as Government Bill. I withdrew my two Bills, namely the "Company Donation Bill" and Restriction on the size of Council of Ministers Bill after the Government accepted them in principles.

My submission is that Private Members Bill time should not be encoached upon. The Bills of the private Members also are as important as that of Government and Government have admitted this fact. There are 178 bills of other private Members which are peding in addition to my 17 bills. So the time allotted to Private Member Bill should not be reduced. If you allot 25 hours for this from the time allotted to Government

Business, we have no objection. But the time allowed to Private Member's Bills should not be reduced.

Shri Atal Bihari Vajpayee : (Balrampur) : Mr. Deputy speaker, Sir, Shri Madhu Limaye has raised a very important point. I agree that the Bill presented by Shri Nath Pai is an important one and nobody can deny its importance. The House needs time to have a discussion on it. But the question is whether the time required for its discussion should be allotted from the time allotted for Private Members Bills and Resolutions. If Government accepted the principles of Shri Nath Pai's Bill then Government should bring its own Bill and the time allotted for other Private Members Bills should not be reduced. Private Members Bills have got their own importance and I hope even Shri Nath Pai will not like that the time allotted for other Bills of Private Members should be reduced for having a discussion on his Bill. So my submission is that the House should decide that Shri Nath Pai's Bill should be brought by Govetnment and opportunity should be given for presenting other non-official Bills.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) हम सब चाहते हैं कि गैर-सरकारी सदस्यों के समय को न घटाया जाय। परन्तु मुझे याद है कि भाषाओं के सम्बन्ध में श्री एन्थनी के एक विधेयक अथवा संकल्प पर तीन अथवा चार सप्ताह तक चर्चा होती रही थी। मैं वैसी चर्चा की मांग नहीं कर रहा हूं। सभा का सत्र समाप्त होने वाला है। अतः यदि सरकार इस सुझाव को स्वीकार भी करती है, तो भी वह इस सत्र में विधेयक पेश नहीं कर सकती। परन्तु यह संभव है कि इस विधेयक को आज ही और अभी स्वीकार किया जाय। मैं जानना चाहता हूँ कि विलम्बकारी पद्धति क्यों अपनाई जा रही है। आप इसके लिके 4 घण्टे का समय और दीजिए और इसे पूरा कीजिए।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : समय का निर्धारण उसी समिति द्वारा किया जाता है, जिसके आप अध्यक्ष हैं। समिति ने इस विधेयक पर चर्चा के लिये $4\frac{1}{2}$ घण्टे का समय निर्धारित किया था। अतः अन्य विधेयकों का समय इस विधेयक के लिये देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Sheo Narain (Basti) : My hon. friend Shri Madhu Limaye has raised a very genuine point. Every Member has a right to present his Bills in this House. There are 19 Bills of Shri Madhu Limaye alone which are pending and this House consists of 521 Members. If Government feels that Shri Nath Pai's Bill is an important one then this Bill can be suspended now and Government may bring another Bill. If then 48 hours are allotted for the discussion of that Bill, we have no objection. My submission is that the time of other Private Members' Bills should not be encroached upon.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यद्यपि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ, तथापि श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूँ। सरकार ने इस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार किया है तथा सरकार की सहायता से इसे संयुक्त समिति में भेजा गया था। अतः अब क्या यह उचित नहीं होगा कि सरकार इस विधेयक की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ? सरकार अपनी ओर से सरकारी विधेयक के रूप में एक विधेयक लाये और

उस पर चर्चा के लिये सरकारी समय में से समय निर्धारित किया जाये । यह एक बहुत महत्व-पूर्ण विधेयक है, क्यों कि इस का सम्बन्ध नागरिकों के भूलभूत अधिकारों से है। इसलिये इसके लिये चार घण्टे का जो समय नियत किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है। इस पर विस्तार-पूर्वक चर्चा होनी चाहिये तथा इसके लिये काफी समय दिया जाना चाहिये। सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और हम इसके पक्ष में हैं तथा इसे सरकारी विधेयक मानते हैं और इसको सरकारी समय देने को तैयार हैं। सरकार को गैर-सरकारी समय नहीं लेना चाहिये तथा इस विधेयक को सरकारी विधेयक समझा जाना चाहिये और इसके लिये सरकारी समय नियत किया जाना चाहिये ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : अन्ततः एक गैर-सरकारी सदस्य के नाते श्री नाथ पाई का विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है और सरकार का भी, यदि वह यह समझती है कि उसके सिद्धान्त उस को स्वीकार हैं, तो उस का समर्थन करने का कर्तव्य है। हम काफी दिनों से इस विधेयक का समर्थन करते रहे हैं । एक संयुक्त समिति नियुक्त की गई थी, जिसके आप अध्यक्ष थे। अतः इस समय यह कहना कि इस विधेयक को श्री नाथ पाई द्वारा वापस ले लिया जाना चाहिये और सरकार को इसके स्थान पर एक नया विधेयक लाना चाहिये, एक विलम्ब-कारी पद्धति होगी । यह निर्णय करना कि इस विधेयक को वापस लिया जाये अथवा नहीं ; श्री नाथ पाई का काम है । परन्तु मैं समझता हूँ कि यदि आप आवश्वक समझें तो सभा नेता से विचार-विमर्श करके इस विधेयक के लिये सरकारी समय में से समय नियत कर सकते हैं, परन्तु क्योंकि सरकार इस विधेयक का समर्थन करती है, इसलिये यह सरकारी विधेयक नहीं बन जाता ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्री रंगा, श्री फ्रेंक एन्थनी तथा अन्य प्रमुख माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । अतः इसके लिये काफी समय दिया जाना चाहिये । माननीय सदस्यों की आम राय यही रही है कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इसके लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। परन्तु इस समय जो तर्क पेश किया जा रहा है, वह इसके उलटा है। इस समय कहा जा रहा है कि यह विधे-यक महत्वपूर्ण है, परन्तु इसके लिये दूसरे विधेयकों के समय में कटौती न की जाये। मुझे किसी ऐसे नियम की जानकारी नहीं है, जिसके अन्तर्गत चर्चाधीन विषय को चर्चा करने से रोका जाये और उसके समय में कटौती की जाये। माननीय सदस्य कोई अन्य आपत्ति कर सकते हैं; परन्तु यह आपत्ति मेरी समझ में नहीं आई। श्री रंगा को शायद याद होगा कि जब उन्होंने सर्वप्रथम समय बढ़ाने की बात कही थी, तो मैंने उसका स्वागत किया था। यदि इस विधेयक पर सोमवार और मंगलवार दो दिन, लगातार चर्चा की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि मुझे इस विधेयक को सरकार को सौंपने को क्यों कहा जा रहा है । मेरा विधेयक पारित हो अथवा नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता ।

जहां तक अन्य सदस्यों के अधिकारों का सम्बन्ध है, श्री मधु लिमये, जिस समय इस प्रश्न पर चर्चा की गई यथा निर्णय किया गया, उस समय उपस्थित नहीं थे और वह उस

समय मुंगेर में थे । वह अपनी अनुपस्थिति का लाभ उठा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि सभा की कार्यवाही चलाने में आप नरमी दिखा रहे हैं, परन्तु क्या उस प्रश्न को पुनः उठाया जा सकता है है जिस पर सभा में चर्चा की जा चुकी हो और निर्णय लिया जा चुका हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : समिति में माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि चूंकि यह एक असाधारण विधेयक है इसलिये इसके लिये अधिकतम समय नियत किया जाये। चूंकि हम अधिक से अधिक चार घण्टे नियत कर सकते थे, तथापि मैंने इस विधेयक के लिये $4\frac{1}{2}$ घण्टे का समय नियत किया था। कुछ माननीय सदस्योंने यह शिकायत की थी कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो इस विधेयक पर चर्चा समाप्त नहीं होगी और उनके विधेयकों को अवसर नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से विधि मंत्री यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस विधेयक के स्वरूप अथवा इसकी भारसाधकता में परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है । इस विधेयक के लिये समय निकालने के लिये इसे पुनः समिति को भेजा जायेगा, चूंकि यदि आज हम लगातार बैठते हैं तो इसके लिये नियत किया $4\frac{1}{2}$ घण्टे का समय पूरा हो जायेगा। अतः हमें इस बात पर निर्णय लेना है कि इसके समय को और बढ़ाया जाये अथवा नहीं। मुख्य बात यह है कि मेरे हिसाब से इस विधेयक पर जब से यह प्रस्तुत किया गया है, तब से अब तक ।। घण्टे और 53 मिनट का समय लग चुका है। अतः मैं चाहता हूँ कि सरकार अपने समय में से इस विधेयक के लिये कुछ समय दे। इस सम्बन्ध में संसद् कार्य मंत्री से बातचीत की जायेगी। आपत्ति उठाई गई है, परन्तु आज के लिये तो समय नियत कर ही दिया गया है तथा बाद में हम कुछ समय निकाल लेंगे ।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुई
Shrimati Tarkeshwari Sinha in the Chair]

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : सब माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकृत किया है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। मुझे यह सुन कर बड़ा दुख हुआ कि कांग्रेसी सदस्यों द्वारा उन सदस्यों पर आपेक्ष किया गया है, जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है । यह एक व्यापक विधेयक है तथा इसका क्षेत्र केवल निजी थैलियों तक सीमित नहीं है। निजी थैलियों का विनियमन सरकार तथा भूतपूर्व राजों के बीच हुए समझौतों के अनुसार किया जाता है । इस विधेयक का विरोध करने वाले सदस्य को बिड़ला का एजेन्ट बताया जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव बिड़ला, टाटा अथवा डालमिया पर नहीं पड़ेगा, अपितु गरीब जनता पर अधिक पड़ेगा। इस विधेयक के कारण बिड़ला, टाटा अथवा डालनिया की सम्पत्ति नहीं छीनी जा रही है । सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह प्रश्न केवल एक कानूनी प्रश्न नहीं है । परन्तु उससे अधिक यह एक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक प्रश्न है । यह एक ऐसा प्रश्न नहीं है कि इसका निर्णय कानूनी तौर पर किया जा सके, परन्तु इसका निर्णय अन्य दृष्टिकोणों से करना होगा। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं के अतिरिक्त इसका निर्णय मानवता के पहलू को मुख्यतया ध्यान में रखते हुए करना होगा ।

मूलभूत अधिकारों की संकल्पना सर्वमान्य है और वह केवल हमारे ही लिये नहीं है। यह कहा गया है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस सम्बन्ध में धारणाएं बदल रही हैं।

हो सकता है कि आर्थिक अथवा नैतिक धारणायें बदल रहीं हों, परन्तु अभी तक मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है जो वाक्-स्वातंत्र्य, अन्त.करण स्वातंत्र्य और साहचर्य की स्वतन्त्रता न चाहता हो तथा ऐसा कोई अल्पसंख्यक वर्ग नहीं देखा, जो बहुत संख्यकों से अपने अधिकारों की सुरक्षा न चाहता हो । लोकतंत्र का आज वह अभिप्राय नहीं है, जो पहले हुआ करता था। पहले लोकतंत्र का अर्थ था बहुमत का शासन, परन्तु अब इसमें परिवर्तन आ गया है। अब इस का अर्थ यह हो गया है कि अल्पसंख्यकों की भावना का भी सम्मान किया जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मैं समझता हूँ कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। हम में से 90 प्रतिशत हिन्दू हैं और मान लो हम कहते हैं कि हमारा देश एक हिन्दू राष्ट्र होगा तथा इसमें मुसलमान और ईसाई नहीं रहेंगे तो क्या यह लोकतंत्र हुआ ? हां यह बहुमत शासन अवश्य हुआ ।

मूलभूत अधिकारों की संकल्पना बहुत पुरानी है । पुराने यूनानी दर्शन शास्त्र में इस का उल्लेख मिलता है । रोमवासियों ने प्राकृतिक विधि के नाम से इनको अपनाया था । फ्रांस की क्रांति के बाद उस विधि को, जिसे नैतिक समझा जाता था, रजनैतिक रूप दिया गया । तथा नैतिक अधिकारों को मूलभूत अधिकार समझा जाने लगा और अज वे ही मूलभूत अधिकार मानव अधिकार बन गये हैं और संयुक्त राष्ट्र संगठन ने उन्हें अंगीकार किया है । यह कोई नई बात नहीं है । बहुत से संविधानों में इन मूलभूत अधिकारों का संरक्षण किया गया है ।

फिर हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हमारे संविधान में मूलभूत अधिकारों के अतिरिक्त निदेशक सिद्धान्त भी हैं। निदेशक सिद्धान्त इसलिये बनाये गये थे कि हमें वह लक्ष्य प्राप्त करना है । उनको लागू किया जा सकता है । यह भी कहा गया था कि "राज्य" इन को कम नहीं करेगा । आप जरा ध्यानपूर्वक देखिये, "राज्य" शब्द का प्रयोग किया गया है । राज्य का अर्थ विधायिनी, कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका नहीं है, अपितु उस में राजतंत्र की ये तीनों शाखायें शामिल हैं । अतः न्यायपालिका को उनमें हस्तक्षेप करने से मना किया गया है, विधायिनी को उनमें हस्तक्षेप करने से मना किया गया है और कार्यपालिका को उनमें हस्तक्षेप करने से मना किया गया है । प्रभुसत्ता जनता के हाथ में है । आप चाहें जो तर्क पेश करें, परन्तु आप जनता को संसद् के समान, संसद् में बहुमत के समान तथा मंत्रिपरिषद् के समान नहीं कह सकते, क्योंकि जनता के हाथ में प्रभुसत्ता है, न कि संसद् अथवा मंत्रि-परिषद् के हाथ में, यह सच है कि मंत्रिपरिषद् सब कानूनों के बारे में निर्णय करता है तथा श्री नाथ पाई का विधेयक भी तभी पारित किया जा सकता है, जब उसे मंत्रिपरिषद् का समर्थन प्राप्त हो । परन्तु इससे मंत्रिपरिषद् जनता के समान नहीं हो सकता । प्रभुसत्ता जनता के हाथ में है, न कि संसद् के हाथ में ।

हाल में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी । यदि सरकार देश में जनमत ले, तो उसे हर कर्मचारी को जिसे आज तक बर्खास्त किया गया है, वापस लेने के किये बाध्य होना पड़ेगा ।

संविधान सभा द्वारा नियुक्त मौलिक अधिकारों सम्बन्धी उप-समिति का मैं सभापति था, इस उप-समिति के सदस्यों का कहना था कि मौलिक अधिकारों का हमारे संविधान में समावेश

किया जाना आवश्यक है और हम उसे अपरिवर्तनीय रखने का प्रयास करेंगे। उनका मत था कि इस देश में कई अल्पसंख्यक वर्ग हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें संरक्षण दिया जाये क्योंकि देश की साम्प्रदायिक स्थिति से हम अवगत हैं और इसलिये हम इन सिद्धान्तों को संसद् द्वारा अनन्यसंक्राम्य बनाना चाहते हैं। मौलिक अधिकारों को अन्य संविधानों में भी शामिल किया गया है। उदाहरणार्थ अमेरिका के संविधान-स्वतंत्रता की घोषणा-में कहा गया है :

> We hold these truths to be self-evident that all men are equal, created equal and that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights."

सरकार–न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधान मंडल मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिये हैं न कि उन्हें समाप्त करने के लिये। सरकार संम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों को समाप्त कर सकती है जिसके लिये उसे अन्य तरीके ढूँढ़ने पड़ेंगे। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार सभी अधिकारों को समाप्त कर सकती है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमारे कुछ अधिकार हैं और जिनकी सभी प्राधिकार के विरुद्ध रक्षा करना जरूरी है क्योंकि वे मौलिक अधिकार हैं और हमारे अस्तित्व की आधारशिला हैं। यदि हम उन मौलिक अधिकारों से वंचित हैं, तो फिर हम मनुष्य ही नहीं रह जाते और पशुओं की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिये मानव समाज में मौलिक अधिकार अत्यावश्यक हैं।

जहां तक समाजवाद का सम्बन्ध है, हमने जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया है और मौलिक अधिकार इस रास्ते में रुकावट नहीं बने हैं, इसी प्रकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का भी सरकार विचार कर रही है और उसने इस दिशा में कुछ प्रयास भी किया है जो यद्यपि दिखावा मात्र ही है। किन्तु सरकार को राष्ट्रीय गतिविधि वाणिज्य अथवा उद्योग से सम्बन्धित किसी चीज का राष्ट्रीयकरण करने से किसी ने रोका नहीं है और वह प्रायः ऐसा कर भी रही है।

इसके अलावा, हमने इन 21 वर्षों में कई बार अपने संविधान में संशोधन किये हैं। यह एक रिकार्ड है अन्यत्र कहीं भी इतनी जल्दी-जल्दी संविधान नहीं बदला गया है। ऐसा कहा गया है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि हमारा संविधान लचीला है। इसलिये हो सकता है, कि हमारा सारा संविधान लचीला है किन्तु इस विशेष हिस्से को --मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित भाग को लचीला नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, हमें इन अधिकारों की न्यायालयों द्वारा गारन्टी दी हुई है, लेकिन देश का एक उच्चतम न्यायालय है जिसमें प्रत्येक भारतीय विश्वास रखता है और इस न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है। जब तक कि न्यायालय खुद ही इस निर्णय को भविष्य में बदल नहीं देता, उसे बदलना हमारे संविधान तथा हमारे अधिकारों के प्रति महान अन्याय होगा। इसलिये हमें ऐसा पग नहीं उठाना चाहिए जो हमारे देश के तथ्यों तथा उन परिस्थितियों के विरुद्ध हो जिनमें हम रह रहे हैं।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : इस सभा के कई सदस्य तथा इस देश के बहुत से नागरिक ऐसा नहीं चाहते कि संसद् संविधान में संशोधन कर सके और उसे वह शक्ति प्राप्त हो। ऐसा कहा गया है कि संविधान में कई बार संशोधन किये गये हैं और यह एक रिकार्ड है। किन्तु संविधान में किये गये 21 संशोधनों में से केवल तीन संशोधन ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध मूलभूत अधिकारों से है, उनमें से भी केवल सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार में कुछ हेर-फेर किया गया है और पिछले 17 वर्षों में इसके अलावा और किसी मूलभूत अधिकार को नहीं छुआ गया है।

ऐसा कहा गया है कि एक बार यदि शक्ति प्रदान की गई तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने के लिये कभी भी उसका उपयोग अथवा दुरुपयोग किया जा सकता है। यह तर्क जो कई सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उपहासजनक है। अनुच्छेद 31 का उल्लेख किया गया है। जहां तक इस अनुच्छेद का सम्बन्ध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि विश्व की कोई भी शक्ति संसद् को इस अनुच्छेद में संशोधन करने की अनुमति नहीं देगा। इसके साथ-साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने की अनुमति भी नहीं देगा। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न संविधान हैं और उन संविधानों में संविधान में संशोधन करने के उपबन्ध हैं। उदाहरणार्थ ब्रिटिश संविधान को ले लीजिये।

ब्रिटिश संविधान सर्वाधिक लचीला है। उसके किसी भी उपबन्ध में एक साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा कभी भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे उसमें संशोधन कर देंगे। हेब्रियास कॉरपस एक्ट वहां मौजूद है। खुला तथा युक्त समाज होने पर भी उन पर कुछ प्रतिबन्ध हैं तथा उनकी कुछ सीमाएँ हैं जिनका वे उल्लंघन नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता वहां की संसद् को संविधान में संशोधन करने की इतनी व्यापक शक्ति प्राप्त होते हुए भी वह उसके किसी भाग में संशोधन करेगी यद्यपि वह कोई भी कानून पास कर सकती है।

अब, अमरीकी संविधान को ले लीजिये, वहां का संविधान सबसे अधिक अनम्य है जो व्यक्तिगत दर्शन पर आधारित है। लेकिन क्या उसमें सम्पत्ति के सम्बन्ध में संशोधन नहीं किया गया है?

आचार्य कृपालानी ने अमरीकी "स्वतंत्रता की घोषणा" का उल्लेख किया है। इस संबन्ध में फ्रैंकलिन डी० रुजवेल्ट ने घोषणा की थी कि व्यक्तिगत अधिकारों तथा उद्योग के बीच संघर्ष की स्थिति में कांग्रेस को सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होगा और वह सर्वमान्य होगा।

क्या आप वास्तव में यह सोचते हैं कि चूंकि हम संसद् के संविधान में संशोधन करने के अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिये हम संविधान के किसी भाग में संशोधन अवश्य करेंगे? जहां तक मौलिक अधिकारों का सम्बन्ध है, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि लोग, चाहे वे कोई भी हों, अपनी ही प्रभुसत्ता तथा अपने ही मौलिक अधिकारों को नष्ट करना नहीं चाहते। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कि व्यक्ति तथा समाज के अधिकारों के बीच आपस में टकराव होता है, तो उस हालत में समाज के अधिकारों को व्यक्ति के अधिकारों की अपेक्षा सर्वोपरि मानना लाज़मी है।

जब हम संसद् के संविधान में संशोधन करने के अधिकार पर विचार करते हैं, तो हमें पहले दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए–पहला यह है कि संविधान क्या है--जो एक दार्शनिक प्रश्न है-दूसरा यह कि उसमें क्या करने का इरादा किया गया है–यह कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रश्न है। हमने अपने संविधान में एक विशेष दर्शन का, जिसका हम अनुसरण करना चाहते हैं, समावेश किया है। हमारा संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है जिसमें सामाजिक दर्शन का समावेश है। इसमें केवल संस्थाओं, शक्तियों का पार्थक्य अथवा उनका विभाजन या शक्तियों के विभाजन के संघीय सिद्धान्त का ही वर्णन नहीं है। व्यक्ति का अधिकार एक हित है जिसे समाज मान्यता देता है और उसकी रक्षा करता है। निदेशक

सिद्धान्त ऐसे सिद्धान्त हैं जिनमें लोगों के भाग्य का विवेचन है। इनमें ऐसे निदेश दिये गये हैं जिनमें लोगों के अपने भाग्य का निर्णय करने के लिये संकेत दिये गये हैं। निदेशक सिद्धान्त ही राज्य को उन्हें क्रियान्वित करने का निदेश देते हैं और राज्यों को उन्हें क्रियान्वित करना जरूरी है ताकि समाज की प्रगति हो। समाज चलाने के लिये ये सिद्धान्त मौलिक सिद्धान्त हैं। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों तथा समाज के अधिकारों के बीच यही अन्तर है। ऐसी स्थिति में जब कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार और समाज के मौलिक अधिकार आपस में टकराते हैं, समाज के अधिकारों को सर्वोपरि स्थान देना आवश्यक है।

संविधान बनाने के पश्चात् हमने सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दे दी है। मिस्टर ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सामाजिक क्रान्ति की संरक्षक है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक क्रान्ति लाने का कार्य किया है अथवा इस निर्णय से समाज की प्रगति को धक्का पहुँचा है। अमरीका तथा ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने उद्योग के राष्ट्रीयकरण तथा सम्पत्ति के प्रश्न पर हस्तक्षेप नहीं किया। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि संसद् सर्वोच्च है। संसद् को संविधान में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिये।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। इसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 368 के विस्तार को बढ़ाया जायेगा। 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ के मामले में 11 न्यायाधीशों के एक स्पैशल बैंच ने अपने निर्णय में कहा था कि अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन के मामले में कुछ प्रक्रियाएं ही दी गई हैं और कि संसद् को मूलभूत अधिकारों को कम करने अथवा उनमें संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हम जानते हैं कि हमारे यहां संवैधानिक लोकतन्त्र है जिसके तीन अंग अर्थात् विधान मंडल, कार्यपालिका तथा न्यायपालिक हैं जोकि अपनी-अपनी सीमाओं के अन्तर्गत काम करती हैं। ये सीमाएं संविधान में दी गई हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है और दूसरी सभी संस्थाएं चाहे वह संसद् हो अथवा न्यायपालिका सभी इसके अन्तर्गत हैं। यही कारण है कि जब कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है अथवा जब संसद् अथवा किसी विधान सभा का सदस्य चुना जाता है तो वह संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ लेता है।

अब हमारा कर्तव्य है कि 11 न्यायाधीशों के स्पैशल बैंच द्वारा दिये गये निर्णय का हम पालन करें। श्री नाथपाई ने जिन निर्णयों का उल्लेख किया है उनके विरुद्ध भी निर्णय दिये जा चुके हैं। अतः उन निर्णयों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह है कि हमारे देश में आज स्थिति क्या है? इस विधेयक की क्या आवश्यकता है। क्या वह पुनः संसद् की सर्वोच्चता को बनाये रखना चाहते हैं? श्री नाथपाई ने इन सभी प्रश्नों के बारे में कुछ नहीं कहा है। हम जानते हैं कि इन दिनों संसद् में बहुमत का नियम है। अतः मैं श्री नाथपाई से पूछना चाहता हूँ कि संसद् को ये शक्तियां दे कर वह संसद् के बहुमत को यह प्राधिकार नहीं दे रहे हैं? क्या इस प्रकार कोई शक्तिशाली प्रधान मंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्री मूल-

भूत अधिकारों को पूर्णतया समाप्त नहीं कर सकता ? यदि एक बार इस विधेयक द्वारा संसद् को मूलभूत अधिकारों को समाप्त करने की शक्ति दे दी जाती है तो बहुमत इसके द्वारा कभी भी मूलभूत अधिकारों को समाप्त कर सकता है। सभी विकसित लोकतंत्रात्मक देशों में कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने पर तीन प्रकार की रोक होती है। ये रोक है जनमत संग्रह, जिम्मेदार तथा मजबूत विरोधी दल तथा परम्पराओं द्वारा समझौते की भावना। ये तीनों रोक हमारे देश में नहीं हैं। अतः इस प्रकार के विधेयक को पास करना बहुत खतरनाक है।

जैसा मैंने पहले कहा संसद में केवल बहुमत का ही बोलवाला होता है और अल्पसंख्यक केवल अपनी आवाज ही उठा सकते हैं परन्तु वे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते हैं। वे मजबूर दर्शक होते हैं। यही कारण हैं कि संविधान बनाने वालों ने जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में मूलभूत अधिकारों का एक भाग रखा था। यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 32 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी नागरिक अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए देश के बड़ी से बड़ी न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 13 (2) में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि यदि संसद् अथवा सरकार मूलभूत अधिकारों को कम करने अथवा समाप्त करना चाहे तो ऐसा कानून उस हद तक रद्द समझा जायेगा। गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की है।

आचार्य कृपालानी ने कहा है कि पिछले 18 वर्षों में संविधान में 21 बार संशोधन किया जा चुका है। यह 22 वां संशोधन है। मैं समझता हूँ कि इसका कारण यह है कि इन वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिये हैं वे कार्यपालिका की रुचि के अनुसार नहीं हैं। उन निर्णयों को एक प्रकार से रद्द करने के लिए ही सरकार ने संविधान में इतनी बार संशोधन किया है और सरकार अथवा बहुमत के लिए ऐसा करना सुविधाजनक भी है। मूलभूत अधिकारों के प्रवर्तन पर पहले ही प्रतिबन्ध लगाये जा चुके हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी नागरिक की सम्पत्ति को सार्वजनिक हित के लिए अर्जित किया जा सकता है। लोगों की स्वतंत्रता पर भी पहले ही कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। जहां तक श्री नाथपाई के विधेयक का सम्बन्ध है मुझे शंका है कि न्यायालय द्वारा इस को रद्द कर दिया जायेगा। ग्यारह न्यायाधीशों के निर्णय को निष्प्रभाव करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। श्री मधु लिमये ने यह सुझाव ठीक ही दिया था कि इस विधेयक को सरकार द्वारा लिया जाना जाहिए। परन्तु एक ओर तो सरकार इसके लिए इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहती और दूसरी वह जानती है कि श्री नाथपाई इस विधेयक को पास कराने के लिए उत्सुक हैं। अतः सरकार इसमें स्वयं इल्जाम नहीं लेना चाहती है। जैसा मैंने कहा कि यदि इस विधेयक को पास कर दिया जाता है तो सर्वोच्च न्यायपालय द्वारा इसको रद्द कर दिया जायेगा। श्री हिदायतुल्ला ने एक पृथक निगम में तथा सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के निर्णय में कहा है कि संसद् को मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इससे संविधान के अनुच्छेद 13 के उपबन्धों का भी उल्लंघन होगा। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है।

जहां तक संविधान सभा का सम्बन्ध है हमारे संविधान में ऐसा काई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत संसद् स्वयं को संविधान में बदल सके। अतः हमें इस बारे में लोगों की सहायता

लेनी है। यदि हम वास्तव में मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें इस बारे में लोगों से अपील करनी चाहिए।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बहुत मतभेद है। ऐसा मामला बनाया गया है कि मूलभूत अधिकार प्राकृतिक अधिकार है और कि उनमें कभी भी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि ये अधिकार प्राकृतिक हैं अथवा नहीं। प्रश्न यह है कि क्या संविधान सब प्रकार से पूर्ण है ? यदि हम इस बात को स्वीकार करें कि किसी से भी गलती हो सकती है तो हमें संविधान में संशोधन करने की शक्ति होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कभी नहीं कहा कि संसद् को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। क्या यह शक्ति संसद् को होनी चाहिए अथवा भारत के लोगों के बहुमत को यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संसद् में जिस दल का बहुमत है वह लोगों के बहुमत का नेतृत्व नहीं करती क्योंकि 40 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति सदस्य चुना जा सकता है। अतः यदि उनके द्वारा संविधान का संशोधन किया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि 60 प्रतिशत लोगों को विचार व्यक्त करने से वंचित किया जा रहा है। अतः इसके लिये जनमत संग्रह ही किया जाना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन की व्याख्या करने के अधिकार के अन्तर्गत यह कहा है कि यह संसद् संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा मूलभूत अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इस विधेयक के द्वारा प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है और उसके पश्चात् आप मूलभूत अधिकारों में संशोधन करना चाहते हैं। जैसा कि श्री गोयल ने कहा कि आप प्रत्यक्ष रूप से मूलभूत अधिकारों को कम नहीं कर सकते परन्तु आप अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की राय वही है जो गोलकनाथ के मामले में थी तो इस संशोधन को भी रद्द कर दिया जायेगा। यदि आप प्रत्यक्ष रूप से मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते तो आप अप्रत्यक्ष रूप से भी ऐसा नहीं कर सकते। अतः हमें सर्वोच्च न्यायालय से पूछना चाहिये कि मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिये। तभी श्री नाथपाई के विधेयक में कोई उचित संशोधन किया जा सकता है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ और मुझे आशा है कि सरकार अपनी घोषित इच्छा के अनुसार इसका समर्थन करेगी।

मैं इस विधेयक का इसलिये समर्थन करना चाहता हूँ क्योंकि इससे संसद् को संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिलती है जिससे संसद् वास्तविक लोकतंत्र तथा न्याय के लिये मूलभूत अधिकारों को और मजबूत कर सकता है। भारतीय संविधान में पूर्णतया लिखित अधिकारों की गारंटी करने और समाज के सामूहिक हितों का सन्तुलन करने का प्रयत्न किया गया है। श्री अब्राहन लिंकोन ने 4 मार्च, 1861 को राष्ट्रपति के नाते अपने प्रथम भाषण में कहा था कि यह

देश लोगों का है और वे जब चाहें अपने संवैधानिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह सभा पूर्णतया कानूनी दृष्टिकोण से इस विषय पर न सोचे।

मैं श्री मधुलिमये से कहूँगा कि न्यायपालिका से अधिक लोगों पर विश्वास करें।

इसमें सन्देह नहीं कि न्यायाधीश बड़े सम्मानित व्यक्ति होते हैं परन्तु जैसा कि स्वर्गीय श्री ओलीवर वेन्डेल होम ने कहा था, उनके मस्तिष्क में परिवर्तन विरोधी एक अस्पष्ट पूर्व-धारणा होती है। वर्तमान समाज में प्रत्येक न्यायाधीश सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार को किसी भी अन्य अधिकार की तुलना में अधिक पवित्र समझता है। यही कारण है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जब अपनी नई नीति-कार्य-क्रम लागू किया था, तो उसके लिये उन्हें नये न्यायाधीश नियुक्त करने पड़े थे और यही कारण है कि अमरीकी इतिहास में न्यायाधीश फैलेक्स फ्रंकफर्टर तथा न्यायाधीश ब्लैक बहुत महत्वपूर्ण हो गये हैं।

संविधान के अनुसार जब उच्चतम न्यायालय किसी विधायी अधिनियम को अस्वीकार करता है तो उससे संसद् के सम्मान पर कोई आँच नहीं आती, इसी प्रकार सभा में अथवा सभा के बाहर किसी का यह सोचना ठीक नहीं है कि जब संसद किसी विधि को पारित करती है तो वह उच्चतम न्यायालय का अवमान करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्बन्धी भारतीय संस्था ने इस विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति को बताया है कि इस विधि के पारित किये जाने से संविधान की पवित्रता पर कोई आंच नहीं आयेगी। भारत सरकार के विधि-कार्य विभाग के सचिव ने भी समिति को बताया कि "देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद् को दिया जाये।" श्री सीखाई तथा श्री सीतलवाद ने भी यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इस देश में कानूनी जनमत इस विधेयक का समर्थन करता है।

केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् द्वारा संचालित गोसदन*

GOSADANS RUN BY CENTRAL GOSAMVARDHAN COUNCIL*

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would draw the attention of the House to the Gosadans.

[श्री रा० डो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

With a view to improve cow breed, to protect old and invalid cows and to make a better use of cow-dung, hides and bones, Government of India set up a gosadan an Gularbhoj in Naini Tal district of Uttar Pradesh. This Gosadan was set up in an area of 3,000 acres but the area has now been reduced to 265 acres. The hon. Minister should tell whether those facts have any reference in the Government documents.

This **Gosadan** was constituted in 1954 and after remaining under the control of Central

* आधे घंटे की चर्चा

× Half-an-Hour Discussion

Government for about a year, it was transferred to the Government of Uttar Pradesh in 1955, but in 1961 wat again taken over by Central Gosamvardhan Parishad. Not only that another Gosadan at Dilawari near Bhopal was also taken over by Central Gosamvardhan council. A lot of money is being spent on these Gosadans.

At the time Gosadan at Gularbhoj was set up, no provision was made for the auction of cows, and the objective to set up this Gosadan was to establish an ideal Gosadan in the country so that similar institutions could be set up in other parts of the country also. However, permission was obtained afterwards for auctioning the cows and the cows were sold to the butchers at throwoway prices. A large number of cows were allowed to go to China Via Tibet, where they are being slaughtered. It is being done under a throughly planed scheme.

I would like to name the persons who are responsible for such conspiracy. Two persons are responsible for this sin. One of those is the Commissioner of Animal Husbandry Department of the Government of India while the other is S. Datar Singh, honorary adviser in the same department. S. Datar Singh owns two farms, one of which is located at Bairagarh (Bhopal) and another at Delhi. At his behest the Gosadans at Gularbhoj and Dilawari were transferred again to the Central Gosamvardhan Council. Although he is working as an honorary adviser, yet the Government has to spend about Rs. 8,000 to Rs. 10, 000 on his travelling allowance and telephone facilities. The manure obtained from Gosadans is being used in the personal farms of the honorary adviser.

When all these irregularities were brought to the notice of Central Gosamvardhan Council and the people, Shri U. N. Dhebar visited both the Gosadans and he submitted a report to the Ministry of Food and Agriculture depicting the pitiable condition of the cows in the Gosadans. It is said that the report is missing from the said Ministry. Again a hue and cry was raised in the newspapers in this connection after which an honourable Member of this House, Shri Bibhuti Mishra went to see those Gosadans and he also submitted a report to the Government but no action has been taken on any of these reports.

I want to submit four demands in this connection. When such Gosadans are set up and Government spends lakhs of Rupees on them, it should be ensured that they function as ideal institutions and not turn into slanghter houses. The unauthorised exploitation of funds in the name of Gosadans should stop so that Government money is spent in the interest of the public and it does not go in the pockets of certain persons. A high level enquiry should be held into the whole affair and those found guilty should be punished. The report of Shri U. N. Dhebar should be published so that all the facts come to light.

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk) : Mr. Chairman, Sir, when in 1957 stray cattle in Delhi were caught and sold to butchers, a great agitation was launched, whereafter it was assured that the cattle will not be auctioned and they will be sent to the Gosadan at Gularbhoj ; But afterwards, I was informed that all the cows sent to Gularbhoj are sold to the butchers. On coming to know of it I visited Gularbhoj and I came to know that the condition of cows in the Gosadans was pitiable. Cows are not being looked after properly. There is no provision for treatment, fodder and drinking water. The cows are being killed there. The cows auctioned there do not go to farmers, they go to butchers. These facts are proved by the report of a goodwill mission of Delhi Metropolitan Council. No certificate is obtained from the biddess that they are in fact farmers and not butchers. Proper publicity is not given to the auction and only butchers are informed and they purchase the cattle.

I have got a proof that when a cattle is auctioned for Rs. 63, receipt for Rs. 43 only is issued. I hope the Minister will look into all these matters.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Shri Prakash Vir Shastri has raised the question of Gosadans. I want to know whether it is not a fact that during the last five years the cow slaughter in this country has increased ? Meat is sold in hotels of Delhi. I would like to know whether it is beef ? I want to know whether Government wants to impose some restriction on the sale of cows to butchers ? Whether some legislation would be brought in this regard ?

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं जानना चाहता हूँ कि यह गोसदन किसके नियंत्रण में चलते हैं ? क्या वह व्यक्ति पशु पालने में रुचि रखने वाले हैं ? फिर बेकार पशुओं को नीलाम क्यों किया जाता है ? मेरा एक सुझाव है कि पशुओं की नीलामी के समय गोसदन की प्रबन्ध समितियों के सदस्य उपस्थित रहने चाहिये। उन्हें देखना चाहिये कि पशु कहीं गलत व्यक्तियों के हाथ में न चले जायें।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : As per the Directive principles of State policy, Government should take steps to protect the cows. As our friends Shri Shastri and Shri Shalwale has said in this Godsadan conditions are very deplorable. It is just like a butchery. Cows are sold to butchers in violation of the rules. It is not an economic question. It is the question of sentiments of 50 crore people. I would like that Governmen should hold an enquiry in regard to the allegations made by Shri Shalwale and Shri Shastri. Further I would like to know the action proposed to be taken by Government to bring about improvements in the Gosadans.

The Delhi Administration wants to open a Gosadan in Delhi. A scheme in this regard has been forwarded to the Central Government. We want our Government to provide essential facilities for this. If there are any difficulties we are prepared to extend all assistance.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : श्री शास्त्री जी ने गोसदनों के बारे में यह चर्चा उठायी है। इस अवसर पर मैं इस सम्बन्ध में सरकार की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं स्वयं एक किसान हूँ। यदि मैं संसद् सदस्य नहीं बना होता तो अब खेती के कार्य में लगा होता। मुझे पशुपालन से भी विशेष लगन है। खेद की बात है कि गोसदनों के बारे में अनेक ऐसी बातें कही गयी हैं कि जो निराधार हैं। कई वर्षों से सरकार प्रयत्नशील है कि आवारा पशुओं को संरक्षण दिया जाये। ऐसे पशुओं को बहुत प्रकार की हानि होती है। इनके लिये समुचित व्यवस्था करने के लिए विचार किया गया। उस समय कुछ गोसदनों की स्थापना की गयी। यह 1950-51 के लगभग की बात है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने भी कार्यवाही की है। देश में कुल 79 गोसदन हैं। इनमें से 2 की व्यवस्था केन्द्रीय गोसवर्द्धन परिषद् करती है। गूलरभोज का गोसदन बहुत सुव्यवस्थित गोसदन है।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह गलत है। क्या आप मेरे साथ वहां जा कर स्वयं देखेंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस गोसदन को 2,000 एकड़ भूमि मिली हुई है। 1960-61

से अब तक इसमें लगभग 23,186 पशुओं को रखा गया है। इस अवधि में इस पर कुल 5,72,000 रुपये व्यय हुआ है। इस सम्बन्ध में मुख्य विवाद पशुओं की नीलामी का है। हमारा यह आशय नहीं कि दूध देने वाले पशुओं को वहाँ रखें। उन्हें किसानों को दे दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ पशु संसद् सदस्यों की मांग पर उनको भी दिये हैं। दण्डकरण्य परियोजना में भी कुछ पशु भेजे गये हैं।

गोसदनों की योजना में यह व्यवस्था है कि दूध देने वाले पशुओं की नीलामी कर दी जानी चाहिये और उन्हें गोसदन में नहीं रखना चाहिये। इस बारे में स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी जाती है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को बोली की आज्ञा होती है जिनके पास गांव के सरपंच का प्रमाण-पत्र होता है कि वह वास्तव में एक किसान है। यदि यह समझा जाता है कि वहाँ पर गोहत्या होती है तो जनसंघ दल भी वहाँ पर संयुक्त विधायक दल की सरकार में था। उसने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, it is not a political matter. It is no answer. Why are they selling the cows to the butchers ? मैं उनकी बात को चुनौती देता हूँ। ***

सभापति महोदय : आप को यह शब्द वापिस लेने चाहिये।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं वापिस लेता हूं।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जब किसी सरकारी संगठन को कोई चीज बेचनी होती है तो नीलामी ही उचित तरीका होता है। पशुओं को अधिक बोली देने वालों को दिया जाता है। फिर उनके पास प्रमाण-पत्र भी होना चाहिये। यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि देखें कि उनके राज्य में गोहत्या न हो।

कुछ सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भी बातें कही गयी हैं। यह उचित नहीं है। डॉ० दातार सिंह एक कुशल अधिकारी हैं। हम उन्हें एक सफल व्यक्ति मानते हैं। ऐसी आलोचना नहीं होनी चाहिये। श्री विभूति मिश्र ने मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट से अलग रिपोर्ट नहीं दी थी। इस समिति ने सिफारिश की है कि गोसदनों का प्रबन्ध राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिये। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वैसे राज्य सरकारें अच्छी स्थिति में कार्य कर सकेंगी।

दिल्ली प्रशासन से हमें कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यदि हमारे पास रिपोर्ट आयी तो हम उस पर पूरे ध्यान से विचार करेंगे। गोसदनों के कार्यकरण में कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि जनता गऊओं की पूजा करती है परन्तु उसकी हालत सुधारने में हाथ नहीं बटाती। इसी कारण हमारे देश में गऊओं का दूध कम होता है। यदि हमें गाय के दूध को बढ़ाना है तो हमें आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना होगा। यदि दिल्ली

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया।

***Expunged as ordered by the Chair.

प्रशासन चाहे तो वह अपना गोसदन खोल सकता है । हमें कोई आपत्ति नहीं है । भारत सरकार को कोई सूचना नहीं कि गोसदन से पशुओं को चीन भेजा जा रहा है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, 14 दिसम्बर, 1968/23, अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, 14 December , 1968/23 Agrahayana, 1890 (Saka)

Printed by Job Printers, Allahabad.